

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26102023-249691 CG-DL-E-26102023-249691

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1 PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 274] No. 274] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 23, 2023/कार्तिक 1, 1945 NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 23, 2023/KARTIKA 1, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अक्तूबर, 2023

विषय: चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित ''मेटा फिनाइलीन डायमाइ न (एमपीडीए)'' के आयातों पर निर्णायक समीक्षा जांच।

फा. सं. 7/06/2023-डीजीटीआर.—समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली,1995 (जिसे आगे नियमावली एडी नियमावली भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए:

क. मामले की पृष्ठभूमि

1. संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों से संबंधित मूल पाटनरोधी जांच प्राधिकारी द्वारा अधिसूचना संख्या 14/4/2012-डीजीएडी, दिनांक 19 जून, 2012 के माध्यम से शुरू की गई थी इसी जांच में अंतिम जांच परिणाम संख्या 14/4/2012-डीजीएडी, दिनांक 17 दिसंबर, 2013 के माध्यम से जारी किये गये थे जिसमें संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की गई थी, जिसे सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 11/2014 – सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 11 मार्च, 2014 के जरिये लागू किया गया था। उक्त शुल्क को पांच वर्ष की अवधि के लिये लगाया गया था जिसके बाद प्राधिकारी द्वारा पहली निर्णायक समीक्षा जांच

6756 GI/2023 (1)

अधिसूचना संख्या 7/2/2018-डीजीएडी, दिनांक 26फरवरी, 2018 के जिरये शुरू की गई थी। इसी पहली एसएसआर जांच में अंतिम जांच परिणाम संख्या 7/2/2018-डीजीएडी, दिनांक 13 दिसंबर, 2018 के जिरये जारी किये गये थे जिनमें संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क का समय बढ़ाने और वृद्धि की सिफारिश की गई थी। इसे सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 5/2019 – सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 24 जनवरी, 2019 के द्वारा लागू किया गया था। इस प्रकार लागू शुल्क 23 जनवरी, 2024 को समाप्त होने के लिए निर्धारित हैं।

- 2. पठित अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुसार लागू पाटनरोधी शुल्क को यदि पहले नहीं हटाया जाए तो वे उससे लागू करने की तारीख से पांच वर्ष की समाप्ति पर निष्प्रभावी हो जाते हैं। प्राधिकारी के लिए यह समीक्षा करना अपेक्षित है कि क्या पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति की संभावना है।
- 3. नियमावली के नियम 23 (1ख) में निम्नानुसार व्यवस्था है:
 - "इस अधिनियम के अंतर्गत लगाया गया कोई निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क उसे लागू करने की तारीख से पांच वर्ष की अविध के लिए प्रभावी रहेगा। यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी अपनी स्वयं की पहल पर या घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से किए गए विधिवत रूप से साक्षांकित अनुरोध के आधार पर उस अविध से पहले, उस अविध की समाप्ति से तर्कसंगत अविध के भीतर एक समीक्षा द्वारा इस निष्कर्ष तक पहुंचे कि उक्त पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने से पाटन और घरेल उद्योग को क्षति जारी रहने या उसकी पनरावृत्ति होने की संभावना है।"
- 4. उक्त के अनुसार प्राधिकारी के लिए घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से किये गये विधिवत रूप से साक्ष्यांकित अनुरोध के आधार पर यह समीक्षा करना अपेक्षित है कि क्या पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षित के जारी रहने या पुनरावृत्ति होने की संभावना है।
- 5. घरेलू उद्योग द्वारा, घरेलू उद्योग की ओर से प्रस्तुत पाटन और क्षित की संभावना की प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य सिंहत विधिवत रूप से साक्ष्यांकित आवेदन के मद्देनजर और नियमावली के नियम 23 के साथ पाठित अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुसार प्राधिकारी ने अधिसूचना संख्या फा. सं. 07/06/2023-डीजीटीआर, दिनांक 30 जून, 2023 द्वारा एक निर्णायक समीक्षा जांच शुरू की थी ताकि संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के संबंध में लागू शुल्क को जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा की जा सके और इस बात की जांच की जा सके कि क्या ऐसे शुल्क की समाप्ति से पाटन और घरेलू उद्योग को क्षिति के जारी रहने या पुनरावृत्ति की संभावना है।
- 6. वर्तमान समीक्षा के दायरे में अंतिम जांच परिणाम सं. 7/2/2018-डीजीएडी, दिनांक 13 दिसंबर, 2018 द्वारा जारी संबद्ध वस्तु से संबंधित पूर्ववर्ती जांच के सभी पहलू शामिल हैं जिसे अधिसूचना सं. 5/2019-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 24.01.2019 द्वारा लागू किया गया था।

ख. प्रक्रिया

- 7. संबद्ध जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन किया गया है:
 - प्राधिकारी ने जांच की शुरूआत करने से पहले पाटनरोधी आवेदन की प्राप्ति के संबंध में भारत में संबंध देश के दुतावास को सूचित किया था।
 - ii. प्राधिकारी ने चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तु से आयातों से संबंधित निर्णायक समीक्षा पाटनरोधी जांच की शुरूआत करते हुए भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित दिनांक 30 जून, 2023 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की थी।
 - iii. प्राधिकारी ने दिनांक 30 जून, 2023 की जांच शुरूआत अधिसूचना की एक प्रति भारत में संबद्ध देश के दूतावास, संबद्ध देश से ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं, अन्य भारतीय उत्पादकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को आवेदक द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार भेजी थी।
 - iv. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार संबद्ध देश से ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों तथा भारत में उसके दुतावास को आवेदन के अगोपनीय अंश की एक प्रति उपलब्ध कराई थी।
 - v. जांच शुरूआत अधिसूचना में प्राधिकारी ने उचित तुलना करने के लिए हितबद्ध पक्षकारों से प्रस्तावित पीसीएन पद्धति संबंधी टिप्पणियां आमंत्रित की थी। हितबद्ध पक्षकारों से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई

- और उसके बाद दिनांक 18 अगस्त, 2023 के पत्र द्वारा हितबद्ध पक्षकारों से जांच शुरूआत अधिसूचना के अनुसार प्रश्नावली का उनका उत्तर प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था।
- vi हितबद्ध पक्षकारों से नियमावली के नियम6 (2) और 6(4) के अनुसार विहित प्रपत्र और ढंग से संगत सूचना देने और विहित समय-सीमा के भीतर लिखित में अपने विचारों से अवगत कराने का अनुरोध किया गया था।
- vii. भारत में संबद्ध देश के दूतावास से भी उनके देश के उत्पादकों/निर्यातकों को विहित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह देने का अनुरोध किया गया था। उत्पादकों/निर्यातकों को भेजे गये पत्र और प्रश्नावली की एक प्रति संबद्ध देश से ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों के नामों और पतों के साथ दूतावास को भी भेजी गई थी।
- viii. प्राधिकारी ने नियमावली के 6(4) के अनुसार संबद्ध देश में निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को प्रश्नावलियां भेजी थीं:
 - i. झेजियांग एमिनो-केम कंपनी, लिमिटेड,
 - ii .नोरिनो ग्रुप सिचुआन नॉर्थ होंगगुआंग स्पेशल केमिकल्स लिमिटेड,
 - iii. जिआंगसु तियानजयी केमिकल कंपनी लिमिटेड,
 - iv. चाइना सन स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड,
- ix. इसके उत्तर में संबद्ध देश से निम्नलिखित निर्यातकों/उत्पादकों ने विहित प्रपत्र में निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दिया है।
 - i. झेजियांग एमिनो-केम कंपनी, लिमिटेड,
 - ii .चांगशान हाईचेंग केमिकल कंपनी, लिमिटेड,
- x. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार भारत में संबद्ध वस्तु के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को आवश्यक सूचना मंगाने के लिए आयातक प्रश्नावली भेजी थी।
 - i. ऐश्वर्या केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 - ii. अनिल कलर्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
 - iii. अंकुर केमिकल्स
 - iv. एरीज़ डाई केम इंडस्ट्रीज
 - v .एरीज़ ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
 - vi. बोडल केमिकल्स लिमिटेड यूनिट I
 - vii .केमवर्ल्ड इन्कारपोरेटेड
 - viii. छतरिया डाई स्टफ प्राइवेट लिमिटेड
 - ix. हेक्सोन इंटरकेम प्राइवेट लिमिटेड
 - x. हेक्सोन इंटरकेम प्राइवेट लिमिटेड
 - xi. इंडो कोलकेम लिमिटेड
 - xii. जैनिक इंडस्ट्रीज
 - xiii. कृष्णा इंडस्ट्रीज
 - xiv. लॉक्सिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड
 - xv. मैसेन लेबोरेटीज
 - xvi. मोनिका इंडस्ट्रीज

xvii. नोवासिड प्राइवेट लिमिटेड

xviii. ऑर्जेट इंटरमीडिएट्स प्राइवेट लिमिटेड

xix. प्रशांत इंडस्ट्रीज

xx. रोहन डाइस एंड इंटरमीडियरीज लिमिटेड

xxi. श्री पृष्कर पेट्रो प्रोडक्टस लिमिटेड

xxii. श्रीजी ऑर्गेनिक्स

xxiii. सोलर डाइज इंडस्ट्रीज

xxiv. सिंथोफार्मा केमिकल्स

xxv. हिंदप्रकाश इंटरनेशनल

xxvi. केमेक्स केमिकल

xxvii. यश केमेक्स इन्कारपोरेटेड

- xi. जवाब में, गुजरात डाइस्टफ मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (बाद में "प्रतिवादी" या "जीडीएमए" के रूप में संदर्भित) को छोड़कर किसी भी आयातक/उपयोगकर्ता ने आयातक/उपयोगकर्ता के प्रश्नावली उत्तरों का जवाब या दाखिल नहीं किया है।
- xii. प्राधिकारी ने चीन के दूतावास, सभी ज्ञात निर्यातकों, आयातकों और घरेलू उद्योग को आर्थिक हित प्रश्नावली भेजी थी। आर्थिक हित प्रश्नावली को प्रशासनिक संबद्ध मंत्रालय के साथ भी साझा किया गया था। आर्थिक हित प्रश्नावली को केवल घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया था। किसी भी अन्य हितबद्ध पक्षकार ने आर्थिक हित प्रश्नावली प्रस्तुत नहीं की है।
- xiii. यह याचिका डीजीसीआई एंड एस से प्रकाशित आंकड़ों के आधार पर दायर की गई थी। तथापि, प्राधिकारी ने पिछले तीन वर्षों और जांच की अवधि के लिए संबद्ध वस्तु के आयातों के डीजीसीआई एंड एस के सौदावार ब्यौरों पर विचार किया है।
- xiv. आवेदक और निर्यातक से आवश्यक समझी गई सीमा तक अतिरिक्त सूचना मांगी गई थी और प्रस्तावित निर्धारण में इस पर विचार किया गया है।
- xv. घरेलू उद्योग का वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ आवश्यक समझी गई सीमा तक सत्यापन किया गया था और प्रकटन विवरण के प्रयोजनार्थ ऐसी सत्यापित सुचना पर भरोसा किया गया है।
- xvi. घरेलू उद्योग ने वित्तीय आंकड़े प्रस्तुत किये हैं। क्षतिरहित कीमत)एनआईपी) को सामान्यत: स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) और नियमावली के अनुबंध III के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार भारत में संबद्ध वस्तु की ईष्टतम उत्पादन लागत और उसे बनाने और बेचने की लागत के आधार पर निर्धारित किया गया था। ऐसी क्षतिरहित कीमत पर यह पता लगाने के लिए विचार किया गया है कि क्या पाटन मार्जिन से कमतर पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।
- xvii. उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा प्रदत्त सूचना का आवश्यक समझी गई सीमा तक प्राधिकारी द्वारा सत्यापन किया गया था।
- xviii. वर्तमान जांच पाटनरोधी जांच के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि 1अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 (12 माह) की है। तथापि, क्षति जांच अवधि में 1 अप्रैल, 2019 31 मार्च, 2020, 1 अप्रैल, 2020 31 मार्च, 2021, 1 अप्रैल, 2021 31 मार्च, 2022 और पीओआई की अवधि पर विचार किया गया हैं।
- xix. नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को प्राधिकारी के समक्ष मौखिक रूप से संगत सूचना प्रस्तुत करने का अवसर देने के लिए 29सितंबर, 2023 को एक मौखिक सुनवाई आयोजित की थी। मौखिक सुनवाई में भाग लेने वाले सभी पक्षकारों से मौखिक रूप से व्यक्त विचारों को

- 6.10.2023 तक लिखित रूप में प्रस्तुत करने की सलाह दी गई थी। लिखित अनुरोधों का अगोपनीय अंश ई-मेल द्वारा हितबद्ध पक्षकारों को परिचालित किया गया था और उन्हें 10.10.2023 तक खंडन अनुरोध यदि कोई हों, प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया था।
- xx. लिखित अनुरोधों में दिये गये तर्कों/हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त खंडनों पर वर्तमान प्रकटन विवरण में विचार किया गया है।
- xxi. इस जांच की प्रक्रिया के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये अनुरोधों पर उनके संगत पाये जाने पर प्राधिकारी द्वारा इस प्रकटन विवरण में ध्यान दिया गया है।
- xxii. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की गोपनीयता के दावे की प्रर्याप्तता के संबंध में जांच की गई थी। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने गोपनीयता के दावे को जहां आवश्यक हो, स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना है और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को इसका प्रकटन नहीं किया है। जहां संभव हो, गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना का पर्याप्त अगोपनीय अंश प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था।
- xxiii. जहां कहीं भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच की प्रक्रिया के दौरान आवश्यक सूचना देने से मना किया है या अन्यथा उसे उपलब्ध नहीं कराया है या जांच में अत्यधिक बाधा डाली है, वहां प्राधिकारी ने ऐसे हितबद्ध पक्षकारों को असहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष दर्ज किये हैं।
- xxiv. नियमों के नियम 16 के अनुसार, जांच के आवश्यक तथ्यों को दिनांक 17.10.2023 के प्रकटीकरण विवरण के माध्यम से ज्ञात इच्छुक पार्टियों को बताया गया था और उस पर प्राप्त टिप्पणियों, जिन्हें प्राधिकरण द्वारा प्रासंगिक माना गया था, को इन अंतिम निष्कर्षों में संबोधित किया गया है। इन अंतिम निष्कर्षों में प्रासंगिक समझी जाने वाली सीमा तक प्रकटीकरण के बाद की प्रस्तुतियों की जांच की जा रही है।
- xxv. प्राधिकारी द्वारा संबद्ध जांच के लिए अपनाई गई विनमय दर 1 अमेरिकी डॉलर = 81. 06है।

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

ग.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

8. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के दायरे के बारे में अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने कोई अनुरोध नहीं किया है।

ग.2 घरेलू उद्योग के विचार

- 9. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में घरेलू उद्योग के विचार निम्नानुसार हैं:
 - i. वर्तमान याचिका में विचाराधीन उत्पाद "मेटा फिनाइलीन डायमाइन (एमपीडीए)" है।
 - ii. मेटा फिनाइलीन डायमाइन के दो अमीनो ग्रुप होते हैं जो एक दूसरे के संबंध में मेटा स्थितियों में एक बेंजीन रिंग से जुड़े होते हैं। यह ओ - फिनाइलीन डायमाइन (ओरथो फिनाइलीन डायमाइन) और पी -फिनाइलीन डायमाइन (पैरा फिनाइलीन डायमाइन) का एक आइसोमर है।
 - iii. एमपीडीए एक रासायनिक रिएजेंट है। एमपीडीए के विभिन्न अंतिम अनुप्रयोग क्षेत्र हैं जैसे अरामिड, फाइबर, विनिर्माण, इंजीनियरिंग पॉलीमर, डाई विनिर्माण, फोटोग्राफी और चिकित्सा आदि।
 - iv. चीन जन. गण. से निर्यातित और भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित पीयूसी में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। वर्तमान मामले में आयातित और घरेलू उत्पाद दोनों भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रिक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा टैरिफ वर्गीकरण आदि जैसे मापदंडों के अनुसार तुनलीय विशेषताओं वाले हैं। उपभोक्ता इन दोनों का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं और कर रहे हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और इसलिए समान वस्तु हैं।

v. विचाराधीन उत्पाद को सामान्यत: एचएस कोड 29215120 के अंतर्गत आयातित किया जाता है। तथापि, आयात अन्य एचएस कोडों के अंतर्गत भी हो सकते हैं इसलिए यह स्पष्ट किया गया है कि एचएस कोड केवल सांकेतिक हैं और उत्पाद का वर्णन सभी परिस्थितियों में लागू होगा।


ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच


10. वर्तमान जांच चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "मेटा फिनाइलीन डायमाइन (एमपीडीए)" के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क से संबंधित निर्णायक समीक्षा जांच है। अत: वर्तमान जांच में पीयूसी मूल जांच में पीयूसी के समान है। मूल जांच में विचाराधीन उत्पाद को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

"2. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद "मेटा फिनाइलीन डायमाइन (एमपीडीए)" है। वाणिज्यिक रूप से इसे एमपीडी या एमपीडीए भी कहा जाता है। सामान्य (कमरें) की स्थिति में यह एक रंगहीन या सफेद रंग का ठोस है जो भंडारण पर हवा में लाल, बैंगनी (गहरे रंग) का हो जाता है। मेटा फिनाइलीन डायमाइन के दो अमीनों ग्रुप होते हैं जो एक दूसरे के संबंध में मेटा पोजिशन पर बेंजीन रिंग से जुड़े होते हैं। यह ओ - फिनाइलीन डायमाइन (ओरथो फिनाइलीन डायमाइन) और पी - फिनाइलीन डायमाइन (पैरा फिनाइलीन डायमाइन) का एक आइसोमर है। मेटा फिनाइलीन डायमाइन एक रासायन मध्यवर्ती के रूप में कार्य करता है। एक रासायनिक मध्यवर्ती के रूप में एमपीडीए का प्रयोग रंगों, इंजिनियंरिंग पॉलीमर, अरामिड फाइबर, और फोटोग्राफी तथा चिकित्सा अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है।"

10. वर्तमान निर्णायक जांच में पीयूसी 'मेटा फिनाइलीन डायमाइन' है जिसे एमपीडीए भी कहा जाता है। पीयूसी के अन्य नाम एम- फिनाइलीन डायमाइन; 1,3-डायमिनोबेंजीन; 1, 3- बेंजेनडायमाइन, एम-अमीनोएनिलीन; एम बेंजेनडायमाइन, एम-डायमिनोबेंजीन; 1,3-फेनिलेनेडियमीन; 3-अमीनोएनिलिन, एम-फेनिलेंडियामिन, फेनिलेंडियामाइन, एम; और फेनिलेनिडामाइन, एम. वाणिज्यिक रूप से इसे एमपीडी एमपीडीए भी कहा जाता है।

- 11. विचाराधीन उत्पाद को सामान्यत: सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 29 के अंतर्गत शीर्ष 2921 और उपशीर्ष 29215120 के अधीन वर्गीकृत किया जाता है। विचार किये गये एचएस कोड केवल सांकेतिक हैं और उत्पाद वर्णन वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ निर्णायक है।
- 12. पीयूसी एक रासायनिक मध्यवर्ती के रूप में कार्य करता है। मेटा फिनाइलीन डायमाइन के विभिन्न अंतिम अनुप्रयोग क्षेत्रों में अरामिड फाइबर निर्माण, इंजीनियरिंग पॉलिमर, डाई विनिर्माण, फोटोग्राफी आदि शामिल हैं। सबसे आम उपयोग डाई और पॉलिमर में हैं।
- 13. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण की दृष्टि से तुलनीय हैं। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से आयातित वस्तु नियमावली के अनुसार समान वस्तु हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। प्राधिकारी यह मानने का प्रस्ताव करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(घ) के दायरे और अर्थ के भीतर संबद्ध देशों से आयातित विचराधीन उत्पाद के समान वस्तु है।





ङ. घरेलू उद्योग का दायरा और उसकी स्थिति

ड.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

14. घरेलू उद्योग की स्थिति और दायरे के बारे में किसी भी अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने कोई अनुरोध नहीं किये हैं।

ड.2 घरेलू उद्योग के विचार

- 15. घरेलू उद्योग की स्थिति और दायरे के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किये गये हैं:
 - यह आवेदन मैसर्स आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक के पास भारत में संबंधित उत्पाद के कुल भारतीय उत्पादन में प्रमुख हिस्सा)*** प्रतिशत) है।
 - ii. यह आवेदन मेसर्स अनुपम रसायन द्वारा आवेदन प्रस्तुत करते समय समर्थित था।
 - iii. आवेदक न तो चीन जन. गण. में विचाराधीन उत्पाद के किसी उत्पादक / निर्यातक से संबंधित है और न ही भारत में किसी आयातक या संबद्ध देश में किसी निर्यातक से संबंधित है। इसके अलावा, आवेदक ने चीन जन. गण. से विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है। इस प्रकार आवेदक को नियमावली के अनुसार पात्र घरेलू उद्योग माना जाना चाहिए।
 - iv. आवेदक के पास नियमावली के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग की पर्याप्त स्थिति है और वह घरेलू उद्योग है। यद्यपि निर्णायक समीक्षा जांच में यह अनिवार्य शर्त नहीं है।

ड.2 प्राधिकारी द्वारा जांच

16. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित करता है: -

"घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा उन उत्पादकों से है, जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है, परन्तु जब ऐसे उत्पादक कथित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं या वे स्वयं उसके आयातक होते हैं। ऐसे मामले "घरेलू उद्योग" शेष उत्पादकों को समझा जाएगा।

- 17. यह आवेदन मैसर्स आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। यह देखा गया है कि आवेदक पिछली दो जांचों में एक मात्र उत्पादक है। आवेदक के पास पहले *** एमटी की क्षमता थी। तथापि, आवेदक ने 2016-17 में क्षमता को बढ़ाकर *** कर दिया।
- 18. आवेदक एपीआई, भेषज, और खाद्य/पेय उद्योग के लिए जेनरिक मध्यवर्ती और जेंथाइन यूथ पत्तियों के कार्य में शामिल है। कंपनी की वेबसाइट के अनुसार कंपनी के पास चार स्थानों डोंबिवली, वापी, तारापुर, अटाली में विनिर्माण सुविधाओं के साथ अनेक विभिन्न उत्पादों के उत्पादन की सुविधाएं हैं। तथापि, एमपीडीए के लिए विनिर्माण सुविधाएं एकल हैं और उनका केवल विशेष रूप से एमपीडीए के उत्पादन में प्रयोग किया जाता है। यह पाया गया था कि विनिर्माण सुविधाओं को किसी अन्य उत्पाद के उत्पादन में प्रयोग नहीं किया गया है। सत्यापन के दौरान आवेदक ने दर्शाया था कि इन सुविधाओं में कोई अन्य उत्पाद उत्पादित नहीं हो सकता है।
- 19. मैसर्स अनुपम रसायन 2018- 19में [***] एमटी की क्षमता के साथ स्थापित हुआ है और उसने 2019 से उत्पादन शुरू किया है। अनुपम रसायन ने जांच का समर्थन किया है और शुल्क जारी रखने का अनुरोध किया है।
- 20. आवेदक ने अनुपम रसायन के उत्पादन को उसकी क्षमता के बराबर स्तर पर रखा है। तथापि, जांच शुरूआत के बाद अनुपम रसायन ने पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की मांग करते हुए एक पत्र प्रस्तुत किया है। कंपनी ने अपने उत्पादन और घरेलू बिक्रियों के ब्यौरे दिये हैं। यह देखा गया है कि जांच अविध में अनुपम रसायन की बिक्रियों का उत्पादन उस स्तर से काफी कम हैं जिसे आवेदक ने माना था। चूंकि कंपनी ने अब संगत सूचना दी है इसलिए प्राधिकारी ने वर्तमान प्रकटन विवरण के प्रयोजनार्थ और प्रस्तावित निर्धारण के लिए अनिवार्य तथ्यों को सिद्ध करने के लिए उस पर विचार किया है।
- 21. रिकॉर्ड पर जानकारी से पता चलता है कि आवेदक द्वारा किया गया उत्पादन *** %से अधिक है, यानी, कुल भारतीय उत्पादन का "एक बड़ा हिस्सा"। तथापि, यथा उपलब्ध समर्थक द्वारा प्रदत्त संगत सूचना की फिर भी यह पता लगाने के लिए संगत स्थानों पर अलग से जांच की गई है कि क्या उसका निष्पादन आवेदक की तुलना में वास्तव में अलग स्थिति दर्शाता है।
- 22. ऊपर दिये गये अनुसार रिकार्ड की सामग्री की जांच पर और विधिक प्रावधानों पर विचार करते हुए प्राधिकारी मानते हैं कि आवेदक पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख (के अनुसार घरेलू उद्योग है और आवेदन नियमावली

के नियम 5(3) के अनुसार स्थिति संबंधी मापदंडों को पूरा करता है। यद्यपि नियम 23 के अंतर्गत शुरू की गई निर्णायक समीक्षा में नियम 5(3) के भीतर स्थिति को सिद्ध करना अपेक्षित नहीं है।

च. गोपनीयता से संबंधित मुद्दे और विविध अनुरोध

च.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

- 23. गोपनीयता एवं विविध अनुरोधों के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किये गये हैं:
 - i. आवेदक ने उत्पादन प्रवाह चार्ट आदि जैसी अनिवार्य सूचना के गोपनीय होने का दावा किया है।
 - ii. यदि प्राधिकारी पाते हैं कि गोपनीयता अनावश्यक है और सूचना प्रदाता, सूचना को सार्वजनिक करना या उसके प्रकटन को प्राधिकृत नहीं करना चाहता है तो प्राधिकारी ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।
 - iii. गोपनीय आधार पर किसी पक्षकार द्वारा प्रदत्त प्रत्येक सूचना को तब तक गोपनीय नहीं माना जा सकता है जब तक वह उसके कारणों से समर्थित न हो और प्राधिकारी द्वारा उसे स्वीकार नहीं किया जाए।
 - iv. निर्णायक समीक्षा जांच को केवल तभी शुरू किया जा सकता है जब पाटन, वास्तविक क्षति, उसकी संभावना और कारणात्मक संबंध के साक्ष्य मौजूद हों।
 - v. वर्तमान समीक्षा में प्रदत्त अपर्याप्त सूचना नियम 5(3) के अंतर्गत जांच शुरूआत उचित नहीं ठहराती है। याचिकाकर्ता वर्तमान जांच की शुरूआत को न्यायसंगत ठहराने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं दे पाया है। प्राधिकारी ने "पर्याप्त साक्ष्य"की अपेक्षा के बजाय "प्रथमदृष्ट्या"साक्ष्य को पाया है।
 - vi जांच शुरूआत अधिसूचना का पैरा 17 जिसमें डीजीटीआर ने प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य शब्द का प्रयोग किया है और प्रथमदृष्ट्या को परिभाषित और पर्याप्त को बताने के लिए ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का प्रयोग किया है। प्राधिकारी को *"पर्याप्त"* साक्ष्य की अपेक्षा के बजाय "प्रथमदृष्ट्या" साक्ष्य मिले हैं। अमेरिका कनाडा, ग्वाटेमाला से सॉफ्टवुड लुंबर सीमेंट 2 और मैक्सिको स्टील पाइप और ट्यूब में पैनल के निर्णय का उल्लेख किया गया है।

च.2 घरेलू उद्योग के विचार

- 24. गोपनीयता और विविध अनुरोधों के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किये गये हैं:
 - i. प्रतिवादी ने ऐसी सूचना पर गोपनीयता का दावा किया है जो गोपनीय नहीं है जैसे उनकी वित्तीय स्थिति और चीन के उत्पादन का विवरण। इससे घरेलू उद्योग अपने अनुरोध नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उनके पास इस सूचना तक पहुंच नहीं है।
 - ii. कच्ची सामग्री, सुविधाएं, अन्य परिवर्तन लागत और प्रपत्र सी-1 में सूचित ब्याज लागत से संबंधित सूचना को अगोपनीय सारांश दिये बिना गोपनीय माना गया है।
 - आवेदक ने केवल ऐसी सूचना का गोपनीय होने का दावा किया गया है जो सावर्जनिक डोमेन में नहीं है
 और नही प्रकटन हेतु उक्त कानून में अधिदेशित है। इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने गोपनीयता का दावा करने के लिए उचित स्थानों पर कारण बताएं हैं।
 - iv. प्रतिवादियों ने निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर में अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है और उससे टिप्पणी करने के हमारे अधिकार में कटौती हो जाती है क्योंकि उत्तरों से गोपनीयता का कोई सही कारण बताए बिना सार्थक सारांश नहीं मिलता है। संबद्ध देशों से सभी निर्यातकों और उत्पादकों के अनुरोधों की अनदेखी की जानी चाहिए और उन्हें अलग व्यवहार नहीं देना चाहिए।
 - v. यद्यपि हितबद्ध पक्षकार ने यह अनुरोध किये हैं कि पाटन, वास्तविक क्षति, उसकी संभावना और कारणात्मक संबंधी के अपर्याप्त साक्ष्य हैं, तथापि, हितबद्ध पक्षकार यह बताने में विफल रहे हैं कि सूचना कैसे अपर्याप्त है। प्रतिवादी ने नियम 5(3) के अंतर्गत पर्याप्तता की जरूरत और प्रथमदृष्ट्या शब्द के बीच भ्रम उत्पन्न करने का अनावश्यक प्रयास किया है जबकि प्राधिकारी विस्तृत जांच के बाद प्रथमदृष्ट्या मामला बनाते हैं।
 - vi प्रतिवादी उत्पादक/निर्यातक ने पाटन के अभाव को सिद्ध करने के बजाय प्राधिकारी के विश्लेषण की सत्यता और प्रकृति पर निराधार आरोप लगाना चाहा है।

च.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

- 25. आवेदक तथा हितबद्ध पक्षकारों द्वारा जांच की प्रक्रिया के दौरान गोपनीयता के संबंध में किये गये विभिन्न अनुरोधों की संगत समझी गई सीमा तक प्राधिकारी द्वारा निम्नानुसार जांच की गई है:
- 26. सूचना की गोपनीयता के बारे में पाटन-रोधी नियमावली के नियम 7 में उल्लिखित प्रावधान निम्नानुसार है:

"गोपनीय सूचना - (1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

- (2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।
- (3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।"
- 27. प्राधिकारी मानते हैं कि कोई सूचना जो स्वभाव से गोपनीय हो (उदाहरण के लिए क्योंकि उसके प्रकटन से प्रतिस्पर्धी को भारी प्रतिस्पर्धी लाभ मिल जाएगा या उसके प्रकटन के सूचना देने वाले व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति जिससे सूचना ली गई है, पर काफी अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है), या जिसे किसी जांच में उचित कारण बताते हुए पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर दिया गया है उसे प्राधिकारी द्वारा गोपनीय माना जाना चाहिए। ऐसी सूचना को उसे प्रस्तुत करने वाले पक्षकार की विशिष्ट अनुमित के बिना प्रकट नहीं किया जा सकता है।
- 28. प्राधिकारी ने आवेदक और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये गोपनीयता के दावों पर विचार किया है और उनसे संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने गोपनीयता के दावों की अनुमित दी है। प्राधिकारी ने निरीक्षण के लिए विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय अंश सभी हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराये हैं।
- 29. आवेदन के वर्तमान जांच की शुरूआत के लिए न्यायसंगतता के अभाव के बारे में किये गये अनुरोध के संदर्भ में प्राधिकारी मानते हैं कि जांच शुरूआत के लिए अपेक्षाओं को पूरा किया गया था। इस संबंध में प्राधिकारी ने जांच शुरूआत के समय किये गये अनुरोधों और रिकार्ड में रखे गये साक्ष्य को नोट किया था और यह माना था कि यदि चीन जन. गण. से आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क को समाप्त होने दिया जाता है तो पाटन के जारी रहने या पुनरावृत्ति होने को दर्शाने वाले पर्याप्त साक्ष्य मौजुद थे।
- 30. प्राधिकरण नोट करता है कि प्रतिवादी निर्यातक/निर्माता ने प्रस्तुतीकरण किया है जिसमें "प्रथम दृष्टया" मामले की व्याख्या "पहली छाप" के रूप में प्रस्तुत की गई है। प्राधिकरण ब्लैक के कानून शब्दकोश को संदर्भित करता है जिसमें "प्रथम दृष्टया मामला" शब्द को इस प्रकार परिभाषित किया गया है:

"मुकदमा करने वाले पक्ष को प्रथम दृष्टया मामला तब कहा जाता है जब पक्ष के पक्ष में सबूत पर्याप्त रूप से मजबूत होते हैं ताकि उसके प्रतिद्वंद्वी को इसका जवाब देने के लिए बुलाया जा सके। प्रथम दृष्टया मामला वह है जो पर्याप्त सबूतों द्वारा स्थापित किया गया है, और इसे केवल दूसरे पक्ष द्वारा पेश किए गए सबूतों का खंडन करके ही खत्म किया जा सकता है।

31. इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने अपने प्रस्तुतीकरण में रामजी लाल महेंद्र कुमार बनाम नरेश कुमारी और अन्य के मामले में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के एक फैसले का संदर्भ दिया है। जिसमें यह माना गया कि:

"प्रथम दृष्टया मामले का मतलब है कि इस पर गंभीरता से विचार, जांच या निर्धारण की आवश्यकता है। इस स्तर पर इसका मतलब सबूत नहीं है। इसका अर्थ है वास्तविक विवाद, जिसमें मामले पर पूर्व-निर्णय किए बिना निर्धारण की आवश्यकता होती है। मामले का निर्णय करने का उचित चरण मुकदमे के समापन पर होता है जब पूरे तथ्य न्यायालय के समक्ष रखे जाते हैं।

- 32. इस प्रकार यह देखा गया है कि "प्रथम दृष्टया" का अर्थ पर्याप्त साक्ष्य है न कि "पहली छाप" जैसा कि इच्छुक पार्टी ने आरोप लगाया है। प्राधिकरण ने आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई जानकारी के विश्लेषण से, शुरुआत के चरण में, नोट किया था कि डंपिंग और क्षिति मार्जिन सकारात्मक है, क्षिति अविध के दौरान घरेलू उद्योग का प्रदर्शन खराब हो गया है, उत्पादकों के पास महत्वपूर्ण क्षमताएं थीं। चीन, चीनी उत्पादक अत्यधिक निर्यात उन्मुख हैं, और चीनी उत्पादक घरेलू उद्योग द्वारा रखे गए साक्ष्य के आधार पर और विस्तार कर रहे हैं। प्राधिकरण का मानना है कि उपर्युक्त टिप्पणियाँ डंपिंग और क्षित के जारी रहने या पुनरावृत्ति की संभावना की विस्तार से जांच करने के लिए निर्णायक समीक्षा जांच शुरू करने के लिए पर्याप्त हैं।
- 33. इसके अलावा, अन्य इच्छुक पार्टियों का तर्क अप्रमाणित है और उसमें कोई ठोस आधार नहीं है। इच्छुक पार्टियों ने यह निर्दिष्ट नहीं किया है कि उन्हें प्राप्त आवेदन में इच्छुक पार्टियों को वास्तव में क्या कमी लगती है। विशिष्ट उदाहरणों या आधारों के अभाव में, जिनकी आवेदन में कमी है, प्राधिकरण इसका विस्तार से समाधान नहीं कर सकता है। प्राधिकरण ने आवेदन की खूबियों का आकलन करते समय और उसके बाद जांच आगे बढ़ने के दौरान एक उद्देश्यपूर्ण और निष्पक्ष प्रक्रिया का पालन किया है।

छ. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण

छ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

- 34. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किये गये हैं:
 - i. आवेदक ने गलत ढंग से चीन जन. गण. की निर्यात कीमत पर दावा किया है।
 - ii. आवेदक ने चीन जन. गण. से निर्यात कीमत की गणना करते समय समुद्री बीमा, पत्तन व्यय, बैंक प्रभार, कमीशन, अंतरदेशीय भाड़े के लिए निराधार समायोजनों का दावा किया है।
 - iii. निर्यात कीमत गुमराह करने वाली है। आवेदक द्वारा दावा किया गया परिणामी पाटन मार्जिन भी गलत और भ्रामक है।

छ.2 <u>घरेलू उद्योग के विचार</u>

- 35. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के निर्धारण के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किये गये हैं:
 - संबद्ध देश पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बावजूद भारत में पाटन करना जारी रखे हुए है।
 - ii. अपनाई गई प्रौद्योगिकी और संबद्ध वस्तु के उत्पादन में प्रयुक्त विनिर्माण प्रक्रिया या चीन में कच्ची सामग्री की कीमत में कोई खास अंतर नहीं है। इसलिए गणनाएं न्यायोचित हैं।
 - iii. प्रतिवादियों को तब तक बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा नहीं दिया जा सकता जब तक प्रतिवादी निर्यातक यह सिद्ध न करें कि उनका कोई भी शेयरधारक राष्ट्र के स्वामित्व/नियंत्रण वाली कंपनी नहीं है, यह कि प्रमुख निविष्टियों की कीमतें पर्याप्त रूप से बाजार मूल्य दर्शाती हैं; जब तक कि चीन के प्रतिवादी निर्यातक नियमावली के अंतर्गत निर्धारित प्रत्येक मापदंड के संबंध में सही सिद्ध न हों और यह कि प्रतिवादी कंपनी ने पीयूसी में शामिल अपने संबंधित पक्षकारों के साथ वर्तमान जांच में भाग लिया हो।
 - iv. बाजार अर्थव्यवस्था का व्यवहार वहां नहीं दिया जा सकता, जहां चीन के निर्यातक यह सिद्ध नहीं कर पाएं कि उनके बही खाते अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानकों (आईएएस) से संगत हैं।
 - v. चीन के लिए ऐसे मामले में सामान्य मूल्य पूर्वोक्त तथ्यों और परिस्थितियों के मद्देनजर केवल पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-l के पैरा 7 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया जा सकता है।

- vi आवेदक ने संबद्ध देश के घरेलू बाजार में उपभोक्ताओं के साथ उनके घरेलू बाजारों में कीमत उद्धरण प्राप्त करके और प्रकाशित स्रोतों के जरिये संबंधित उत्पाद की कीमत से साक्ष्य लेने के प्रयास किये हैं। तथापि, कोई प्रकाशित नहीं पाया गया।
- vii. उत्पादक और उपभोक्ता के बीच कीमतों का सौदा हुआ है और इसलिए यह सार्वजनिक डोमेन में नहीं है। इस प्रकार प्रकाशित स्रोतों से संबद्ध देश के घरेलू बाजार में पीयूसी की वास्तविक सौदा बिक्री कीमत के बारे में कोई तर्कसंगत, प्रमाणिक और सटीक सूचना नहीं मिल सकी है।
- viii. विचाराधीन उत्पाद के लिए चीन में सामान्य मूल्य इस कारण से बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे देश में कीमत या परिकलित मूल्य के आधार पर निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि संगत सूचना सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है।
- ix. चीन में सामान्य मूल्य को ऐसे तीसरे देश से भारत सहित अन्य देश को कीमत के आधार पर निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि अन्य देशों को बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देशों से निर्यात से संबंधित संगत सूचना सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है।
- x. आवेदक ने कच्ची सामग्री और सुविधाओं के लिए घरेलू उद्योग के खपत मानकों पर विचार करते हुए उत्पादन लागत के आधार पर, घरेलू उद्योग के अनुसार सभी कच्ची सामग्रियों की कीमत लेकर और उन्हें बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्ययों के लिए समायोजित करके तथा आवेदक के खपत मानकों पर विचार करते हुए चीन में सामान्य मूल्य निर्धारित किया है।
- xi. निर्यात कीमत को उद्योग के पास उपलब्ध सर्वोत्तम सूचना के आधार आवश्यकत समायोजन करने के बाद आयात आंकड़ों से उपलब्ध सूचना के आधार पर परिकलित किया गया है। ताकि उसे सामान्य मूल्य से तुलनीय बनाया जा सके।
- xii. पाटन मार्जिन सकारात्मक है और काफी अधिक है।
- xiii. केवल यही तथ्य कि आवेदक ने पाटन किया है। इस बात से सिद्ध होता है कि उन्होंने पाटन की मौजूदगी से इंकार नहीं करते हुए उसे मौन रूप से स्वीकार किया है।
- xiv. किसी भी निर्यातक ने बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार का दावा नहीं किया है। वास्तव में उन्होंने बताया है कि वे बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार के लिए अनुरोध नहीं करते हैं और यह कि डीजीटीआर द्वारा निर्धारित सामान्य मूल्य को स्वीकार करते हैं।
- xv. प्राधिकारी प्रतिवादी निर्यातक द्वारा प्रदत्त सूचना का सत्यापन कर सकते हैं और उचित सामान्य मूल्य निर्धारित कर सकते हैं।

छ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

- 36. धारा 9(1)(ग) के अधीन, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:
 - (i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा
 - (ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मुल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:
 - (क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा
 - (ख) उपधारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उदगम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत:

परंतु यदि उक्त वस्तु का आयात उदगम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल स्थानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उदगम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

- 37. डब्ल्यू टी ओ में चीन के एक्सेशन प्रोटोकोल के अनुच्छेद 15 में निम्नानुसार व्यवस्था है:
 - "जी ए टी टी 1994का अनुच्छेद-VI, टैरिफ और व्यापार पर सामान्य करार, 1994 ("पाटनरोधी करार" (के अनुच्छेद-VI का कार्यान्वयन संबंधी करार और एससीएम करार किसी डब्ल्यू टी ओ सदस्य में चीन के मूल के आयातों में शामिल कार्यवाही में निम्नलिखित के संगत लागू होगा :
 - (क) जीएटीटी, 1994 के अनुच्छेद-VI और पाटनरोधी करार के अंतर्गत कीमत तुलनीयता के निर्धारण में आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे या उस पद्धति को उपयोग करेंगे जो निम्नलिखित नियमों के आधार पर चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्ती से तुलना करने में आधारित नहीं है:
 - (i) यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती है तो आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।
 - (ii) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त तुलना पर आधारित नहीं है, यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग के लिए लागू नहीं हैं।
 - (ख) एससीएम समझौते के भाग II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राज्य हायता को बताते समय एससीएम समझौते के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष किठनाईयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए ऐसी पद्धित का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखा जाए कि चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती है। ऐसी पद्धितयों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों के उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यामान निबंधन और शर्तों को समायोजित करना चाहिए।
 - (ग) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैराग्राफ (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी प्रक्रिया समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को सब्सिडी तथा प्रतिसंतुलनकारी उपायों संबंधी समिति को अधिसुचित करेगा।
 - (घ) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के तहत चीन के एक बार बाजार अर्थव्यवस्था सिद्ध हो जाने पर, उप पैराग्राफ के प्रावधान (क) के प्रावधान समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते कि आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में एक्सेशन की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ (क)(ii) के प्रावधान एक्सेशन की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त हो जाएंगे। इसके अलावा, आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।"
 - 38. यह नोट किया जाता है कि यद्यपि अनुच्छेद 15(क)(ii(में दिए गए प्रावधान 11.12.2016 को समाप्त हो गए हैं, तथापि एक्सेसन प्रोटोकॉल के 15(क)(i (के अधीन दायित्व के साथ पठित डब्ल्यूटीओ करार के अनुच्छेद 2.2.1.1 के अंतर्गत प्रावधानों में भारत की एडी नियमावली के अनुबंध-। के पैरा 8 में निर्धारित मापदंड को बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे के दावे संबंधी पूरक प्रश्नावली में दी जाने वाली सूचना/आंकड़ों के ज़रिए पूरा करना अपेक्षित है।
- 39. जांच शुरूआत के समय प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार कार्रवाई की थी। जांच शुरूआत करने पर प्राधिकारी ने चीन जन. गण. के उत्पादकों/निर्यातकों को जांच शुरूआत की सूचना का उत्तर देने और उनके बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे के निर्धारण के लिए संगत सूचना देने के लिए कहा था। प्राधिकारी ने सभी ज्ञात

उत्पादकों/निर्यातकों को नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 8(3) में निर्धारित मापदंडों के अनुसार गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की धारणा की खंडन के लिए और संगत विस्तृत सूचना प्रस्तुत करने के लिए पूरक प्रश्नावली की प्रतियां भेजी थीं। प्राधिकारी ने चीन जन. गण. की सरकार से संगत सूचना प्रदान करने हेतु चीन जन. गण. में उत्पादकों/निर्यातकों को उत्तर देने की सलाह देने का अनुरोध भी किया था। केवल एक उत्पादक/निर्यातक ने (अर्थात झेजियांग एमिनो-केम कंपनी, लिमिटेड, चीन) ने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत करके जांच में सहयोग किया है।

40. किसी भी निर्यातक/उत्पादक ने चीन के एनएमई दर्जे का विरोध नहीं किया है। इस प्रकार उक्त स्थिति के मद्देनजर और चीन की किसी निर्यातक कंपनी द्वारा गैर-बाजार अर्थव्यवस्था धारणा के खंडन के अभाव में प्राधिकारी वर्तमान जांच में चीन जन. गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था देश मानना उचित समझते हैं और चीन जन. गण. के मामले में सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 के अनुसार कार्रवाई करने का प्रस्ताव करते हैं।

छ.4 चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य

- 41. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग या अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देशों में कीमतों के बारे में कोई साक्ष्य प्रदान नहीं किया गया है। किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देशों पर उत्पादन लागत संबंधी सूचना नहीं दी है। यह दावा किया गया है कि संबद्ध वस्तु अधिकांशत: भारत और चीन में उत्पादित होती है। भारत में आयातों के बारे में आयात केवल चीन से हुए हैं। चीन के अलावा किसी अन्य देश से आयात नहीं हुए हैं। इस प्रकार तीसरे देश से भारत सहित अन्य देश को कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता है।
- 42. अत: प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली 1995 के अनुबंध-। के पैरा 7 में यथा निर्धारित "भारत में वास्तव में प्रदत्त या देय कीमत" के अनुसार चीन जन. गण. से संबद्ध आयातों के लिए सामान्य मान (CNV) का निर्माण किया है। इसे घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत के आधार पर बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय तथा लाभ के लिए उचित योग करके परिकलित किया गया है।

छ.5 निर्यात कीमत

झेजियांग एमिनो-केम कंपनी, लिमिटेड, चीन जन, गण, और चांगशान हाईचेंग केमिकल कंपनी लिमिटेड

- 43. प्रस्तुत उत्तरों से यह नोट किया जाता है कि झेजियांग एमिनो-केम कंपनी, लिमिटेड और उसकी असंबंधित व्यापारी चांगशान हाईचेंग केमिकल कंपनी लिमिटेड भारत में संबंधित उत्पाद के उत्पादन और निर्यातों में शामिल है।
- 44. झेजियांग एमिनो-केम कंपनी, लिमिटेड एक सीमित दायित्व कंपनी है जिसे पीआरसी के कंपनी कानून के अंतर्गत 22नवंबर, 2005 को स्थापित किया गया है।
- 45. पीओआई के दौरान झेजियांग एमिनो-केम कंपनी, लिमिटेड, चीन जन. गण. में *** आरएमबी बीजक मूल्य पर भारत को *** एमटी संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है जिसमें से कंपनी ने *** एमटी का भारत को सीधे निर्यात किया है और *** एमटी की शेष मात्रा को भारत को एक असंबंधित निर्यातक/व्यापारी अर्थात चांगशान हाईचेंग केमिकल कंपनी लिमिटेड के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से निर्यात किया गया है।
- 46. उत्पादक/निर्यातक ने समुद्री भाड़ा, पत्तन और अन्य संबंधित व्यय, बीमा, अंतरेदेशीय परिवहन, ऋण लागत, बैंक प्रभार के लिए समायोजन का दावा किया है और प्राधिकारी ने उनकी अनुमित दी है। तदनुसार, झेजियांग एमिनो-केम कंपनी, लिमिटेड के लिए कारखानाद्वार निर्यात कीमत निर्धारित की गई है और उसे नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

चीन से असहयोग करने वाले उत्पादकों और निर्यातकों का निर्यात मूल्य

47. चीन से गैर-प्रतिक्रिया देने वाले उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात मूल्य प्रतिसाद देने वाले निर्यातक के निर्यात लेनदेन को ध्यान में रखते हुए उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है।

ज. पाटन मार्जिन का निर्धारण

48. जैसा कि ऊपर बताया गया है, निर्मित सामान्य मूल्य और शुद्ध निर्यात मूल्य (एनईपी) के आधार पर उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्धारित डंपिंग मार्जिन इस प्रकार है:

पाटन मार्जिन तालिका

			एनआईपी	ईपी पाटन मा		र्जेन	
क्र. सं. उत्पादक/निर्यातक	यूएसडी/केजी	यूएसडी/केजी	यूएसडी/केजी	%	% रेंज		
1	झेजियांग एमिनो-केम कंपनी, लिमिटेड	***	***	***	***	40-50	
2	अन्य	***	***	***	***	50-60	

झ. क्षति और कारणात्मक संबंध का आकलन

झ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये अनुरोध

- 49. क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किये गये हैं:
 - शुल्क पिछले 10 वर्षों से अधिक से लागू है। फिर भी याचिकाकर्ता आधार वर्ष की तुलना में जांच अविध के दौरान अपने उत्पादन/क्षमता तथा बिक्रियों में वृद्धि करने में असमर्थ हैं।
 - ii. ऐसा लगता है कि चीन जन. गण. के आयातों के अलावा कुछ कारक हैं जिनसे घरेलू उद्योग को क्षित हुई
 है। प्राधिकारी को संबद्ध देशों से इतर ऐसे ज्ञात कारकों की जांच करनी चाहिए जिनसे घरेलू उद्योग को
 क्षित हुई हो।
 - iii. प्राधिकारी को उन अन्य कारकों से क्षतिकारी प्रभाव से पाटित आयातों के क्षतिकारी प्रभाव को पृथक और अलग करना चाहिए।
 - iv. वर्तमान मामले में अन्य कारकों में कमजोर मांग कम कीमत का महौल, कोरोना वायरस का प्रभाव, प्राप्तियों में गैर-आनुपातिक गिरावट, प्रतिकूल स्टॉक मूल्य दर, विदेशी मुद्रा घाटे में वृद्धि, उच्चतर स्टोर और स्पेयर व्यय, मरम्मत और रख-रखाव, सुरक्षा व्यय, मूल्यह्रास और ब्याज प्रभार, संयंत्र का बंद होना आदि शामिल हो सकते हैं।
 - v. याचिका के अनुसार कंपनी बाजार से संबंधित शटडाउन के कारण 2022 के दौरान 146 दिनों के लिए बंद रही थी।
 - vi. संरक्षण के 10 वर्षों के बाद घरेलू उद्योग अब भी यह तर्क दे रहा है कि घरेलू उद्योग को चीन से संबद्ध आयातों के कारण क्षति हो रही है, यह दर्शाता है कि पाटनरोधी शुल्क लगाने और घरेलू उद्योग को क्षति के बीच कोई संबंध नहीं है। कथित क्षति घरेलू उद्योग के आंतरिक कारणों की वजह से हुई है।
 - vii. आवेदक ने पीयूसी तथा कुल उत्पादन (पीयूसी और एनपीयूसी) के समान होने का दावा किया है, जो गलत प्रतीत होता है। क्षति विश्लेषण के लिए आवेदक द्वारा गलत और भ्रामक सूचना दी गई है।
 - viii. चीन से अधिकांश आयात, भारत को कुल आयातों का लगभग *** प्रतिशत अग्रिम लाइसेंस के तहत हुए हैं।
 - ix. पीयूसी का बाजार ढांचा ऐसा है कि बाजार ढांचे के अधिकांश हिस्से को निर्यात वस्तुओं के उत्पादन द्वारा खपत किया गया है; समग्र बाजार का यह हिस्सा पाटनरोधी शुल्क पर विचार किये बिना घरेलू उद्योग के लिए उपलब्ध नहीं है।
 - x. घरेलू उद्योग ने 2016-17 में अपनी क्षमता में कई गुना वृद्धि की है। इससे घरेलू उद्योग के इस बात पर विचार किये बिना लापरवाही से क्षमता वृद्धि करने का पता चलता है कि भारतीय कानूनों में निर्यात वस्तु के उत्पादन के लिए लक्षित आयातों पर व्यापार संरक्षण की अनुमित नहीं है।

- xi. क्षमता को अंतर्राष्ट्रीय मांग पर विचार करते हुए बढ़ाया गया था। पीओआई के दौरान निर्यात मांग में गिरावट के प्रभाव के लिए कथित पाटित आयात जिम्मेदार नहीं होने चाहिए।
- xii. पाटनरोधी शुल्क के बावजूद आयात समान स्तर पर जारी रहे हैं और यह दर्शाता है कि चीन से आयात देश के उत्पादकों के लिए तकनीकी जरूरत हैं।
- xiii. अनुपम रसायन ने घरेलू उद्योग द्वारा अक्टूबर, 2010 से चीन के आयातों से क्षित के दावे के बावजूद इस बाजार में प्रवेश का कारण स्पष्ट नहीं किया है। कथित पाटित आयातों और क्षित के दावे के बीच कोई सह संबंध नहीं है।
- xiv. घरेलू उद्योग का यह तर्क कि क्षति के मापदंडों में गिरावट आई है, त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि रुझान विशलेषण के लिए प्रयुक्त आधार वर्ष गलत है क्योंकि वे असामान्य वर्ष थे।
- xv. चीन जन. गण. से औसत कीमत पूर्ववर्ती दो वर्षों और आधार वर्ष (वित्त वर्ष 2019-20) को छोड़कर पिछले 12 वर्षों में 150रूपये से –300 रूपये प्रति किलोग्राम रही है। आवेदक की औसत घरेलू कीमत पूर्ववर्ती दो वर्षों और आधार वर्ष) वित्त वर्ष 2019-20) को छोड़कर पिछले 12 वर्षों में 150रूपये 300 रूपये प्रति किलोग्राम रही है।
- xvi. प्रमुख आरएम बेंजीन की कीमत से चीन की कीमत का औसत अनुपात पूर्ववर्ती दो वर्षों और आधार वर्ष (2019-20) को छोड़कर पिछले 12 वर्षों में लगभग 3 से 4 गुना रहा है। पूर्ववर्ती दो वर्षों और 2019-20 में यह अनुपात असाधारण रूप से बढ़कर 11 से 16 गुना हो गया था।
- xvii. आवेदक की संबद्ध वस्तु की घरेलू कीमत से प्रमुख कच्ची सामग्री बेंजीन की कीमत का औसत अनुपात भी इसी रेंज में रहा था।
- xviii. आयातों कीमत और घरेलू कीमत में 2019-20 और 2020-21 के बीच असाधारण रूप से बेंजीन की कीमत के लगभग 11 गुना की वृद्धि हुई है। यद्यपि घरेलू कीमत इस तथ्य के बावजूद बेंजीन की कीमत का 16 गुना थी कि बेंजीन की कीमत इस अविध के दौरान जबरदस्त रूप से घटी है।
- xix. इस प्रकार पिछले दो वर्षों और 2019-20 बिल्कुल असामान्य वर्ष थे और इन पर आधारित विश्लेषण त्रुटिपूर्ण और भ्रामक हैं।
- xx. चीन से संबद्ध वस्तु की आयात कीमत और संबद्ध वस्तु की आवेदक की घरेलू कीमत में पिछले दो वर्षों और वित्त वर्ष 2019- 20के दौरान साधारण वृद्धि हुई है। यह असाधारण वृद्धि मार्च, 2019 में जियांगशू तियानजियायी केमिकल कंपनी लिमिटेड में दुर्घटना (विस्फोट) के कारण हुई है जिसके बाद चीन की सरकार ने रासायनिक संयंत्रों पर कड़ा ऑडिट लगा दिया है जिससे उत्पादन में व्यवधान हो गया है जिसकी वजह से बाजार में गड़बड़ी हुई है और अंत में कोविड-19 के कारण ऐसा हुआ है।
- xxi. चीन जन. गण. से आयातों में वित्त वर्ष 2021-22 में 3807एमटी से पीओआई में वित्त वर्ष 2022-23 में 1775एमटी की लगभग 54 प्रतिशत की भारी गिरावट आई है।
- xxii. आवेदक द्वारा तथाकथित क्षति और पाटन तथा क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति की संभावना और चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तु के आयात के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है।
- xxiii. पीडीए की आवेदक की क्षमता में 2016-17 की वार्षिक रिपोर्ट में 3000एमटी से2016 17में *** एमटी की असामान्य वृद्धि हुई है। पीडीए की *** प्रतिशत क्षमता एमपीडीए के लिए है। तदनुसार, एमपीडीए की क्षमता 2400एमटी से बढ़कर 9600एमटी हो गई है। घरेलू बाजार निर्माण पिछले 10-15 वर्षों के दौरान निरंतर लगभग 5000 एमटी रही है।
- xxiv. आवेदक द्वारा क्षमता में असामान्य वृद्धि के लिए कोई औचित्य नहीं बताया गया है। क्षति कुप्रबंधन, गलत निवेश, लागत में वृद्धि के कारण हुई है।
- xxv. अर्थव्यवस्था में मंदी अल्पाविध में वैश्विक मांग, परिदृश्य में मालसूची सुधारों और मंदी के रुझानों के कारण प्रभाव पड़ा है (पीओआई के लिए आवेदक की वार्षिक रिपोर्ट)। आवेदक ने स्थिरता और मजबूत दीर्घाविधक वृद्धि पथ का दावा किया है।

- xxvi. आंतरिक प्रतिस्पर्धा आरंभ में आवेदक भारत में पीयूसी का एक मात्र उत्पादक था, अनुपम रसायन ने तीन वर्ष पहले उत्पादन शुरू किया, आवेदक के लिए आंतरिक प्रतिस्पर्धा शुरू की, घरेलू उद्योग को आंतरिक प्रतिस्पर्धा, कुप्रबंधन, गलत निवेश, लागत में वृद्धि के कारण क्षति हुई है और आयातों से क्षति नहीं हुई है।
- xxvii. मांग में वैश्विक गिरावट जो अस्थायी है, के कारण आवेदक के निष्पादन में अस्थायी गिरावट आई है और चीन से आयातों के कारण नहीं। मांग में 2021-22 में 109 से पीओआई में 68 (सूचीबद्ध) तक 32 प्रतिशत तक की गिरावट आई है। इससे मांग में गिरावट से क्षति का पता चलता है और न कि संबद्ध आयातों के कारण।
- xxviii. संयंत्र बाजार संबंधित शटडाउन के लिए वर्ष 2022 के दौरान 146 दिनों के लिए बंद था।
- xxix. विचाराधीन उत्पाद के लिए एक समर्पित क्षमता है। अत: आवेदक ने संभवत: वास्तविक स्थिर लागत, मरम्मत और रख-रखाव लागत, उपभोज्य लागत आदि बताई है। इसमें विचाराधीन उत्पाद संबंधी क्षमता में असामान्य वृद्धि से संबंधित लागत शामिल है।
- xxx. आवेदक के अन्य उत्पादों के उत्पादन में भी पीओआई में भारी गिरावट आई है। ऐसे मामले में आवेदक का उत्पादन या बिक्री अनुसार विचाराधीन उत्पाद के लिए स्थिर लागत के कमतर आवंटन का परिणाम नहीं होगा।
- xxxi. घरेलू उद्योग द्वारा शुल्क का समय बढ़ाने का दावा इस तथ्य को देखते हुए बिल्कुल अनुचित है कि प्रतिवादी की बाजार आसूचना के अनुसार भारत को कुल आयातों का लगभग 70 प्रतिशत अग्रिम लाइसेंस के तहत हुआ है जो किसी पाटनरोधी शुल्क के अधीन नहीं हो सकता है।
- xxxii. आवेदक ने पीयूसी का उत्पादन और कुल उत्पादन (पीयूसी और एनपीयूसी) के समान होने का दावा किया है जो प्रथमदृष्ट्या गलत लगता है।

झ.2 <u>घरेलू उद्योग द्वारा किये गये अनुरोध</u>

- 50. क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किये गये हैं:
 - मांग में महामारी के कारण 2020- 21में गिरावट आई है और उसके बाद 2021- 22में वृद्धि हुई और अंतत: पीओआई में पुन: गिरावट आई।
 - ii. डाई और मध्यवर्तियों के लिए वैश्विक मांग में पीओआई में गिरावट आई। परिणामस्वरूप संबद्ध वस्तु की मांग में गिरावट आई।
 - iii. चीन से समग्र और सापेक्ष रूप से आयातों में 2019- 20में गिरावट आई जबकि पहली निर्णायक समीक्षा जांच अर्थात 2014- 2017के दौरान इसकी मात्रा अधिक थी।
 - iv. आयातों में 2021-22 में एक बार फिर वृद्धि हुई है, परंतु मांग में गिरावट के कारण पीओआई में इनमें फिर गिरावट आई है। चीन से आयात काफी अधिक रहे हैं और वे अब भी ऐसी स्थिति में भारतीय मांग का लगभग 46 प्रतिशत हैं, जब देश आत्मनिर्भर है।
 - v. पहुंच कीमत में 2021-22 और उसके बाद काफी गिरावट आई है और यह गिरावट उत्पादन लागत के अनुरूप नहीं है। परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को भी अपनी कीमतें घटानी पड़ी। आयातों से घरेलू बाजार में कीमत कटौती हो रही है।
 - vi. घरेलू उद्योग को पीओआई में उत्पादन लागत की तुलना में कम कीमत पर अपनी वस्तु बेचनी पड़ी थी। इस प्रकार आयातों से घरेलू उद्योग की कीमत पर ह्रासकारी प्रभाव पड़ा था।
 - vii. निर्यातक द्वारा प्रस्तुत परिशिष्ट 1 दर्शाता है कि बिक्री कीमत में गिरावट तीसरे देशों को निर्यातों और घरेलू बाजार की तुलना में भारत को निर्यातित वस्तु के लिए अधिक हुई है।
 - viii. पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन सकारात्मक है, संबद्ध देश से आयात भारतीय मांग का *** प्रतिशत हैं। इस प्रकार घरेलू उद्योग को यह स्पष्ट नहीं करना है कि शुल्क की आवश्यकता क्यों है, बल्कि यह स्पष्ट

- करना निर्यातकों का दायित्व है कि वे अपनी कीमतों को इतना कम करने में कैसे सक्षम हैं और क्षमताओं का विस्तार क्यों हो रहा है।
- ix. कच्ची सामग्री और क्षति अवधि के दौरान समग्र आधार पर सुविधा लागत में 26 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है जबिक आयात कीमत में 53 प्रतिशत की गिरावट आई है। यह किसी व्यवसाय अर्थव्यवस्था से अलग बिल्कुल अभूतपूर्व है।
- x. मांग में वैश्विक गिरावट के प्रभाव से भारतीय मांग पर सीधा प्रभाव पड़ा है, किंतु चीन के आयातों का बाजार हिस्सा ऐसी स्थिति में गंवाया जाना न्यायोचित नहीं है।
- xi. इसका एक मात्र कारण चीन के उत्पादकों द्वारा कीमतों में अस्वाभाविक गिरावट लाना है। अत: अर्थव्यवस्था में मंदी या मांग में वैश्विक गिरावट घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कारण नहीं है।
- xii. भारतीय और चीन के उत्पादकों दोनों के लिए मांग में गिरावट आई है। मांग में यह गिरावट क्षमता उपयोग में गिरावट का भी कारण है। तथापि, यह गिरावट इस अवधि में कीमत में भारी गिरावट के लिए जिम्मेदार नहीं है।
- xiii. चीन के निर्यातकों ने आयात कीमतों में इतनी अधिक गिरावट के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है।
- xiv. घरेलू उद्योग को आई स्थिर लागत में क्षति अवधि के दौरान तेजी से गिरावट आई है। वास्तव में ऐसी स्थिति में जहां निविष्टि लागतों में इतनी अधिक वृद्धि हुई है, घरेलू उद्योग ने अब भी लागतों में भारी गिरावट की सूचना दी है। इस प्रकार यह तर्क देना बिल्कुल निराधार है कि घरेलू उद्योग को क्षमता वृद्धि के कारण नुकसान हो रहा है।
- xv. जब 2019- 20और 2020-21 में लागत उच्चतर थी तो घरेलू उद्योग न केवल तर्कसंगत लाभ कमा रहा था, बल्कि उसका नकद प्रभाव और आरओआई भी अधिक था।
- xvi. वर्तमान अवधि में जब स्थिर लागतों में सकल तथा स्थिर लागत स्तर दोनों में गिरावट आई तो घरेलू उद्योग की लाभप्रदता इतनी अधिक कम हो गई है कि घरेलू उद्योग को जबरदस्त नकद घाटा और काफी नकारात्मक आरओआई का सामना करना पड़ रहा है।
- xvii. जिआंगसु तियानजियायी केमिकल कंपनी लिमिटेड में विस्फोट मार्च, 2019 के अंत में हुआ था, जो वित्त वर्ष 2019-20 का अंतिम महीना था। अत: उससे वित्त वर्ष 2019-20 की कीमतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा सकता है।
- xviii. जिआंगसु तियानजियायी केमिकल कंपनी लिमिटेड पीयूसी का प्रमुख उत्पादक नहीं था, बल्कि पीयूसी की उसकी उत्पादन क्षमता केवल लगभग 17000 एमटी थी। इससे भी पता चलता है कि उस घटना से घरेलू तथा आयात कीमतों पर अधिक प्रभाव क्यों नहीं पडा था, क्योंकि इसे प्रयोक्ता उद्योग द्वारा काफी बढ़ा-चढ़ा कर बताया गया था।
- xix. कोविड-19 महामारी का प्रकोप मार्च, 2020 में हुआ था, प्रयोक्त उद्योग के तर्क एक बार फिर 2019-20 में दावे के अनुसार कीमत में वृद्धि को उचित बताने में विफल रहे हैं। कोविड-19 में भी चीन से संबद्ध आयातों में 35 प्रतिशत बाजार हिस्सा कब्जा रखा था और बाद के वर्ष में यह हिस्सा 48 प्रतिशत हो गया और अंतत: पीओआई में यह 43 प्रतिशत था।
- xx. प्रयोक्ता उद्योग का यह दावा कि क्षति अवधि के 3 वर्ष असामान्य हैं और ऊपर उल्लिखित अन्य तर्क निराधार हैं और प्राधिकारी द्वारा उन्हें अस्वीकार किया जाना चाहिए।
- xxi. आयात कीमतों में तब भी इतनी अधिक गिरावट आई है जब निविष्टि लागत में क्षिति अविध के दौरान वृद्धि हुई है। परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग के निष्पादन में लाभ, नकद प्रवाह, निवेश पर आय जैसे मापदंडों के संबंध में तेजी से गिरावट आई है।
- xxii. केवल आयातों की मात्रा पूर्ण स्थिति में सांकेतिक नहीं है और उस पर मांग और बाजार हिस्से से अलग आकलन नहीं किया जा सकता है।

- xxiii. रुझान विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तु के आयातों में 100 से 78 की गिरावट आई है जो 22 सूचीबद्ध बिंदु है जबकि उसी अवधि में भारतीय मांग 100 से 34 सूचीबद्ध बिंदु घटकर 66 रह गई है। संबद्ध आयातों में गिरावट भारतीय मांग में गिरावट के अनुरूप नहीं है।
- xxiv. संबद्ध आयात मांग में गिरावट के बावजूद अपने बाजार हिस्से में वृद्धि करने में सक्षम थे और मांग को पूरा करने के लिए भारत में पर्याप्त क्षमता उपलब्ध थी।
- xxv. घरेलू उद्योग के निष्पादन में वर्तमान क्षति अवधि के दौरान क्षमता के समान स्तर के बावजूद वर्तमान क्षति अवधि में भारी गिरावट आई है।
- xxvi. आवेदक तब भी लाभ कमा रहा था जब अनुपम रसायन ने बाजार में प्रवेश किया। जब आयात कीमत में भारी गिरावट आई तो लाभप्रदता में गिरावट आई। इस प्रकार आयातों के कारण भारतीय उद्योग को क्षति हुई है और न कि नये घरेलू उत्पादक के कारण।
- xxvii. नये उत्पादक ने बाजार में प्रवेश किया, इसके बाद आयात कीमत में वृद्धि हुई। घरेलू उद्योग की कीमत में वृद्धि हुई और घरेलू उद्योग के कीमत मापदंड तर्कसंगत थे। तत्पश्चात् आयात कीमतों में भारी गिरावट आई जिसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग की कीमत में भारी गिरावट आई जिससे घरेलू उद्योग काफी प्रतिकृल कीमत मापदंडों का सामना कर रहा है।
- xxviii. जैसा हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया है भारत और वैश्विक बाजार में निविष्टि की कीमतें समान हैं। वे यह स्पष्ट करने में विफल रहे हैं कि निविष्टि लागत में वृद्धि के समय कीमतों में इतनी अधिक गिरावट कैसे आई है।
- xxix. घरेलू उद्योग द्वारा देखी गई लागत वृद्धि घरेलू उद्योग के लिए विचित्र नहीं थी जब तक चीन के उत्पादक यह दावा न करें कि ऐसी राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था में वे वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय बाजार से पूर्णत: सुरक्षित हैं।
- xxx. घरेलू उद्योग के मापदंडों की क्षमता की तुलना दर्शाती है कि क्षति अवधि के दौरान कच्ची सामग्री और सुविधा की खपत काफी स्थिर रही है। वर्तमान पीओआई में कोई गिरावट नहीं आई थी।
- xxxi. क्षति अवधि के दौरान परिवर्तन लागतों में भारी गिरावट आई है। अत: घरेलू उद्योग वास्तव में इस अवधि में कम प्रतिस्पर्धी होने के बजाय अधिक हो गया है। अत: इस कारणवश कोई आंतरिक अक्षमता नहीं हुई है।
- xxxii. आधार वर्ष या 2020-21 की तुलना में भी पीओआई की निर्यात बिक्रियां अधिक हैं। घरेलू उद्योग के कम निर्यात बिक्री के साथ आधार वर्ष में कोई घाटा नहीं हुआ है जबकि पीओआई में भारी घाटा हुआ है। जब निर्यात बिक्री तुलनात्मक रूप से अधिक है।
- xxxiii. यह ऐसी स्थिति नहीं जहां घरेलू उद्योग को उत्पादन और क्षमता उपयोग में गिरावट के कारण वित्तीय घाटा उठाना पड़ा हो। प्रति इकाई उत्पादन की स्थिर लागत पीओआई में न्यूनतम स्तरों पर रही थी।
- xxxiv. कारणात्मक संबंध के लिए कानूनी अपेक्षा पाटित आयातों और घरेलू उद्योग को क्षति के बीच ''एक'' कारणात्मक संबंध की मौजूदगी है। यह अपेक्षा पाटित आयातों और घरेलू उद्योग को क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के मौजूदगी के बारे में नहीं है।
- xxxv. मांग में गिरावट से बिक्री प्रभावित हुई है, परंतु वह केवल एक कतिपय स्तर पर रहा है। यह देखा जा सकता है कि चीन के आयातों में वृद्धि हुई है। उनके बाजार हिस्से में मांग में गिरावट पर भी वृद्धि हुई है। इसके अलावा, क्षति प्रतिकूल कीमत प्रभाव और संभावना के कारण प्राथमिक रूप से हुई है।
- xxxvi. आवेदक पुन: पूर्ति करता है कि क्षति का कोई अन्य कारण नहीं है और चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तु का पाटन उसका एक मात्र कारण है।
- xxxvii. अत्यधिक क्षमताएं घरेलू उद्योग को क्षति का कारण नहीं हैं। सृजित क्षमताएं घरेलू उद्योग को क्षति का कारण नहीं हैं।
- xxxviii. सृजित क्षमताओं के कारण घरेलू उद्योग उत्पादन के अत्यधिक आर्थिक कारकों को प्राप्त करने में सक्षम रहा है।

- xxxix. जहां तक स्थिर लागतों का संबंध है याचिकाकर्ता ने उत्पादन से जुड़ अनुपात में स्थिर लागत प्रभारित की है। इस प्रकार जब उत्पादन और बिक्री कमतर हैं तो खर्चों को उत्पाद से संबंधित खर्चे अपने आप में कम हैं।
- xl. आयात कीमत में गिरावट इस तथ्य के बावजूद है कि कच्ची सामग्री और सुविधाओं में इस अविध में वृद्धि हुई है। स्पष्ट रूप से चीन के उत्पादकों ने एमपीडीए की कीमत को तब कम किया है जब लागत पड़ रही थी। क्षति अविध के दौरान आयात कीमत में काफी तेजी से गिरावट आई है।
- xli. निविष्ट कीमतों में वृद्धि घरेलू बाजार तक सीमित नहीं है। यह कीमत वृद्धि एक वैश्विक परिघटना थी।
- xlii. यद्यपि पाटन थोड़े समय के लिए 2019-21 के दौरान रुक गया था, परंतु यह और पुन: काफी तेजी से शुरू हुआ है। अब किया जा रहा पाटन पहले किये गये पाटन से काफी अधिक है।
- xliii. इसके अलावा, और अधिक महत्वपूर्ण यह है कि इस अवधि के दौरान चीन के उत्पादकों की कीमतें बिल्कुल अतर्कसंगत हैं।
- xliv. निर्यातकों ने उत्पाद को थोड़ी अवधि में काफी अलग-अलग कीमतों पर नौवहन किया है। आयात एक महीने में काफी अलग कीमतों पर हो रहे हैं और इस प्रकार बाजार में काफी अधिक व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं।
- xlv. निर्यातकों को कीमतों में भारी अंतर को स्पष्ट करना चाहिए। यह अंतर केवल पीओआई में नहीं, बल्कि पीओआई के भीतर भी और यहां तक कि पीओआई के महीने के भीतर भी हुए हैं।

झ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

- 51. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को क्षति के संबंध में सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की जांच की है। जहां प्राधिकारी द्वारा किया गया क्षति विश्लेषण हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये विभिन्न अनुरोधों पर ध्यान देता है।
- 52. सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9(क)(5) के अनुसार लागू पाटनरोधी शुल्क को यदि पहले न हटाया जाए तो उसे लागू करने की तारीख से पांच वर्षों की समाप्ति पर निष्प्रभाव हो जाता है। बशर्ते कि यदि केंद्र सरकार किसी समीक्षा में यह राय करती हो कि ऐसे शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षित के जारी रहने या पुनरावृत्ति होने की संभावना है तो वह समय-समय पर उसे लागू करने की अवधि को पांच वर्षों की अधिक अवधि के लिए बढ़ा सकती है और ऐसी अतिरिक्त अवधि समय बढ़ाने की तारीख से शुरू होगी।
- 53. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चूंकि यह पहले से लागू पाटनरोधी शुल्क की एक निर्णायक समीक्षा है इसलिए घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति के जारी रहने तथा वास्तविक क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति की संभावना की संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के वास्तविक और संभावित आयातों के संदर्भ में जांच करने की आवश्यकता है।
- 54. इस संबंध में प्राप्त अनुरोधों पर विचार करते हुए प्राधिकारी ने संबद्ध देश से आयातों के कारण पाटन और क्षति के संभावना पहलुओं की जांच करने से पहले घरेलू उद्योग को वर्तमान क्षति, यदि कोई हो, की जांच पहले की है।

पाटित आयातों के मात्रात्मक प्रभाव और घरेलू उद्योग पर प्रभाव

i. मांग का आकलन

55. प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ भारत में संबद्ध वस्तु की मांग या स्पष्ट खपत को भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्रियों और सभी स्नातों से आयातों के योग के रूप में परिभाषित किया है। विचाराधीन उत्पाद की मांग नीचे दी गई है।

मांग	यूनिट	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
संबद्ध देश – चीन	एमटी	2,031	1,794	3,701	1,722
अन्य देश	एमटी	35	-	18	-
डीआई घरेलू बिक्रियां	एमटी	100	82	80	47
अन्य भारतीय उत्पादक	एमटी	100	1,519	3,960	1,469
कुल	एमटी	100	92	137	68


56. यह देखा गया है कि पीयूसी की मांग में आधार वर्ष से 2020-21 में गिरावट आई है और 2021-22 में वृद्धि हुई है। परंतु पीओआई में पुन: गिरावट आई है। घरेलू उद्योग के अनुरोध के अनुसार यह नोट किया गया है कि विशेष रूप से पीओआई के दौरान मांग में परिवर्तन डाउनस्ट्रीम उद्योग अर्थात् डाई उद्योग की मांग में वैश्विक गिरावट के कारण हुआ था। प्रयोक्त उद्योग एसोसिएशन ने बताया कि अधिकांश आयात अग्रिम प्राधिकार स्कीम के अंतर्गत हुऐ थे। अत: प्राधिकारी ने शुल्क मुक्त और शुल्क प्रदत्त आयातों की मात्रा ज्ञात करने के लिए आयातों की जांच की है। चूंकि डीजी (सिस्टम) द्वारा प्रदत्त सूचना में प्रदत्त सीमा शुल्क के संबंध में जानकारी नहीं है, इसलिए प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त सूचना के आधार पर विश्लेषण किया है। नीचे तालिका शुल्क मुक्त और शुल्क प्रदत्त श्रेणी के अंतर्गत आयातों को दर्शाती है और शुल्क मुक्त आयातों को हटाने के बाद उत्पाद की मांग दर्शाती है। यह देखा गया है कि आयातों का काफी अधिक हिस्सा शुल्क मुक्त श्रेणी में हुआ है। तथापि, शुल्क प्रदत्त श्रेणी में किये गये आयात भी काफी अधिक हैं।

मांग	यूनिट	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
चीन से आयात	एमटी	***	***	***	***
क. शुल्क मुक्त आयात	एमटी	***	***	***	***
ख. शुल्क प्रदत्त आयात	एमटी	***	***	***	***
भारत में मांग	एमटी				
ग. शुल्क मुक्त आयात को छोड़कर	एमटी	***	***	***	***
घ. शुल्क मुक्त आयात सहित	एमटी	***	***	***	***

- ii. आयात मात्रा और संबद्ध देश से आयातों का हिस्सा
- 57. संबद्ध आयातों की मात्रा के संबंध में प्राधिकारी के लिए यह विचार करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों में समग्र रूप से या भारत में उत्पादन अथवा खपत की दृष्टि से भारी वृद्धि हुई है। संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों की मात्रा का निम्नानुसार विश्लेषण किया गया है:

क्र. सं.	विवरण	यूनिट	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
1	संबद्ध देश से आयात	एमटी	2,031	1,794	3,701	1,722
2	अन्य देश से आयात	एमटी	35	0	18	0
3	कुल आयात	एमटी	2,066	1,794	3,719	1,722
	निम्न के संबंध में संबद्ध आयात					
4	भारतीय उत्पादन	%	100	80	111	93
5	भारतीय खपत	%	100	97	133	125
6	कुल आयात	%	98%	100%	100%	100%


- 58. यह देखा गया है कि:
 - क. संबद्ध देश से आयातों में पहली निर्णायक समीक्षा जांच में शुल्क वृद्धि के बाद गिरावट आई है। तथापि, आधार वर्ष की तुलना में 2021-22 में आयातों में भारी वृद्धि हुई है और मांग में परिवर्तन के साथ पीओआई में गिरावट आई है।
 - ख. क्षति अवधि के दौरान उत्पादन के संबंध में आयात में मामूली गिरावट आई। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि भारतीय बाजार में एक नए खिलाड़ी ने उत्पादन शुरू कर दिया है।



- ग. क्षति अवधि के दौरान खपत के संबंध में आयात में वृद्धि हुई है। मांग में गिरावट और किसी अन्य घरेलू उत्पादक द्वारा उत्पादन शुरू करने के बावजूद क्षति अवधि के दौरान मांग के संबंध में आयात में वृद्धि हुई है।
- iii. संबद्ध आयातों का कीमत प्रभाव और घरेलू उद्योग पर प्रभाव
- 59. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी ने विचार किया है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में भारी कीमत कटौती की गई है या क्या ऐसे पाटित आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों में भारी कमी करना है या ऐसी कीमत वृद्धि को रोकना है जो अन्यथा काफी अधिक बढ़ गई होती।

क) कीमतों में वृद्धि

60. क्षति अविध के दौरान आयातों के विश्लेषण से आयात कीमत में काफी अधिक गिरावट का पता चलता है। इस प्रकार यह नोट किया गया है कि कच्ची सामग्री और सुविधाओं की लागत में वृद्धि के बावजूद आयात कीमतों में काफी अधिक और तेजी से गिरावट आई थी। घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त सूचना कच्ची सामग्री और सुविधाओं की लागत में भारी वृद्धि दर्शाती है।



61. प्राधिकारी ने क्षति अवधि में चीन से आयात कीमत और घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत की जांच की है। यह देखा गया है कि घरेलू कीमत आयात कीमत के तालमेल में परिवर्तित हुई है।



ख) कीमत कटौती

62. कीमत कटौती को जांच अवधि के लिए घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत के साथ आयातों की पहुंच कीमत के साथ तुलना के द्वारा ज्ञात किया गया है। विचाराधीन उत्पाद के लिए कीमत कटौती निर्धारित की गई है। भारित औसत कटौती की गणना निम्नानुसार है:

विवरण	यूओएम	पीओआई
पहुंच कीमत	रू./केजी	314
एनएसआर	रू./केजी	***
कीमत कटौती	रू./केजी	***
	%	1-5

63. प्राधिकारी नोट करते हैं कि आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही थी।

ग) कीमत ह्रास और न्यूनीकरण

64. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या आयातों का प्रभाव कीमत में ह्रास करना है या ऐसी कीमत वृद्धि को रोकना है जो अन्यथा बढ़ गई होती, प्राधिकारी ने आयातों की पहुंच कीमत और क्षति अविध में घरेलू उद्योग की लागत और कीमत में बदलावों की जांच की है।

विवरण	यूओएम	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
बिक्रियों की लागत	रू./केजी	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	110	94	97
बिक्री कीमत	रू./केजी	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	86	54	39
पहुंच कीमत	रू./केजी	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	105	63	45

- 65. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और बिक्री कीमत दोनों में क्षति अवधि में गिरावट आई है। तथापि, बिक्री कीमत में गिरावट लागत में गिरावट से काफी अधिक थी। यद्यपि लागतों में क्षति अवधि के दौरान गिरावट (***रूपये /केजी) रही है। तथापि बिक्री कीमत में)***रूपये /केजी) की गिरावट आई है।
- 66. आयातों की पहुंच कीमत 2020-21 तक तर्कसंगत स्तरों पर रही थी। परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग तर्कसंगत कीमत और लाभ पर वस्तु बेचने में सक्षम रहा था। तथापि, 2021-22 से पहुंच कीमत में भारी गिरावट आई थी और पीओआई में उसमें और गिरावट आई। इसके अलावा, आयातों की पहुंच कीमत पीओआई में बिक्री की लागत के स्तर से कम थी। परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में पीओआई में भारी गिरावट आई है और वह बिक्री लागत से काफी कम रही थी।
- 67. हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया कि अधिकांश आयात अग्रिम लाइसेंस के अंतर्गत हैं और इसलिए उन पर पाटनरोधी शुल्क नहीं लगता है। तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग को अपनी बिक्रियां बनाये रखने के लिए आयात कीमतों की प्रतिक्रिया में अपनी कीमतें घटाने पर बाध्य होना पड़ा है।

घरेलू उद्योग से संबंधित आर्थिक मापदंड

68. नियमावली में अपेक्षित है कि क्षित के निर्धारण में ऐसे उत्पादों घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की वस्तुनिष्ठ जांच शामिल होगी। ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में नियमावली में यह भी प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर आयातों के प्रभाव की जांच में ऐसे सभी संगत आर्थिक कारकों और संकेतकों का वस्तुनिष्ठ और निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होना चाहिए जो उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालते हों, जिनमें बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्सा, उत्पादकता, निवेश पर आय या क्षमता उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट शामिल हैं; घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक, नकद प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभावों की जांच शामिल है। तदनुसार, प्राधिकारी ने क्षित अविध के दौरान घरेलू उद्योग के निष्पादन की निम्नानुसार जांच की है:

क) उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्रियां

69. क्षति अवधि के दौरान उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग, घरेलू बिक्री और निर्यात के बारे में घरेलू उद्योग की स्थिति निम्नानुसार है:

विवरण	यूओएम	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
स्थापित क्षमता	एमटी	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	100	100	100
उत्पादन	एमटी	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	98	119	69
क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	98	119	69
घरेलू बिक्रियां	एमटी	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	82	80	47
निर्यात बिक्रियां	एमटी	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	139	235	152

70. प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता समान स्तर पर बनी रही है। विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग की क्षमता मांग से काफी अधिक है। यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग द्वारा 2016-17 में क्षमता बढ़ाई गई थी जब उत्पाद की मांग लगभग *** एमटी थी और घरेलू उद्योग क्षमता *** एमटी थी। घरेलू उद्योग ने केवल एक क्षमता विस्तार किया है। मौके पर सत्यापन के समय यह पाया गया था कि यह क्षमता संयंत्र का ईष्टतम आकार थी। इसके अलावा यह देखा गया है कि यह क्षमता केवल

इस उत्पाद को समर्पित है और अन्य उत्पाद के उत्पादन के लिए प्रयोग नहीं की जा सकती है। यह भी देखा गया था कि इस क्षमता के साथ विशेष रूप से शामिल स्थिर लागत कुल बिक्री लागत के केवल *** प्रतिशत के आसपास है (मूल्य हास के कारण)। इस प्रकार यह देखा गया है कि क्षमता वृद्धि से जुड़ी स्थिर लागत काफी कम है। यह निष्कर्ष नहीं हो सकता है कि उत्पादन क्षमता के अल्प उपयोग से प्रति इकाई उत्पादन लागत पर काफी अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो। यह भी देखा गया गया है कि घरेलू उद्योग काफी अधिक निर्यात कर रहा है। घरेलू उद्योग द्वारा किये गये निर्यातों का ब्यौरा दर्शाता है कि निर्यातक अधिकांशत: यूएसए और जापान जैसे देशों को किये गय हैं। इसके अलावा, यह कीमत जिस पर घरेलू उद्योग ने उत्पाद का निर्यात किया है उस कीमत से अधिक है जिस पर घरेलू उद्योग ने घरेलू बाजार में बिक्री की है।

- 71. घरेलू उद्योग का उत्पादन और क्षमता उपयोग 2021-22 में बढ़ा और पीओआई में उसमें काफी गिरावट आई। समग्र आधार पर घरेलू उद्योग के उत्पादन में क्षति अविध के दौरान 31 प्रतिशत तक की गिरावट आई जबिक उत्पाद की मांग में *** प्रतिशत तक की गिरावट आई।
- 72. घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्रियों में क्षिति अविध के दौरान निरंतर गिरावट आई। यद्यपि उत्पाद की मांग में *** प्रतिशत की गिरावट आई और उत्पादन में *** प्रतिशत की गिरावट आई। फिर भी घरेलू बिक्री मात्रा में *** प्रतिशत और घरेलू बिक्री मूल्यों में *** प्रतिशत गिरावट आई। इस प्रकार घरेलू उद्योग ने मात्रा और मूल्य दोनों में देश में उत्पाद की मांग/खपत के गिरावट के अनुपात में काफी अधिक घरेलू बिक्रियां गंवाई हैं।
- 73. यह भी तर्क दिया गया है कि घरेलू उद्योग द्वारा क्षमता के विस्तार से घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में गिरावट आई है तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के पास पूरी क्षति अविध में क्षमता का समान स्तर रहा था। तथापि लाभप्रदता में पहले दो वर्षों में अच्छे लाभ की स्थिति से पीओआई में भारी वित्तीय घाटे की स्थिति तक कि काफी बड़ी गिरावट आई है। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की दलील को नोट किया है और परिवर्तनशील तथा स्थिर लागतों में परिवर्तनों का विश्लेषण किया है। यह देखा गया है कि यद्यपि कच्ची सामग्री के कारण लागत में वृद्धि हुई है। तथापि, घरेलू उद्योग द्वारा समग्र रूप से और प्रति इकाई उत्पादन की दृष्टि से स्थिर लागतों में इस अविध में भारी गिरावट आई है। इस प्रकार क्षमता वृद्धि लाभ में गिरावट का कारण नहीं हो सकती है।

74	<i>c</i> ~·	3 00 7.7		\sim 3
/4	्समथका दारा क्षमताः	उत्पादन और बिक्रियों के र	पबंध में दा गद सचन	ातम्तातसार द्रः
,	And a find State And All the	3 (114 1 911 (141) N 41 1 1 1	તામઝ તે કા તરે સૂત્રન	111.113/11/6

विवरण	यूओएम	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
स्थापित क्षमता	एमटी	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	100	100	100
उत्पादन	एमटी	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	1,296	4,537	2,124
घरेलू बिक्रियां	एमटी	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	1,516	3,952	1,465
घरेलू बिक्री कीमत	रू./केजी	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	86	54	39

75. यह देखा गया है कि समर्थकों ने आधार वर्ष में उत्पादन शुरू किया है कि 2021-22 तक उत्पादन में वृद्धि हुई है और उसके बाद पीओआई में गिरावट आई है। बिक्रियों में भी यही रुझान रहा है। पीओआई में बिक्रियों में भारी गिरावट आई है। उत्पादन और बिक्री में गिरावट मांग में गिरावट से अधिक है। बिक्री कीमत में भी आवेदक घरेलू उद्योग के समान रुझान रखता है और पीओआई में उसमें काफी तेजी से गिरावट आई है।

ख) मांग में बाजार हिस्सा

76. घरेलू उद्योग, अन्य घरेलू उत्पादक और आयातों का क्षति अवधि के दौरान बाजार हिस्सा निम्नानुसार है:

क्र. सं.	बाजार हिस्सा	यूनिट	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
1	घरेलू उद्योग	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	89	58	69

2	समर्थक	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	900	1600	1200
3	संबद्ध देश	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	96	133	125
4	अन्य देश	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	-	37	-
5	कुल मांग	%	100%	100%	100%	100%

- 77. घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में 2021-22 तक गिरावट आई है और उसके बाद पीओआई में वृद्धि हुई है। तथापि, घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा आधार वर्ष की तुलना में पीओआई में काफी कम रहा है। जबिक घरेलू उद्योग ने 29 प्रतिशत बाजार हिस्सा गंवाया है, परंतु संबद्ध आयातों ने क्षति अविध में 17 प्रतिशत बाजार हिस्सा प्राप्त किया है।
- 78. यह देखा गया है कि अनुपम रसायन द्वारा उत्पादन शुरू करने के बावजूद, आयात की बाजार हिस्सेदारी में गिरावट नहीं हुई, बल्कि इसमें वृद्धि हुई। इसके बजाय, 2021-22 तक घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी में गिरावट आई। जांच अविध में, जबिक घरेलू उद्योग घाटे की कीमत पर अपनी बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने में सक्षम था, आयात की बाजार हिस्सेदारी में गिरावट आई। इसके अलावा, समर्थक की बाजार हिस्सेदारी में गिरावट आई। हालांकि समर्थक ने प्रासंगिक जानकारी के साथ भाग नहीं लिया है, लेकिन यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग को महत्वपूर्ण वित्तीय नुकसान हुआ है, इस तथ्य के बावजूद कि उसने रूपांतरण लागत में गिरावट की सूचना दी है। इस प्रकार, ऐसा प्रतीत होता है कि वित्तीय घाटे ने अन्य घरेलू उत्पादकों को अपना उत्पादन कम करने के लिए मजबूर किया। यह देखा गया है कि जहां घरेलू उद्योग के उत्पादन में 40% की गिरावट आई है (पीओआई में, पिछली अविध की तुलना में), वहीं इस अविध में समर्थक के उत्पादन में 63% की गिरावट आई है।
- 79. प्राधिकारी नोट करते हैं कि अनुपमा रसायन ने उत्पादन सुविधाएं स्थापित की थी और वर्ष 2019-20 से उत्पाद की बिक्री शुरू की। कंपनी ने एडीडी का समय बढ़ाने का समर्थन किया है। यह देखा गया है कि समर्थक ने काफी कम मात्रा के साथ 2019-20 में उत्पाद की बिक्री शुरू की थी। सूचीबद्ध आंकड़े आधार वर्ष में कम बाजार हिस्से के कारण उच्च वृद्धि दर दर्शाते है तथा समर्थक का बाजार हिस्सा याचिकाकर्ता के बाजार हिस्से का केवल (*** प्रतिशत) था।
- 80. प्राधिकरण ने नोट किया है कि आयात भारतीय मांग में एक महत्वपूर्ण हिस्सा रखता है। यह देखा गया है कि लगभग 47% आयात शुल्क चुकाया जाता है जबकि 53% आयात शुल्क मुक्त आयात होता है। नीचे दी गई तालिका जांच अविध, यानी 22 अप्रैल-23 मार्च के दौरान मासिक आधार पर सीआईएफ मूल्य का तुलनात्मक विश्लेषण दिखाती है।

	\circ	•	, 0 3.
तलनात्मक	साआइएफ	मूल्य यूएस\$	/एमटा म
11 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1	111-114 / 11	3 1 3 1 4	1151

क्र. सं.	महीना	शुल्क मुक्त	ड्यूटी का भुगतान किया	अंतर
1	अप्रैल	***	***	-2.0%
2	मई	***	***	-0.1%
3	जून	***	***	-1.3%
4	जुलाई	***	***	-3.1%
5	अगस्त	***	***	-3.5%
6	सितम्बर	***	***	-4.4%
7	अक्टूबर	***	***	-5.1%

8	नवंबर	***	***	-7.3%
9	दिसम्बर	***	***	-23.1%
10	जनवरी	***	***	-20.9%
11	फ़रवरी	***	***	-4.6%
12	मार्च	***	***	-10.9%
	कुल योग	***	***	-3.8%

तुलनात्मक सीआईएफ मूल्य आईएनआर/एमटी में

क्र. सं	महीना	अंतर	राशि	अंत	तर
		शुल्क मुक्त बनाम शुल्क	शुल्क मुक्त बनाम औसत	शुल्क मुक्त बनाम शुल्क	शुल्क मुक्त बनाम औसत
		भुगतान	कीमत	भुगतान	कीमत
1	अप्रैल	(***)	(***)	-2.49%	-0.85%
2	मई	(***)	(***)	-0.48%	-0.34%
3	जून	(***)	(***)	-1.83%	-0.32%
4	जुलाई	(***)	(***)	-3.60%	-1.83%
5	अगस्त	(***)	(***)	-3.95%	-1.06%
6	सित म्बर	(***)	(***)	-4.83%	-3.19%
7	अक्टूब र	(***)	(***)	-5.56%	-2.12%
8	नवंबर	(***)	(***)	-7.82%	-4.65%
9	दिस म्बर	(***)	(***)	-23.41%	-16.85%
10	जनव री	(***)	(***)	-21.12%	-14.62%
11	फ़रव री	(***)	(***)	-5.03%	-2.38%
12	मार्च	(***)	(***)	-31.33%	-18.90%
	कुल योग	(***)	(***)	-6.92%	-3.83%

81. इस प्रकार यह देखा गया है कि एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने वाला आयात शुल्क मुक्त श्रेणी के तहत किए गए आयात के स्तर से लगातार नीचे रहा है। शुल्क मुक्त आयात और शुल्क भुगतान आयात की कीमतों के बीच का अंतर नवंबर 2022 के बाद से काफी अधिक है। इस प्रकार, आयातित सामान जो वास्तव में घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग के सामान के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, औसत की तुलना में बहुत कम कीमतों पर प्रवेश कर रहे हैं। कीमत चीन से रिपोर्ट की गई।

ग) लाभ या हानि, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय

82. लाभ या हानि, नकद लाभ और निवेश पर आय के अनुसार घरेलू उद्योग की स्थिति निम्नानुसार है:

क्र. सं.	विवरण	यूनिट	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
1	बिक्रियों की लागत	रू./केजी	***	***	***	***
		सूचीबद्ध	100	110	94	97
2	बिक्री कीमत	रू./केजी	***	***	***	***
		सूचीबद्ध	100	86	54	39
3	लाभ/हानि	रू./केजी	***	***	***	(***)
		सूचीबद्ध	100	58	4	-33
4	लाभ/हानि	रू. लाख	***	***	***	(***)
		सूचीबद्ध	100	47	3	-16
5	नकद लाभ	रू./केजी	***	***	***	(***)
		सूचीबद्ध	100	65	11	-23
6	नकद लाभ	रू. लाख	***	***	***	(***)
		सूचीबद्ध	100	53	9	-11
7	पीबीआईटी	रू. लाख	***	***	***	(***)
		सूचीबद्ध	100	50	5	-13
8	आरओआई	%	***	***	***	(***)
		सूचीबद्ध	100	51	8	-40

83. प्राधिकारी प्राधिकारी ने क्षति अवधि के दौरान प्रमुख निविष्टि कीमतों और घरेलू उद्योग द्वारा – प्रति इकाई और सकल व्यय दोनों – में हुए स्थिर व्ययों के रुझानों की जांच भी की है।

पीयूसी पर घरेलू उद्योग द्वारा किया गया व्यय (लाख रुपये)

क्र. सं.	विवरण	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
क	उत्पादन	***	***	***	***
ख	घरेलू बिक्रियां	***	***	***	***
ग	निर्यात बिक्रियां	***	***	***	***
घ	आरंभिक स्टॉक	***	***	***	***
ड.	अंतिम स्टॉक	***	***	***	***
1	कच्ची सामग्रियां	***	***	***	***
2	पैकिंग सामग्रियां	***	***	***	***
3	उपभोज्य	***	***	***	***
4	सुविधाएं	***	***	***	***

5	वेतन और मजदूरी	***	***	***	***
6	मूल्यह्रास	***	***	***	***
7	विनिर्माण ओवरहेड्स	***	***	***	***
8	बैंक प्रभार	***	***	***	***
9	वित्तीय लागत	***	***	***	***
10	प्रशासनिक ओवरहेड्स	***	***	***	***
11	बिक्री एवं वितरण	***	***	***	***
12	प्रत्यक्ष बिक्री व्यय	***	***	***	***
13	अन्य/विविध व्यय	(***)	***	***	***
14	स्टॉक में बदलाव	(***)	(***)	(***)	***
15	बिक्री की लागत (1 से 25)	***	***	***	***
16	घरेलू बिक्री	***	***	***	***
17	निर्यात बिक्री	***	***	***	***
18	कुल बिक्री	***	***	***	***
19	कर पूर्व लाभ	***	***	***	(***)

पीयूसी पर घरेलू उद्योग को आई प्रति यूनिट उत्पादन लागत (रुपये/केजी)

क्र. सं.	विवरण	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
1	कच्ची सामग्रियां	***	***	***	***
2	पैकिंग सामग्रियां	***	***	***	***
3	उपभोज्य	***	***	***	***
4	उपयोगिताएं	***	***	***	***
5	वेतन और मजदूरी	***	***	***	***
6	कच्ची सामग्रियां	***	***	***	***
7	विनिर्माण ओवरहेड्स	***	***	***	***
	उप कुल	***	***	***	***
8	बैंक प्रभार	***	***	***	***
9	वित्तीय लागत	***	***	***	***
10	प्रशासनिक ओवरहेड्स	***	***	***	***
11	बिक्री एवं वितरण	***	***	***	***
12	प्रत्यक्ष बिक्री व्यय	***	***	***	***
13	अन्य/विविध व्यय	(***)	***	***	***
14	स्टॉक में बदलाव	(***)	(***)	(***)	***
15	बिक्री की लागत (1 से 25)	***	***	***	***

16	घरेलू बिक्री	***	***	***	***
17	निर्यात बिक्री	***	***	***	***

पीयूसी के उत्पादन में शामिल प्रमुख निविष्टियों की कीमत)रु./किलोग्राम)

क्र. सं.	विवरण	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	परिवर्तन
1	बेंजीन	***	***	***	***	83%
2	सी.एन.ए.	***	***	***	***	123%
3	सल्फ्यूरिक ऐसिड	***	***	***	***	55%
4	सोडा ऐश	***	***	***	***	75%
5	हाइड्रोजन	***	***	***	***	25%
6	नाइट्रोजन	***	***	***	***	-9%
7	ईंधन	***	***	***	***	142%

84. प्राधिकारी नोट करते हैं कि:

- क. घरेलू उद्योग क्षति अवधि के पहले दो वर्षों में तर्कसंगत ढंग से लाभप्रद था।
- ख. 2021- 22से आयात की कीमतों में गिरावट आई है। जैसे ही आयात की कीमतों में रुपये की गिरावट आई। 292 प्रति किलो. 2021-22 में घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में रुपये की गिरावट आई। 271 प्रति किलो. इसके विपरीत, बिक्री की लागत में केवल रु. की गिरावट आई। 70 प्रति किलो. 2021-22 में चीनी आयात के कारण गंभीर मूल्य मंदी के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में महत्वपूर्ण गिरावट आई और घरेलू उद्योग को 2021-22 में मामूली वित्तीय नुकसान हुआ। इसके बाद, आयात मूल्य में रुपये की गिरावट आई। 131 प्रति किलो. पिछले वर्ष की तुलना में POI में। परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग को कीमतों में रुपये की कमी करने के लिए मजबूर होना पड़ा। 1 25प्रति किलो. कीमतों में यह गिरावट इस अविध में सभी प्रमुख इनपुट की कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि के बावजूद थी। वास्तव में, सभी प्रमुख इनपुट में उल्लेखनीय वृद्धि के बावजूद, घरेलू उद्योग ने प्रति यूनिट लागत में मामूली गिरावट दर्ज की है।
- ग. घरेलू उद्योग पीओआई में भारी वित्तीय घाटा उठाना पड़ा था।
- घ. घरेलू उद्योग के नकद लाभ, ब्याज पूर्व लाभ और नियोजित पूंजी पर आय में भी यही रुझान रहा है। ये सभी मापदंड क्षति अवधि के आरंभिक दो वर्षों में सकारात्मक रहे थे। इन सभी मापदंडों में 2021-22 से भारी गिरावट आई है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग को काफी अधिक नकद घाटे, ब्याज पूर्व नकारात्मक लाभ और निवेश पर ऋणात्मक आय का सामना करना पड़ा है।

घ) मालसूची

85. संबद्ध वस्तु की मालसूची से संबंधित आंकड़े निम्नानुसार हैं:

क्र. सं.	विवरण	यूओएम	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
1	आरंभिक मालसूची	एमटी	***	***	***	***
		सूचीबद्ध	100	74	171	334
2	अंतिम मालसूची	एमटी	***	***	***	***
		सूचीबद्ध	100	231	451	417
3	औसत मालसूची	एमटी	***	***	***	***
		सूचीबद्ध	100	141	290	369

86. यह देखा गया है कि आधार वर्ष में औसत मालसूची कम थी और मार्च, 2022 के आसपास उसमें वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग के पास क्षति अवधि के अंतिम दो वर्षों की मालसूची अधिक थी और वह लगभग 1.8 महीने की बिक्रियों के बराबर हुई।

ङ) रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता

87. क्षति अवधि के दौरान रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता के संबंध में घरेलू उद्योग की स्थिति निम्नानुसार है:

क्र. सं.	विवरण	यूनिट	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
1	रोजगार	संख्या	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	100	100
2	मजदूरी	रू. लाख	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	117	73	45
3	मजदूरी – संयंत्र के लिए	रू. लाख	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	120	139	188
4	प्रति दिन उत्पादकता	एमटी/दिन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	98	119	69
5	प्रति कर्मचारी उत्पादकता	प्रति संख्या	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	98	119	69

88. यह देखा गया है कि कर्मचारियों की संख्या क्षति अवधि में समान स्तर पर रही है। ऐसा क्षमता की समर्पित प्रकृति के कारण हुआ है। तथापि, पीयूसी में प्रभारित मजदूरी 56 प्रतिशत तक की गिरावट आई है। मजदूरी में यह गिरावट उत्पादन में गिरावट और पीयूसी के साझे वेतन और मजदूरी के विभाजन के कारण हुई है। अन्यथा संयंत्र के लिए प्रदत्त कुल मजदूरी में क्षति अवधि में वृद्धि हुई है।

च) वृद्धि

89. घरेलू उद्योग के मात्रा और लाभ मापदंड के रुझान निम्नानुसार रहे थे:

विवरण	यूओएम	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
उत्पादन	वाई/वाई	-	-2%	22%	-42%
क्षमता उपयोग	वाई/वाई	-	-2%	22%	-42%
घरेलू बिक्रियां	वाई/वाई	-	-18%	-3%	-41%
मालसूची	वाई/वाई	-	41%	106%	27%
प्रति यूनिट लाभ	वाई/वाई	-	-42%	-93%	-977%
लाख रू. में लाभ	वाई/वाई	-	-53%	-94%	-615%
लाख रू. में नकद लाभ	वाई/वाई	-	-47%	-84%	-227%
आरओसीई	वाई/वाई	-	-49%	-85%	-626%
बाजार हिस्सा – घरेलू उत्पादक	वाई/वाई		-8%	50%	-51%


90. यह देखा गया है कि क्षति अवधि के दौरान लगभग सभी आर्थिक मापदंडों में काफी नकारात्मक वृद्धि देखी गई है।

छ) पाटन मार्जिन

- भारत का राजपत्र : असाधारण
- 91. यह देखा जा सकता है कि पाटन मार्जिन न केवल न्यूनतम सीमा से अधिक है, बल्कि काफी अधिक है। इस प्रकार चीन के उत्पादकों ने भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तु का पाटन जारी रखता है।
 - ज) घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक
- 92. संबद्ध देश से आयात कीमतों की जांच लागत संरचना में परिवर्तन, घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धा, पाटित आयातों से इतर ऐसे कारक जिनसे भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग की कीमत प्रभावित हो सकती हो, की आदि की जांच से पता चलता है कि भारत को आयात कीमतें घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित कर रही हैं। संबद्ध वस्तु की पहुंच कीमत, बिक्री कीमत, एनआईपी और पीओआई में बिक्री लागत से कम है।

कारणात्मक संबंध

- 93. एडी नियमावली के अनुबंध-।। के अनुसार इस संबंध में संगत कारकों ने अन्य के साथ-साथ पाटित कीमतों पर नहीं बेचे गये आयातों की मात्रा और कीमत, मांग में संकुचन और खपत की प्रवृत्ति में परिवर्तन, व्यापार प्रतिबंध प्रथाएं और विदेशी तथा घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा, प्रौद्योगिकी में विकास और घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन तथा उत्पादकता शामिल हैं। प्राधिकारी ने यह जांच की है कि क्या पाटित आयातों से इतर कारकों की वजह से घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है।
 - क) तीसरे देशों से आयातों की मात्रा और कीमत
- 94. संबद्ध वस्तु के आयात संबद्ध देश से इतर देशों/स्रोतों से शून्य रहे हैं।
 - ख) मांग में संकुचन और खपत की प्रवृत्ति में परिवर्तन
- 95. उत्पाद की मांग 2020-21 में घटी, 2021- 22में बढ़ी और उसके बाद जांच अविध में काफी गिरावट आई। मांग में गिरावट डाउनस्ट्रीम उत्पादों की घरेलू और वैश्विक मांग में गिरावट के कारण है। तथापि, मांग में इस गिरावट के बावजूद क्षित अविध के दौरान आयात की बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है। यह भी देखा गया है कि जहां क्षित की अविध के दौरान इनपुट के कारण प्रत्यक्ष लागत में वृद्धि हुई है, वहीं कई निश्चित लागतों के विभाजन के कारण उत्पाद पर लगने वाली निश्चित लागत में काफी गिरावट आई है। इस प्रकार, मांग में गिरावट का घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है। हालाँकि, जबिक प्रत्यक्ष इनपुट लागत में काफी वृद्धि हुई है, चीनी आयात में गिरावट के कारण बिक्री मूल्य में भारी गिरावट आई है। इस प्रकार, चीनी उत्पादकों द्वारा शुरू की गई आयात कीमतों में गिरावट घरेलू उद्योग को नुकसान का कारण बनी।
 - ग) प्रतिस्पर्धा की स्थिति और व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं
- 96. कोई भी व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं नहीं है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच से प्रतिस्पर्धा की स्थिति में किसी बदलाव या ऐसी किसी व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथा का पता नहीं चला है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती हो।
 - घ) प्रौद्योगिकी में विकास
- 97. संबंधित उत्पाद के उत्पादन की प्रौद्योगिकी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इस प्रकार प्रौद्योगिकी में विकास घरेलू उद्योग को क्षित का कारण नहीं माना जा सकता है। किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने प्रौद्योगिकी में परिवर्तन का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। इस संबंध में कोई दावा भी नहीं किया गया है।
 - ड.) घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन
- 98. कीमत मापदंडों के संबंध में क्षित विश्लेषण घरेलू उद्योग के घरेलू निष्पादन पर आधारित हैं।
- 99. चूंकि घरेलू उद्योग ने क्षति अविध में पर्याप्त निर्यात किये हैं। इसिलए प्राधिकारी ने निर्यातों और घरेलू बिक्रियों के संबंध में घरेलू उद्योग की कीमत की तुलना की है। यह देखा गया है कि निर्यात कीमत पहले घरेलू कीमत से कमोबेश कम रही थी। तथापि, हाल की अविध में घरेलू उद्योग के निर्यात कीमत घरेलू कीमतों से काफी अधिक रही थी। इस प्रकार यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग को वर्तमान पीओआई में घरेलू बाजार की तुलना में निर्यात बाजार में बेहतर कीमतें मिल रही थी।



च) घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और बेचे गये अन्य उत्पादों का निष्पादन

- 100. प्राधिकारी ने केवल संबद्ध वस्तु के निष्पादन से संबंधित आंकड़ों पर विचार किया है। अत :अन्य उत्पादित और बेचे गये उत्पादों का निष्पादन घरेलू उद्योग को क्षति का कारण नहीं हो सकता है।
- 101. प्राधिकरण ने घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने के संबंध में घरेलू उद्योग और अन्य इच्छुक पार्टियों द्वारा उठाए गए तर्कों का विश्लेषण किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि हालांकि अन्य इच्छुक पार्टियों ने इस संबंध में निवेदन किया है, लेकिन उनके द्वारा कोई सहायक साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है। इसके अलावा, जांच से यह नहीं पता चला है कि घरेलू उद्योग का कोई भी आरोप ऊपर दिए गए निष्कर्षों को विकृत करता है। प्राधिकरण का निष्कर्ष है कि घरेलू उद्योग को संबद्ध देश से इंप किए गए आयात के कारण मूल्य क्षति का सामना करना पड़ा है।

छ) आंतरिक प्रतिस्पर्धा

102. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि आंतरिक प्रतिस्पर्धा चोट का कारण हो सकती है, इस संबंध में यह नोट किया गया है कि जब अनुपम रसायन ने व्यवसाय में प्रवेश किया तो घरेलू उद्योग मुनाफा कमा रहा था। जब आयात मूल्य में भारी गिरावट आई तो लाभप्रदता में गिरावट आई। अनुपम रसायन द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी से पता चलता है कि जांच अविध में उनकी बिक्री में भी भारी गिरावट आई है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि शुल्क भुगतान वाले आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में काफी कटौती कर रहे हैं। इसके अलावा, शुल्क भुगतान श्रेणी के तहत महत्वपूर्ण आयात एडीडी राशि जोड़ने के बाद भी घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहा है। इस प्रकार, यह आयात ही है जिसके कारण भारतीय उद्योग को नुकसान हुआ है।

ञ. क्षति मार्जिन की मात्रा

- 103. प्राधिकारी ने यथा संशोधित अनुबंध-III के साथ पठित नियमावली में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए एनआईपी निर्धारित की है। विचाराधीन उत्पाद की एनआईपी को घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त उत्पादन लागत से संबंधित सूचना/आंकड़ों को अपनाकर निर्धारित किया गया है। एनआईपी पर क्षित मार्जिन की गणना हेतु संबद्ध देश से पहुंच कीमत की तुलना के लिए विचार किया गया है। एनआईपी के निर्धारण के लिए कच्ची सामग्री और सुविधाओं के सर्वोत्तम उपयोग पर क्षित अविध में विचार किया गया है। उत्पादन लागत से असाधारण या गैर आवर्ती व्ययों को अलग रखा गया है। विचाराधीन उत्पाद के लिए औसत नियोजित पूंजी (अर्थात् औसत निवल स्थिर परिसंपत्ति जमा औसत कार्यशली पूंजी) पर नियमावली के अनुबंध-III में यथा विहित एनआईपी ज्ञात करने के लिए एक तर्कसंगत आय (कर पूर्व 22 प्रतिशत की दर से) के कर पूर्व लाभ की अनुमित दी गई थी।
- 104. ऊपर यथा निर्धारित पहुंच कीमत और एनआईपी के आधार पर प्राधिकारी द्वारा निर्धारित क्षति मार्जिन नीचे तालिका में दिया गया है।

क्र. सं.	उत्पादक	क्षतिरहित कीमत (यूएस डॉलर/केजी)	पहुंच मूल्य (यूएस डॉलर/केजी)	क्षति मार्जिन (यूएस डॉलर/केजी)	क्षति मार्जिन (%)	क्षति मार्जिन (रेंज %)
1	झेजियांग एमिनो-केम कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	40-50
2	अन्य	***	***	***	***	50-60

ट. पाटन और क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति की संभावना

ट.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये अनुरोध

- 105. पाटन और क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति की संभावना के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किये गये हैं:
 - आवेदक ने पीयूसी तथा कुल उत्पादन (पीयूसी और एनपीयूसी) के समान होने का दावा किया है, जो गलत प्रतीत होता है।
 - ii. चीन से अधिकांश आयात, भारत को कुल आयातों का लगभग 70 प्रतिशत अग्रिम लाइसेंस के तहत हुए हैं।
 - iii. पीयूसी का बाजार ढांचा ऐसा है कि बाजार ढांचे के अधिकांश हिस्से को निर्यात वस्तुओं के उत्पादन द्वारा खपत किया गया है; समग्र बाजार का यह हिस्सा पाटनरोधी शुल्क पर विचार किये बिना घरेलू उद्योग के लिए उपलब्ध नहीं है।
 - iv. घरेलू उद्योग ने 2016-17 में अपनी क्षमता में कई गुना वृद्धि की है। जिसमें भारतीय कानूनों में निर्यात वस्तु के उत्पादन के लिए लक्षित आयातों पर व्यापार संरक्षण की अनुमति नहीं है।
 - v. क्षमता में वृद्धि, घरेलू मांग के मुकाबले न्यायोचित नहीं है। मांग में भावी वृद्धि के बारे में कोई दस्तावेज नहीं है।
 - vi. पाटनरोधी शुल्क के बावजूद आयात समान स्तर पर जारी रहे हैं और यह दर्शाता है कि चीन से आयात देश के उत्पादकों के लिए तकनीकी जरूरत हैं।
 - vii. अनुपम रसायन ने घरेलू उद्योग द्वारा अक्टूबर, 2010 से चीन के आयातों से क्षति के दावे के बावजूद इस बाजार में प्रवेश का कारण स्पष्ट नहीं किया है।
 - viii. कथित पाटित आयातों और क्षति के दावे और पाटन तथा क्षति की संभावना के बीच कोई सह संबंध नहीं है।
 - ix. घरेलू उद्योग का यह तर्क कि क्षति के मापदंडों में गिरावट आई है, त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि रुझान विश्लेषण के लिए प्रयुक्त आधार वर्ष गलत है क्योंकि वे असामान्य वर्ष थे।
 - अवदिक को चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तु के आयात के कारण पाटन या क्षिति से कोई क्षिति नहीं हुई है और उसके जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने का कोई खतरा नहीं है क्योंकि 2021-22 से 2022-23 (पीओआई) में आयातों में 54 प्रतिशत गिरावट आई थी।
 - xi. याचिकाकर्ता ने पूरे समूह के लिए स्थापित क्षमता का ब्यौरा दिया है जबिक वर्तमान जांच में वह संगत नहीं है। झेजियांग लोंगशेंग ग्रुप अन्य उत्पादों का उत्पादन करता है और याचिकाकर्ता द्वारा उल्लिखित क्षमता में केवल एमपीडीए ही नहीं बल्कि ये सभी शामिल हैं।
 - xii. वर्ष 2022 के लिए वार्षिक रिपोर्ट में झेजियांग लोंगशेंग द्वारा यह वक्तव्य कि '' भविष्य में वह एम फिनाइलीन डायमाइन की उत्पादन क्षमता में 100, 000टन/वर्ष का विस्तार करने की योजना रखता है। झेजियांग एमिनो केम कंपनी लिमिटेड एतदद्वारा यह अनुरोध करता है कि यह केवल एक भारी योजना है जो भविष्य में मांग तथा अन्य कारकों पर निर्भर करती है।

ट.2 घरेलू उद्योग द्वारा किये गये अनुरोध

- 106. पाटन और क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति की संभावना के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किये गये हैं:
 - प्रितवादी उत्पादक/निर्यातक शुल्क की समाप्ति पर मात्रा में वृद्धि की संभावना के साथ पाटन कर रहा है और उसने इसके खंडन का कोई वास्तविक साक्ष्य नहीं दिया है।
 - ii. किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने संभावना नहीं होने के अपने दावे के समर्थन में कोई वास्तविक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने पाटन की अनुपस्थिति सिद्ध करने का प्रयास नहीं किया है।
 - iii. शुल्क के साथ भी आयात काफी अधिक है और पाटित तथा क्षतिकारी कीमत पर हुए हैं। आयातों में 2020-21 में गिरावट आई (अधिकांशत: कोविड-19 के कारण), 2021-21 और 2021-22 के बाद वृद्धि हुई परंतु पीओआई में (मांग में गिरावट के कारण) गिरावट आई। पिछली और वर्तमान जांच में पाटनमार्जिन और क्षति मार्जिन सकारात्मक और काफी अधिक रहे हैं।
 - iv. चीन के पास पर्याप्त मुख्य रूप से निपटान योग्य क्षमता है। पहली एसएसआर में चीन की क्षमता 1.25 लाख एमटी (लगभग) थी। जबिक भारतीय मांग केवल लगभग 6000 एमटी थी। क्षित अविध में मांग में वृद्धि हुई है, परंतु क्षमता अब भी कुल भारतीय मांग से काफी अधिक है।
 - v. चीन में बढ़ी संख्या में उत्पादक हैं, जो मुख्यत: निर्यातोन्मुखी है और जिनके पास उनकी घरेलू मांग से अधिक क्षमताएं हैं। यह शुल्क समाप्ति की स्थिति में संभावित पाटन को दर्शाता है।
 - vi चीन में सबसे बड़ा उत्पादक झेजियांग लोंगशेंग ग्रुप क्षमता वृद्धि में निवेश कर रहा है जो चीन की अधिशेष क्षमता में और वृद्धि कर देगा।
 - vii. चीन का निर्यातोन्मुख होना और विशाल क्षमता भारतीय उद्योग के लिए एक बड़ा खतरा है झेजियांग लोंगशेंग ग्रुप और सिचुआन होंगगुआंग स्पेशल केमिकल कंपनी लिमिटेड ने विशेष रूप से भारत से एक प्रमुख निर्यात गंतव्य के रूप में अभिज्ञात किया है।
 - viii. चीन में उत्पादक हमेशा अपनी अधिशेष क्षमताओं के उपयोग के लिए अनुकूल बाजार तलाशते रहते हैं।
 - ix. भारतीय बाजार अत्यधिक कीमत संवेदनशील है। उपभोक्ता कीमत को सबसे पहला विचार मानते हुए खरीद करते हैं। ऐसे कम कीमत वाले आयातों की उलब्धता से डीआई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
 - x. जांच शुरूआत अधिसूचना में प्राधिकारी ने नोट किया कि आवेदक द्वारा प्रदत्त साक्ष्य शुल्क समाप्ति के मामले में पाटन और क्षति की प्रथमदृष्ट्या संभावना दर्शाते हैं।
 - xi. प्रतिवादी निर्यातक/उत्पादक ने प्रमाणिकता और प्राधिकारी द्वारा विश्लेषण की प्रकृति के बारे में निराधार आरोप लगाये हैं जो दर्शाते हैं कि शुल्क समाप्ति पर पाटन तेज करने की संभावना के साथ पाटन कर रहे हैं। इसका खंडन करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है।

ट.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

- 107. वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है और इस जांच का उद्देश्य पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति की स्थिति में यदि कोई वर्तमान क्षति न हो तो भी पाटन और परिणामी क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति की जांच करना है। इसमें यह विचार करना भी अपेक्षित है कि क्या लागू शुल्क क्षतिकारी पाटन को समाप्त करने के लक्षित प्रयोजन को पूरा कर रहा है।
- 108. यह भी नोट किया गया है कि पाटित आयातों के कारण क्षति जारी है। घरेलू उद्योग ने यह भी दावा किया है कि पाटनरोधी शुल्क को नहीं बढ़ाने की स्थिति में क्षति की पुनरावृत्ति की संभावना है। प्राधिकारी की जानकारी में लाये गये सभी कारकों की इस निर्धारण हेतु जांच की गई है कि क्या शुल्क की समाप्ति की स्थिति में पाटन और क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति होने की संभावना है। प्राधिकारी ने जांच की प्रक्रिया के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यथा उपलब्ध करायी विभिन्न सूचना पर पाटन या क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति होने की संभावना के मूल्यांकन के लिए विचार किया है।

- 109. ऐसा संभावना विश्लेषण करने के लिए कोई विशिष्ट पद्धति उपलब्ध नहीं है। तथापि, नियमावली के अनुबंध-II के खंड (vii) में अन्य बातों के साथ-साथ वे कारक हैं जिन पर विचार करना अपेक्षित है। अर्थातु:
 - i. भारत में पाटित आयातों की वृद्धि की अधिक दर जो आयातों में भारी वृद्धि की संभावना दर्शाती हो।
 - ii. निर्यातक की क्षमता में पर्याप्त मुख्य रूप से निपटान योग्य या आसन्न, भारी वृद्धि होना जो किसी अतिरिक्त निर्यात को खपाने के लिए अन्य निर्यात बाजारों की उपलब्धता पर विचार करते हुए भारतीय बाजारों को पाटित आयातों में भारी वृद्धि की संभावना दर्शाता हो।
 - iii. क्या आयात ऐसी कीमत पर प्रवेश कर रहे हैं जिससे घरेलू कीमतों पर काफी ह्रासकारी या न्यूनकारी प्रभाव पड़ेगा और उससे आगे और आयातों की मांग में वृद्धि होने की संभावना होगी; और
 - iv. वस्तु की मालसूची की जांच की जा रही है।
- 110. इसके अलावा, प्राधिकारी ने पाटन और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति की संभावना पर प्रभाव डालने वाले अन्य संगत कारकों की भी जांच की है। संभावना के मानदंडों की जांच निम्नानुसार है:

क) चीन से लगातार आयात और पाटन

- 111. यह देखा गया है कि पूरी क्षति अवधि में संबद्ध आयात काफी अधिक रहे हैं। कोविड-19 महामारी के कारण 2020- 21आयात में गिरावट आई। तत्पश्चात् 2021-22 में आयातों में काफी वृद्धि हुई परंतु मांग में गिरावट के कारण 2022- 23इनमें फिर गिरावट आई (सभी पक्षकारों के अनुरोधों के अनुसार मांग में गिरावट घरेलू और वैश्विक मांग में गिरावट के कारण हुई है)।
- 112. जांच से पता चला है कि वर्तमान अविध में पाटन मार्जिन और क्षित मार्जिन पिछली दो जांचों के समय पाये गए स्तरों से काफी अधिक बढ़ गए हैं। अत: यह देखा गया है कि चीन के उत्पादकों ने भारतीय बाजार में पाटन को और बढ़ा दिया है। इसके अलावा, वर्तमान पीओआई के दौरान देश में उत्पादन की खपत को देखते हुए आयातों की मात्रा काफी अधिक है।
 - ख) निविष्टि लागतों में वृद्धि के बावजूद आयात कीमतों में भारी गिरावट
- 113. जैसा ऊपर बताया गया है पिछले दो वर्षों के दौरान प्रत्यक्ष लागतों में वृद्धि के बावजूद आयात कीमत में तेजी से गिरावट आई है। इसके अलावा, चीन जन. गण. से उत्पादक और निर्यातक द्वारा कोई संगत सूचना नहीं दी गई है। तथापि, यह देखा गया है कि पीयूसी के उत्पादन में शामिल सभी प्रमुख निविष्टियां काफी व्यापार की गई वस्तुएं और इसका कोई कारण नहीं है कि केवल भारत में कीमतों में वृद्धि क्यों होनी चाहिए। वास्तव में व्यापार आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि इन प्रमुख निविष्टियों की कीमतों में वैश्विक रूप से वृद्धि हुई है। तथापि, चीन के उत्पादकों ने पिछले दो वर्षों में अपनी कीमतों में भारी कमी की है।

ग) तीसरे देश से पाटन

114. भागीदार निर्यातकों ने वैश्विक रूप से पीयूसी के अपने निर्यातों के संबंध में सूचना प्रस्तुत की है। भागीदार निर्यातकों द्वारा प्रदत्त सूचना के विश्लेषण से पता चलता है कि वैश्विक बाजार में चीन के उत्पादकों द्वारा वस्तुत: सामान्य मूल्य से कम कीमत पर सामग्री का निर्यात किया गया है।

उत्पादक/निर्यातक	यूनिट	झेजियांग एमिनो-केम कंपनी लिमिटेड
सीएनवी	यूएस डॉलर/केजी	***
एनईपी	यूएस डॉलर/केजी	***
पाटन मार्जिन	यूएस डॉलर/केजी	***
	%	***
	% रेंज	40-50

115. अत: यह देखा गया है कि चीन के उत्पादकों ने काफी पाटित कीमतों पर तीसरे देशों को उत्पाद का निर्यात किया है और ऐसे निर्यातों की मात्रा देश में उत्पाद की मांग को देखते हुए काफी अधिक है।

घ) निर्यातों की क्षतिकारी मात्रा

116. घरेलू उद्योग और भागीदार निर्यातकों द्वारा तीसरे देशों को निर्यातों के बारे में प्रदत्त सूचना दर्शाती है कि चीन के उत्पादकों ने अत्यधिक क्षतिकारी कीमतों पर तीसरे देशों को संबद्ध वस्तु का भारी मात्रा में निर्यात किया है।

उत्पादक/निर्यातक	यूओएम	झेजियांग एमिनो-केम कंपनी लिमिटेड
घरेलू उद्योग की एनआईपी	यूएस डॉलर/केजी	***
पहुंच मूल्य	यूएस डॉलर/केजी	***
क्षति मार्जिन	यूएस डॉलर/केजी	***
	%	***
	% रेंज	40-50

ङ) संबद्ध देश में अधिशेष क्षमताएं

117. विहित अपेक्षाओं के बावजूद प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों ने प्रश्नावली के अपने उत्तर में चीन में क्षमता या प्रचलित मांग का ब्यौरा नहीं दिया है। प्राधिकारी मानते हैं कि भागीदार निर्यातकों ने इस संबंध में संगत सूचना को छिपाया है। घरेलू उद्योग ने संगत साक्ष्य के साथ विभिन्न उत्पादकों की क्षमता संबंधी जानकारी दी है। इस जांच की प्रक्रिया के दौरान उपलब्ध करायी गई उत्पादकों की क्षमता की जानकारी निम्नानुसार है:

उत्पादक/निर्यातक	क्षमता (टन में)
जिआंगसु तियानजियायी केमिकल कंपनी लिमिटेड	17,000¹
झेजियांग लोंगशेंग ग्रुप	65,000 ^{1&2}
(झेजियांग एमिनो-केम)	35,000 ²
सिचुआन होंगगुआंग स्पेशल केमिकल कंपनी लिमिटेड	20,0003
ज्ञात उत्पादकों की कुल क्षमता	1,37,000 एमटी
रेंज	1,35,000 - 1,45,000 एमटी

स्रोत

- 118. यह देखा गया है कि एक मात्रा प्रतिवादी उत्पादक/निर्यातक झेजियांग एमिनो-केम की क्षमता 65,000 एमटी है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत और चीन इस उत्पाद के एक मात्र उत्पादक हैं। यह देखा गया है कि चीन के उत्पादकों के पास इतनी क्षमता है जो भारतीय मांग से काफी अधिक है। यह विशाल क्षमता शुल्क की समाप्ति की स्थिति में भारतीय बाजार में पाटन की संभावना दर्शाती है।
- 119. घरेलू उद्योग ने दलील दी है कि झेजियांग एमिनो-केम चीन में मौजूदा अधिशेष क्षमताओं के बावजूद क्षमता में 35,000 एमटी की वृद्धि कर रहा है। सुनवाई के दौरान जब पूछा गया तो भागीदार निर्यातक ने कंपनी द्वारा क्षमता वृद्धि से इंकार किया, परंतु यह स्वीकार करने से बचता रहा कि यह समूह क्षमता में वृद्धि कर रहा है। प्रतिवादी निर्यातक ने संगत सुचना नहीं दी है।

¹https://www.precisechem.com/news/current-dye-market-in-china-producersstop-receiving-orders-prices-soaring-dramatically/

² घरेलू उद्योग द्वारा यथा प्रस्तुत आवेदन के अनुबंध 4.1 के अनुसार)2022 के लिए लोंगशेंग समूह की वार्षिक रिपोर्ट का उद्धरण)

³ http://www.schgchem.com/about.html

च) संबद्ध देश में उत्पादकों का निर्यातोन्मुख होना

120. प्रतिवादी निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत उत्तर भारी निर्यात किया जाना दर्शाता है। निर्यातक का लगभग 50 प्रतिशत उत्पादन निर्यातों के लिए है। प्राधिकारी ने झेजियांग लोंगशेंग ग्रुप की वार्षिक रिपोर्ट (2022) से देखा है कि कंपनी का फोकस अधिकांशत: निर्यात पर है। वार्षिक रिपोर्ट में भारत को निर्यात के लिए एक प्रमुख गंतव्य के रूप में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। इसके अलावा, सिचुआन होंगगुआंग स्पेशल केमिकल कंपनी लिमिटेड ने भी भारत को एक निर्यात गंतव्य माना है। उनकी वेबसाइट से संगत पैरा नीचे उद्धरित है:

हमारे उत्पाद निम्नलिखित देशों में बेचे जाते हैं:

चीन, जापान, कोरिया, अमेरिका, जर्मनी, स्पेन, ब्रिटेन, भारत, पाकिस्तान, थाईलैंड, सिंगापुर, आदि।

121. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि चीन में निर्माता अपनी क्षमता का उपयोग करने के लिए अनुकूल बाजारों की तलाश में हैं। चीनी उत्पादकों के साथ उनके निर्यात अभिविन्यास के अनुरूप संबद्ध वस्तुओं की विशाल क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए, शुल्क समाप्त होने पर भारत में डंप किए गए आयात में वृद्धि की उच्च संभावना है।

ठ. प्रकटीकरण के बाद प्रस्तुतियाँ

ठ.1 अन्य इच्छुक पार्टियों द्वारा प्रस्तुतियाँ

- 122. प्रकटीकरण विवरण पर अन्य इच्छुक पार्टियों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए थे:
 - i. प्रकटीकरण विवरण के पृष्ठ संख्या 10 पर पीयूसी की उत्पादन प्रक्रिया के लिए दिया गया फ्लो चार्ट गलत और भ्रामक है।
 - ii. एच2 और उत्प्रेरक का उपयोग करके डि-नाइट्रो बेंजीन को कम किया जाता है, फिर उत्पाद को 85% एमपीडीए, 15% ओपीडी और पीपीडी प्राप्त करने के लिए आसुत किया जाता है। ओपीडी और पीपीडी दोनों बिक्री योग्य उत्पाद हैं। उत्पादक/निर्यातक की जानकारी के अनुसार यह भारतीय और चीन में मानक उत्पादन पद्धति है।
 - iii. उत्तर देने वाले उत्पादक/निर्यातक की जानकारी के अनुसार आवेदक एमपीडी के साथ पीपीडी और ओपीडी का उत्पादन करता है जिसकी पृष्टि या प्रकटीकरण विवरण में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है।
 - iv. यदि आवेदक ओपीडी और पीपीडी का उत्पादन नहीं करने का दावा कर रहा है, तो आवेदक और निर्यातक की विनिर्माण विधि इस सीमा तक भिन्न होती है और इसलिए उत्पादन की लागत भी इस सीमा तक भिन्न होती है।
 - प्राधिकरण को आवेदक से उनके द्वारा बेची गई ओपीडी और पीपीडी की मात्रा के संबंध में स्पष्टीकरण मांगना चाहिए और क्या एमपीडी की लागत की गणना करते समय उनकी बिक्री को शामिल किया गया है।
 - vi. आवेदक ने अपने दावे को सही ठहराने के लिए POI से पहले के 2 वर्षों का डेटा लिया है। स्थिति सामान्य होने पर डंपिंग को उचित ठहराने के लिए असामान्य परिस्थितियों और असामान्य कीमत और बाजार की स्थिति पर विचार नहीं किया जा सकता है।
 - vii. प्रतिसाद देने वाले उत्पादक/निर्यातक का कहना है कि बाजार स्रोतों के अनुसार दोनों आवेदकों ने जांच अवधि के दौरान और जांच अवधि के बाद 4 अमेरिकी डॉलर पर पीयूसी का निर्यात किया है। बिक्री मूल्य को लागतों के लिए समायोजित किया गया है क्योंकि यह आवेदक द्वारा दावा की गई लागत से कम प्रतीत होता है।
 - viii. झेजियांग एमिनो-केम की मूल कंपनी शंघाई स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है और शेयर बाजार में सूचीबद्ध कोई भी कंपनी बाजार हिस्सेदारी हासिल करने के लिए 10 साल तक डंपिंग का सहारा नहीं लेगी।
 - ix. प्रतिक्रिया देने वाले उत्पादक के उत्पादन का 50% आंतरिक रूप से रेसोरिसिनॉल, एमएपी, डीईएमएपी, एमडीएसए का उत्पादन करने के लिए उपयोग किया जाता है। उत्पादन का

- 40% चीन में रंगों और फाइबर बाजार में बेचा जाता है और केवल 10% निर्यात के लिए उपयोग किया जाता है। जांच अवधि के दौरान निर्यात कुल उत्पादन का केवल 7 .69% था। इसलिए झेजियांग एमिनो-केम भारत में पीयूसी की डंपिंग नहीं कर रहा है।
- x. POI के लिए चीन में उत्पादकों के लिए क्षमता की जानकारी, चीनी उत्पादकों में से एक ने संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन बंद कर दिया है या अब नहीं कर रहा है, प्रकटीकरण विवरण में माल का उत्पादन करने के रूप में बताया गया है।
- xi. डीजीटीआर नियोजित पूंजी पर 22% रिटर्न लागू करके घरेलू उद्योग को अनुचित सुरक्षा दे रहा है. जिसे 1987 में डिजाइन किया गया था।
- xii. महानिदेशक द्वारा निर्धारित एनआईपी अत्यधिक बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया है और वास्तविक स्थिति पर आधारित नहीं है। प्राधिकरण को घरेलू उद्योग द्वारा अर्जित वास्तविक लाभ को अपनाना चाहिए, न कि 22% आरओसीई को, जिसे अपनाने से घरेलू उद्योग को अनुचित सुरक्षा मिलती है।
- xiii. 22% ROCE का आधार 1987 में डिज़ाइन किया गया था, जब ब्याज दर, कॉर्पोरेट टैक्स दर जैसे सभी पैरामीटर अलग-अलग थे। 30 वर्ष के बाद इन्हें उचित नहीं कहा जा सकता। 1987 में ब्याज 18% और कॉर्पोरेट टैक्स 40% था, अब ब्याज 10% और कॉर्पोरेट टैक्स 30% के आसपास है।
- xiv. ब्रिज स्टोन टायर मैन्युफैक्चरिंग और अन्य बनाम नामित प्राधिकारी का संदर्भ जिसमें माननीय सीईएसटीएटी ने देखा है कि नामित प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई 22% आरओसीई की प्रथा सही नहीं थी क्योंकि रिटर्न की इतनी उच्च दर मानकर एनआईपी की गणना करना एक बढ़ा-चढ़ा कर पेश करता है। कीमत से कम कीमत पर बिक्री की तस्वीर.
- xv. जीडीएमए को निर्धारित समय के भीतर एक इच्छुक पार्टी के रूप में विचार करने के लिए पंजीकृत किया गया है, प्रतिवादी ने जांच के अन्य चरणों में भी भाग लिया है और अपनी दलीलें दाखिल की हैं। हालाँकि, प्रतिवादी का नाम धारा बी (प्रक्रिया) में शामिल नहीं है।
- xvi. जीडीएमए द्वारा किए गए अनुरोध की जांच करने का अनुरोध कि प्रवृत्ति विश्लेषण के लिए उपयोग किए जा रहे आधार वर्ष असामान्य वर्ष थे। प्रकटीकरण विवरण से यह स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग पर विषय आयात के मूल्य प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए अप्रैल 2019 से फरवरी 2023 की अविध के लिए आवेदक के लिए आयात कीमतों और घरेलू कीमतों पर विचार किया गया था।
- xvii. पिछले 2 वर्षों और आधार वर्ष के दौरान आवेदक के प्रदर्शन की तुलना बेतुकेपन को जन्म देगी।
- xviii. संबद्ध देश से डंपिंग और क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति की कोई संभावना नहीं है। पीयूसी के आयात में पिछले वर्ष की तुलना में जांच अवधि में 54% की भारी गिरावट आई।
- xix. आवेदक का निर्यात मूल्य घरेलू मूल्य से अधिक है। भारत में उपयोग किया जाने वाला एमपीडीए एक कम लागत वाला उत्पाद है जबकि अन्य देशों में उपयोग किया जाने वाला एमपीडीए बहुत उच्च गुणवत्ता वाला उत्पाद है।
- xx. चोट के कारण बनने वाले अन्य कारकों की जांच करने का अनुरोध। क्षमता में असामान्य वृद्धि, अर्थव्यवस्था में मंदी, आंतरिक प्रतिस्पर्धा, आवेदक की आंतरिक अक्षमता, निर्यात बिक्री में महत्वपूर्ण गिरावट, प्रति यूनिट निर्यात बिक्री में महत्वपूर्ण गिरावट, मांग में संकुचन।
- xxi. घरेलू उद्योग द्वारा व्यापार उपचार उपायों का निरंतर और निरंतर उपयोग पूरी तरह से अनुचित है।
- xxii. इस विशिष्ट तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि चीन से अधिकांश आयात अग्रिम लाइसेंस के

अंतर्गत हैं, शुल्कों का विस्तार उचित नहीं है। भारत में कुल आयात का लगभग 70% अग्रिम लाइसेंस के विरुद्ध है जो एडीडी के अधीन नहीं है।

41

- xxiii. शुल्क का प्रभाव उपभोक्ताओं विशेषकर कपड़ा क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा।
- xxiv. डायरेक्ट ब्लैक 22 की प्रति यूनिट कीमत गलत बताई गई है और डायरेक्ट ब्लैक 22 की औसत कीमत 380 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- xxv. उपायों का प्रतिकूल प्रभाव न्यूनतम 2.4% से अधिकतम 14.2% तक होता है।
- xxvi. प्राधिकरण से अनुरोध है कि वह उल्लेखित मुद्दों की जांच करे और एक अन्य प्रकटीकरण विवरण जारी करे जिस पर इच्छुक पक्ष अपनी टिप्पणियाँ दे सकें।

ठ.2. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुतियाँ

- 123. उद्योग के हित के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ की गईं :
 - संबद्ध वस्तुओं के वैश्विक उत्पादन में चीन और झेजियांग लोंगशेंग समूह की हिस्सेदारी सबसे बड़ी है।
 - ii. बाजार रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक एमपीडीए बाजार का मूल्य 2022 में 589.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर था, यानी 2022 में औसत चीनी निर्यात मूल्य पर विचार करते हुए 1,65,000 मीट्रिक टन। वर्ष 2022 में चीन ने वैश्विक बाजार का लगभग 87% हिस्सा लिया, जो बहुत बड़ा है और संपूर्ण वैश्विक बाज़ार से थोड़ा ही कम है।
 - iii. बाजार रिपोर्ट में कहा गया है कि झेजियांग लोंगशेंग वैश्विक स्तर पर एमपीडीए का सबसे बड़ा निर्माता है, जिसकी वैश्विक स्तर पर लगभग 69% बाजार हिस्सेदारी है। झेजियांग लोंगशेंग समूह मूल कंपनी है, जिसकी सहायक निर्माता झेजियांग एमिनो-केम एक सहायक कंपनी है।
 - iv. प्रकटीकरण विवरण में प्राधिकरण ने सही ढंग से नोट किया है कि किसी भी इच्छुक पक्ष ने रिकॉर्ड पर सबूत नहीं लाया है जो दर्शाता है कि उपयोगकर्ताओं या डाउनस्ट्रीम उद्योग को एंटी-डंपिंग शुल्क के कारण प्रतिकूल प्रभाव/प्रभाव का सामना करना पड़ा है या सामना करना पड़ेगा।
 - v. यह स्थापित करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई जानकारी नहीं है कि उपभोक्ताओं पर शुल्क के विस्तार पर प्रतिकृल प्रभाव पड़ने की संभावना है।
 - vi. शुल्क मुक्त और शुल्क भुगतान दोनों के तहत महत्वपूर्ण आयात के आधार पर वर्तमान जांच में डंपिंग मार्जिन और क्षति मार्जिन को संबोधित करने के लिए वर्तमान एंटी-डंपिंग शुल्क की मात्रा को और बढ़ाया जाना चाहिए।
 - vii. जांच के पिछले खंडों की तुलना में वर्तमान जांच में डंपिंग मार्जिन और क्षति मार्जिन सबसे अधिक है। इसके अलावा, आयात काफी कम कीमत पर हो रहा है।
 - viii. एडीडी जोड़ने के बाद भी शुल्क भुगतान किए गए आयात की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत से काफी कम है, जिससे घरेलू बाजार में महत्वपूर्ण मूल्य मंदी होने की संभावना है।
 - ix. शुरुआत में घरेलू उद्योग के प्रदर्शन में सुधार हुआ, हालांकि आयात कीमतों में उल्लेखनीय गिरावट के साथ इसमें काफी गिरावट आई। इसलिए, शुल्क की मात्रा में वृद्धि न करने से घरेलू उद्योग को तीव्र क्षति होगी।
 - x. जियांगशु तियानजियायी केमिकल्स कंपनी लिमिटेड पीयूसी का प्रमुख उत्पादक नहीं था, बल्कि उसके पास पीयूसी की लगभग 17,000 मीट्रिक टन उत्पादन क्षमता थी। 2019-20 में चीन पीआर से आयात की मात्रा अभी भी महत्वपूर्ण थी और POI में प्रचलित स्तर से अधिक थी। इसलिए, जियांगशु तियानजियायी केमिकल्स से संबंधित घटना का घरेलु और

- निर्यात कीमतों पर उतना महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ सकता था।
- xi. यहां तक कि कोविड-19 में भी, चीन से आयातित आयात ने मांग में बाजार हिस्सेदारी का लगभग 35% कब्जा कर लिया और उसके बाद के वर्ष में 48% और POI में 43% तक पहुंच गया।
- xii. उपयोगकर्ता उद्योग ने इतनी देर से अपने तर्कों का समर्थन करने के लिए कोई भौतिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है और इसलिए वे निराधार और खोखले हैं।
- xiii. उपयोगकर्ता उद्योग का दावा है कि चोट की अवधि के 3 वर्ष असामान्य हैं और अन्य उपर्युक्त तर्क निराधार हैं और प्राधिकरण द्वारा खारिज कर दिया जाना चाहिए।
- xiv. जांच की अवधि में कीमतें निर्विवाद रूप से घरेलू उद्योग की बिक्री लागत, एनआईपी और बिक्री मूल्य के स्तर से कम हैं, जिसके परिणामस्वरूप उद्योग को नुकसान हुआ है। इस प्रकार, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि आयात से घरेलू उद्योग को लगातार नुकसान हो रहा है।
- xv. बताए गए 146 दिनों के शटडाउन में से, 139 दिन बाजार की मौजूदा स्थितियों के कारण थे, जिसमें घरेलू उद्योग को ये शटडाउन करने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि वह चीनी आयात से बाधित बाजार की स्थिति को देखते हुए उत्पादन करने में असमर्थ था।
- xvi. मांग में गिरावट के बावजूद, चीन से आयात काफी कम कीमत पर बढ़ गया है, जिससे उत्पादकों के लिए आगे उत्पादन अव्यवहार्य हो गया है। घरेलू उद्योग इन्वेंट्री के माध्यम से बिक्री कर रहा था और यहां तक कि इन्वेंट्री में भी वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई है, जिससे आगे का उत्पादन अव्यवहार्य हो गया और परिणामस्वरूप उत्पादन को विनियमित किया गया, और संयंत्र को तुरंत बंद कर दिया गया।

ठ.3. प्राधिकारी द्वारा परीक्षा

- 124. प्राधिकरण ने इच्छुक पार्टियों द्वारा प्रकटीकरण के बाद की गई प्रस्तुतियों की जांच की है और नोट किया है कि कुछ टिप्पणियाँ दोहराई गई हैं जिनकी पहले ही उचित रूप से जांच की जा चुकी है और अंतिम निष्कर्षों के प्रासंगिक पैराग्राफ में पर्याप्त रूप से संबोधित किया गया है। इच्छुक पार्टियों द्वारा प्रकटीकरण के बाद की टिप्पणियों/प्रस्तुतियों में पहली बार उठाए गए और प्राधिकरण द्वारा प्रासंगिक माने गए मुद्दों की जांच नीचे की गई है।
- 125. अन्य इच्छुक पार्टियों ने तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान की गई उत्पादन प्रक्रिया इस हद तक त्रुटिपूर्ण है कि इसमें ओपीडी और पीपीडी का उल्लेख नहीं है, जो दोनों बिक्री योग्य उत्पाद हैं और उन्होंने बेची गई ओपीडी और पीपीडी की मात्रा से संबंधित एक प्रश्न भी उठाया है। एमपीडी की लागत की गणना करते समय घरेलू उद्योग पर विचार किया जा रहा है। प्राधिकरण ने अपने आवेदन में घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान की गई जानकारी और डेस्क और ऑन-साइट सत्यापन द्वारा सत्यापित जानकारी से नोट किया है कि घरेलू उद्योग पहले से ही एमडीएनबी, के उत्पादन में इनपुट की खपत को अलग करता है। प्राधिकरण ने आगे कहा है कि याचिकाकर्ता द्वारा बताई गई कच्चे माल की खपत में केवल इनपुट की उतनी मात्रा को ध्यान में रखा गया है जितनी एमपीडीए के उत्पादन में खपत की गई थी। लागत और एनआईपी के निर्धारण के लिए विचार की गई खपत में ओपीडीए और पीपीडीए का उत्पादन करने के लिए कच्चे माल की लागत शामिल नहीं है और इसे आवेदन के चरण में ही अलग कर दिया गया है। इस प्रकार आवेदक ने विशेष रूप से एमपीडीए के लिए कच्चे माल की लागत की सूचना दी है और इसमें ओपीडीए और पीपीडीए के उत्पादन के लिए कच्चे माल की लागत शामिल नहीं है।
- 126. प्राधिकरण ने जांच की कि क्या उत्पाद ग्रेड में अंतर के कारण घरेलू उद्योग की निर्यात कीमत घरेलू कीमत से अधिक थी। इस उद्देश्य के लिए, प्राधिकरण ने उत्पाद के समान ग्रेड [99.8% सांद्रता] के लिए घरेलू उद्योग की घरेलू और निर्यात कीमत की तुलना की। यह देखा गया है कि क्षति अवधि की चार अवधियों में से तीन में घरेलू उद्योग की निर्यात कीमत घरेलू कीमत से अधिक थी। इसके अलावा, घरेलू उद्योग का निर्यात मूल्य जांच अवधि में 36% अधिक था, तब भी जब बिक्री की मात्रा बहुत तुलनीय थी। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला गया कि घरेलू उद्योग 2020-21 के अपवाद को छोड़कर, घरेलू बाजार की तुलना में निर्यात बाजार में अधिक कीमत प्राप्त करने में सक्षम था। इसके अलावा, जांच की अवधि में अंतर बहुत अधिक था।

豖.	विवरण	यूओएम	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
सं.						
ए	संस्करणों	मीट्रिक टन				
1	घरेलू		***	***	***	***
2	निर्यात		***	***	***	***
बी	औसत मूल्य	रु/किलो				
3	घरेलू		***	***	***	***
4	निर्यात		***	***	***	***
सी	अंतर	रु/किलो	***	***	***	***
		%	***	***	***	***
		श्रेणी	15-25	(15-25)	0-10	30-40

- 127. प्रतिसाद देने वाले निर्यातक/निर्माता ने दावा किया है कि प्रतिसाद देने वाले उत्पादकों की मूल कंपनी यानी झेजियांग लोंगशेंग समूह शंघाई स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनी है और एक सूचीबद्ध कंपनी 10 वर्षों तक डंपिंग का सहारा नहीं लेगी। प्राधिकरण नोट करता है कि डंपिंग का अस्तित्व या अनुपस्थिति तथ्य का विषय है। जांच से पता चला है कि मौजूदा जांच अविध में डंपिंग मार्जिन वास्तव में पिछली जांच से अधिक है।
- 128. उत्तर देने वाले उत्पादक/निर्यातक ने आगे कहा है कि उनके उत्पादन का केवल 10% निर्यात किया जाता है और उनके द्वारा उत्पादित शेष 90% संबद्ध वस्तुओं का या तो निजी तौर पर उपयोग किया जाता है या चीनी डाई निर्माताओं को बेच दिया जाता है। इस संबंध में प्राधिकरण नोट करता है कि आवेदक द्वारा रिकॉर्ड पर लाई गई 2022 के लिए झेजियांग लोंगशेंग की वार्षिक रिपोर्ट स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करती है कि समूह के प्रमुख बिक्री क्षेत्रों की पहचान जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, भारत, वियतनाम, बांग्लादेश के रूप में की गई है। तुर्की, पाकिस्तान और अन्य देश। जांच से पता चला है कि प्रतिसाद देने वाले निर्यातक/निर्माता के लिए डंपिंग मार्जिन और क्षति मार्जिन न केवल न्यूनतम सीमा से अधिक है, बल्कि महत्वपूर्ण और अतीत की तुलना में अधिक है, जो इस तर्क को खारिज करता है कि निर्यातक के पास उत्पाद निर्यात करने की कोई बाध्यता नहीं है।
- 129. झेजियांग एमिनो-केम ने तर्क दिया कि पीओआई के लिए घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान की गई चीनी उत्पादकों की क्षमता जानकारी सही नहीं है। प्राधिकरण ने चीनी उत्पादकों के लिए एक प्रश्नावली निर्धारित की है, जबिक प्राधिकरण को चीनी क्षमता, उत्पादन, घरेलू खपत और निर्यात पर जानकारी की आवश्यकता है। यह ध्यान देने योग्य है कि बड़ी क्षमता रखने के बावजूद, कंपनी ने अपने प्रश्नावली के उत्तर में प्रासंगिक जानकारी प्रदान नहीं करना पसंद किया। निर्यातक के लिए प्रासंगिक जानकारी प्रदान करना बहुत आसान था और प्राधिकरण ने वर्तमान निर्धारण के लिए उसी पर विचार किया होगा। निर्यातक ने अपने समह की कंपनी के पास क्षमता की जानकारी भी उपलब्ध नहीं कराई है। ऐसी स्थिति में जहां चीनी निर्यातकों ने प्रासंगिक जानकारी प्रदान नहीं की है, प्राधिकरण को रिकॉर्ड पर जानकारी के आधार पर निर्धारण करना आवश्यक है। घरेलू उद्योग ने समृह की कंपनियों के साथ क्षमता के साक्ष्य प्रदान किए. जबकि भाग लेने वाले निर्यातक ने खद को अपनी क्षमता तक ही सीमित रखा है. और समृह के साथ भी क्षमता की जानकारी प्रदान नहीं की है। यह भी नोट किया गया है कि मौखिक सुनवाई के समय निर्यातक से विशेष रूप से यह स्पष्ट करने के लिए कहा गया था कि क्या समृह कंपनियों द्वारा क्षमता वृद्धि के संबंध में घरेलू उद्योग का दावा सही था। निर्यातक ने अपने निवेदन में केवल इतना कहा कि क्षमता विस्तार एक प्रस्ताव है और यदि बाजार उपयुक्त नहीं है तो इसका विस्तार नहीं किया जाएगा। प्राधिकरण यह भी नोट करता है कि जिस उत्पादक के संयंत्र में दुर्घटना हुई और वह उत्पादन से बाहर हो गया, उसकी क्षमता केवल 17,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष है। झेजियांग लोंगशेंग समृह की क्षमता सकल भारतीय मांग से 10 गुना से अधिक है और इसलिए यह भारतीय उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा है, खासकर जब वर्तमान अवधि में डंपिंग और क्षति मार्जिन में वृद्धि हुई है।

- 130. उपयोगकर्ता उद्योग ने यह तर्क उठाया है कि वर्तमान एंटी-डंपिंग उपाय उचित नहीं है क्योंकि 70% से अधिक आयात अग्रिम लाइसेंस के तहत आते हैं और एंटी-डंपिंग शुल्क के लिए अतिसंवेदनशील नहीं हैं। प्राधिकरण नोट करता है कि (ए) आयात के विश्लेषण से पता चलता है कि शुल्क भुगतान श्रेणी के तहत आयात लगभग 50% है, (बी) शुल्क भुगतान सामग्री का आयात मूल्य शुल्क मुक्त सामग्री के आयात मूल्य से काफी कम है। यह शुल्क भुगतान सामग्री का आयात मूल्य है जो एडीडी की समाप्ति की स्थिति में चोट की संभावना का पता लगाने के लिए शुल्क मुक्त सामग्री के आयात मूल्य से अधिक प्रासंगिक है। इसके अलावा, शुल्क भुगतान सामग्री की मात्रा काफी महत्वपूर्ण है, जब इसका अनुपात 50% या 70% माना जाता है। प्राधिकरण यह भी नोट करता है कि यह अस्पष्ट है कि चीनी उत्पादक शुल्क मुक्त आपूर्ति की तुलना में शुल्क भुगतान आपूर्ति के लिए कम कीमत क्यों वसूल रहे थे। प्राधिकरण का मानना है कि यह स्पष्ट रूप से चीनी उत्पादकों द्वारा अवसरवादी मूल्य निर्धारण का संकेत है। इसके अलावा, शुल्क भुगतान मूल्य स्पष्ट रूप से उस कीमत को दर्शाता है जो चीनी उत्पादकों द्वारा एडीडी की समाप्ति की स्थिति में वसूले जाने की संभावना है।
- 131. एनआईपी की गणना के लिए नियोजित पूंजी पर 22% रिटर्न के संबंध में इच्छुक पार्टियों द्वारा किए गए अनुरोध के संबंध में, प्राधिकरण नोट करता है कि एनआईपी की गणना एंटी-डंपिंग नियमों के अनुबंध III और प्राधिकरण के निरंतर अभ्यास के अनुसार की गई है।
- 132. अन्य इच्छुक पार्टियों द्वारा प्रकटीकरण के बाद की प्रस्तुतियों में उठाए गए अन्य तर्कों के संबंध में, जो पहले की प्रस्तुतियों की पुनरावृत्ति हैं, प्राधिकरण ने इन प्रस्तुतियों की उपयुक्त रूप से जांच की है और अंतिम निष्कर्षों के प्रासंगिक पैराग्राफ में उन्हें पर्याप्त रूप से संबोधित किया है। ये प्रस्तुतियाँ चोट के जारी रहने या पुनरावृत्ति की संभावना, कारण संबंध, चोट के अन्य कारकों, भारतीय उद्योग के हित से संबंधित थीं।

ड. भारतीय उद्योग के हित और अन्य मुद्दे

ड.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये अनुरोध_

- 133. भारतीय उद्योग के हित के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किये गये हैं:
 - आवेदक ने शुल्क लागू होने के बाद कीमतों में भारी वृद्धि की है और वह भारतीय बाजार में एकाधिकार का लाभ ले रहा है क्योंकि आवेदक भारतीय बाजार में कीमत निर्धारक है।
 - एमपीडीए के प्रयोग से डाई का निर्माण करने वाली छोटी भारतीय कंपनियां अधिकांशत: एमएसएमई हैं
 और वे डाई का निर्यात करने में असमर्थ हैं क्योंकि उनके पास अग्रिम लाइसेंस लेने के लिए अपेक्षित
 अवसंरचना नहीं है।
 - iii. भारत में छोटे डाई विनिर्माता पाटनरोधी शुल्क के भुगतान के बिना एमपीडीए का आयात नहीं कर सकते हैं।
 - iv. ये उत्पादक डाई के वैश्विक उत्पादकों के मुकाबले अप्रतिस्पर्धी हो गए हैं।
 - v. 80प्रतिशत एमपीडीए के प्रयोग डाई विनिर्माण में होता है जिसे वस्त्र उद्योग में प्रयोग किया जाता है। शुल्क लगाने से एमएसएमई वस्त्र प्रयोक्ताओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
 - vi प्राधिकारी को घरेलू उद्योग के निष्पादन, मांग के पैटर्न, उस अवधि के दौरान आयात कीमत की गतिविधि आदि पर शुल्क के प्रभाव की जांच करनी चाहिए, जब शुल्क लागू थे।
 - vii. इस जांच में पाटनरोधी उपाय जारी रखना भारतीय घरेलू उद्योग और उसके डाउनस्ट्रीम उद्योगों की दीर्घावधिक और समग्र हितों से असंगत होगा।
 - viii. व्यापार संरक्षण के साधन के रूप में एडीडी का अनुचित कार्यान्वयन उद्योग के संरक्षण की भूमिका में नहीं हो सकता है बल्कि इससे अनुचित प्रतिस्पर्धी महौल बन जाएगा और उनके संबंधित उद्योगों के मौलिक हितों को नुकसान होगा।

ड.2 <u>घरेलू उद्योग द्वारा किये गये अनुरोध</u>

- 134. भारतीय उद्योग के हित के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किये गये हैं:
 - सबसे पहले यह अनुरोध है कि वर्तमान जांच में केवल एक प्रयोक्ता एसोसिएशन ने भाग लिया है।
 आर्थिक हित प्रश्नावली जारी करने के बावजूद प्रयोक्ता ने कोई सूचना नहीं दी है।
- ii. प्रतिवादी निर्यातक ने भी ईआईक्यू प्रस्तुत नहीं किया है।

- iii. एसोसिएशन की ओर से अनेक अनुरोध किये गये हैं। तथापि, एसोसिएशन ने कोई अनुरोध या ईआईक्यू का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है। और न ही एसोसिएशन के सदस्यों ने प्राधिकारी से सहयोग किया है।
- iv. किसी प्रतिकूल जनिहत पर हितबद्ध पक्षकारों के पूर्णत: मौन को देखते हुए प्राधिकारी को यह मानना चाहिए कि उपाय जनिहत में हैं और कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं दर्शाया गया है।
- v. पूर्ववर्ती उपायों के लागू होने के कारण किसी ढंग या तरीके से कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है। मूल जांच में और पहली एसएसआर तथा एडी लागू होने के बाद घरेलू उद्योग ने केवल विकास किया है।
- vi पूर्ववर्ती उपायों से तात्कालीक उपभोक्ताओं, डाउनस्ट्रीम उद्योग या सामान्य जनता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा था। यथा परिकलित और आवेदक द्वारा प्रदत्त शुल्क का प्रभाव इतना कम था कि यह प्रभाव लगभग नगण्य है।

ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

- 135. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य सामान्यत: पाटन की अनुचित व्यापार प्रक्रियाओं द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षित को समाप्त करना है तािक भारतीय बाजार में खुली और उचित प्रतिस्पर्धा की स्थित बहाल हो सके जो देश के सामान्य हित में है। पाटनरोधी उपाय के जारी रहने से संबद्ध देश से आयात किसी भी तरह प्रतिबंधित नहीं होंगे । प्राधिकारी मानते है कि पाटनरोधी शुल्क जारी रहने से भारत में उत्पाद के कीमत स्तर प्रभावित हो सकते हैं। तथापि, पाटनरोधी उपायों के लागू होने से भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा कम नहीं होगी। इसके विपरीत पाटनरोधी उपाय के जारी रहने से यह सुनिश्चित हुआ कि पाटन की प्रक्रिया से कोई अनुचित लाभ न मिले, घरेलू उद्योग की गिरावट पर रोक लगेगी और उपभोक्ताओं के लिए संबद्ध वस्तु के व्यापार विकल्प बनाये रखने में मदद मिलेगी।
- 136. प्राधिकारी ने विचार किया कि क्या पाटनरोधी शुल्क जारी रखने से जनिहत पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ऐसे प्रभाव के निर्धारण के लिए प्राधिकारी ने भारतीय बाजार में वस्तु की उपलब्धता पर शुल्क जारी रखने के प्रभाव, उत्पाद के प्रयोक्ताओं पर प्रभाव तथा घरेलू उद्योग पर प्रभाव और जन साधारण पर प्रभाव की जांच की। यह निर्धारण वर्तमान जांच की प्रक्रिया में प्रस्तुत अनुरोधों और साक्ष्य पर आधारित है।
 - क. प्राधिकारी ने आयातकों, उपभोक्ताओं और अन्य सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों से विचार मंगाते हए जांच शुरूआत अधिसुचना जारी की थी। प्राधिकारी ने वर्तमान जांच में प्रयोक्ताओं/उपभोक्ताओं के लिए उनके प्रचालनों पर पाटनरोधी शुल्क के संभावित प्रभाव सहित संगत सूचना देने के लिए एक प्रश्नावली भी विहित की है। प्राधिकारी ने आयातकों, उपभोक्तओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों से विचार मंगाते हुए राजपत्र अधिसूचना जारी की। प्राधिकारी ने उनके प्रचालनों पर एडीडी के प्रभाव सहित वर्तमान जांच के संबंध में संगत सूचना प्रदान करने के लिए उपभोक्ताओं हेत् एक प्रश्नावली भी विहित की थी। प्राधिकारी ने अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न देशों से विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्तित उत्पाद की प्रतिस्थापनीयता, घरेलू उद्योग की स्रोत बदलने की क्षमता, उपभोक्ताओं पर एडीडी के प्रभाव, वह कारक जिनसे एडीडी के लगने पर नई स्थिति में समायोजन में तेजी या देरी होने की संभावना है, वर्तमान शुल्क को वापस लेने या बनाये रखने के प्रभाव संबंधी सचना मांगी थी। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेल उद्योग को छोड़कर किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने आर्थिक हित प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है। प्रयोक्ता एसोसिएशन ने वर्तमान जांच में उत्तर दिया है। तथापि, उसके किसी भी सदस्य ने प्रयोक्ता प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह दर्शाने वाला कोई साक्ष्य नहीं है कि एडीडी लागू होने से उपभोक्ताओं या जन साधारण पर कोई खास प्रतिकृल प्रभाव पड़ेगा। बजाय इसके, प्राधिकारी ने प्रयोक्ता उद्योग के अनुरोधों से यह नोट किया है कि अधिकांश प्रयोक्ता उद्योग अग्रिम लाइसेंस के तहत आयात कर रहे हैं और इसलिए वे पाटनरोधी शुल्क की भुगतान से छुट प्राप्त हैं। जैसा घरेलू उद्योग ने सही तर्क दिया है कि ऐसे आयातक जो अग्रिम लाइसेंस के तहत संबद्ध वस्तु का आयात कर रहे हैं। पहले से ही पाटनरोधी शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त हैं और उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
 - ख. इसके अतिरिक्त, प्राधिकरण नोट करता है कि घरेलू उद्योग ने संबद्ध वस्तुओं का उपयोग करने वाले डाउनस्ट्रीम उत्पादों पर शुल्क के प्रभाव की गणना की है। इस विश्लेषण को करने के लिए घरेलू उद्योग ने SION पर आधारित उपभोग मानदंडों पर विचार किया है। इसके बाद घरेलू उद्योग ने डाउनस्ट्रीम उत्पादों पर शुल्क के प्रभाव की गणना की है। इच्छुक पार्टियों में से एक ने बताया है कि प्रस्तावित उपायों के प्रभाव का

निर्धारण करने के लिए घरेलू उद्योग द्वारा विचार की गई डायरेक्ट ब्लैक 22 की कीमत गलत है। इसलिए प्राधिकरण ने गणना की समीक्षा की और पाया कि प्रभाव निर्धारित करने के लिए विचार की गई कीमतों में त्रुटि थी। इसलिए प्राधिकरण ने प्रस्तावित उपायों के प्रभाव का निर्धारण किया है और वर्तमान निर्धारण के लिए उसी पर विचार किया गया है। इसके अलावा, यह नोट किया गया है कि संबद्ध वस्तुओं का उपयोग मुख्य रूप से प्रतिक्रियाशील रंगों के उत्पादन के लिए किया जाता है। अगले उत्पाद में प्रतिक्रियाशील रंगों की खपत 2-5% के आसपास है। इसलिए, अंतिम उत्पाद पर एमपीडीए का प्रभाव रंगों पर पड़ने वाले प्रभाव का 2-5% होगा।

क्र. सं.	विशिष्ट	आखरी उत्पाद	एमपीडीए आवश्यक (किग्रा/किग्रा)	एडीडी का प्रभाव (%)		म उत्पाद पर भाव
					दो पर%	5 बजे%
1	फार्मा	एक्रिफ्लेविन	2.3	0.12%		
2	प्रतिक्रियाशील डाई	एसिड ब्लैक 210	0.15	1.87%	0.037%	0.093%
3	प्रतिक्रियाशील डाई	डायरेक्ट ब्लैक 22	0.2236	3.33%	0.067%	0.166%
4	प्रतिक्रियाशील डाई	रिएक्टिव नेवी ब्लू ME2GL	0.187	2.12%	0.042%	0.106%
5	प्रतिक्रियाशील डाई	रिएक्टिव सुप्रा गोल्डन येलो एचआरएनएल	0.3	3.68%	0.074%	0.184%
6	प्रतिक्रियाशील और फैलाने वाली डाई के लिए मध्यवर्ती	मेटा फेनिलीन डायमाइन 4,6 डाइसल्फ़ोनिक एसिड	0.682	6.35%	0.127%	0.317%

- ग. प्राधिकारी का कहना है कि उत्पाद पर डंपिंग रोधी शुल्क काफी समय से लगा हुआ है। इसके अलावा, एमपीडीए की कीमतों में 2019-20 और 2020-21 में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी। कीमतों में POI के भीतर और यहां तक कि एक ही महीने के भीतर महत्वपूर्ण अंतर पाया गया है। इसके बावजूद, उपभोक्ताओं पर एंटी-डंपिंग शुल्क का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा। बिल्क, अब जब उत्पाद की कीमत में इतनी बड़ी गिरावट आई है, तो उत्पाद की खपत में भी गिरावट आई है। इसिलए यह स्पष्ट है कि बाजार में उत्पाद की खपत पर उत्पाद की कीमत का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। इसिक अलावा, उत्पाद का उपयोग बड़े पैमाने पर रंगों या रंगों के मध्यवर्ती उत्पादन में किया जाता है। इसिलए, अंतिम उत्पाद में उत्पाद की खपत बेहद कम है।
- घ. आवेदक ने कुछ डाउनस्ट्रीम उत्पादकों की वार्षिक रिपोर्ट प्रदान की और तर्क दिया कि ये कंपनियां भारत में सबसे बड़ी डाई निर्माता हैं। उनकी वित्तीय रिपोर्टों के विश्लेषण से पता चलता है कि जब एमपीडीए की कीमतें बढ़ीं, तो उनके मुनाफे में वृद्धि हुई, और जब एमपीडीए की कीमतों में गिरावट आई, तो उनके मुनाफे में गिरावट आई।
- ङ. पूर्ववर्ती निर्णायक समीक्षा के बाद शुल्क बढ़ाने से घरेलू बाजार में उत्पादन क्षमता स्थापित हुई थी। एक नये उत्पादक ने भी उत्पादन क्षमताएं स्थापित कीं और एडीडी का समय बढ़ाने के अनुरोध का समर्थन किया है। यह देखा गया है कि इस समर्थक उत्पादक की बिक्रियों में भी पीओआई के दौरान भारी गिरावट आई है। इस नये उत्पादक द्वारा किया गया निवेश भी समान अवसर वाली प्रतिस्पर्धा उपलब्ध कराकर अनुचित आयातों से संरक्षित किया जाना अपेक्षित है।
- च. यह नोट किया गया है कि भारत और चीन पीयूसी के केवल दो उत्पादक हैं। इसके अलावा, चीन के उत्पादकों ने इस उत्पाद के लिए काफी अलग उच्च और कम कीमत का सहारा लिया है। इन परिस्थितियों में घरेलू उत्पादकों द्वारा उत्पादन बंद करने से उपभोक्ता संभावत: पूरी तरह विदेशी उत्पादकों पर आश्रित हो जाएंगे।

छ. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि प्रस्तावित उपायों का प्रभाव कितपय प्रयोक्तओं पर पड़ सकता है और उसे भारत में उत्पादन बंद होने के जोखिम के विरुद्ध संतुलित किया जा सकता है। उपायों का समय नहीं बढ़ाने से आपूर्ति के कम विश्वसनीय और अस्थिर स्रोत मिलेंगे और भारतीय बाजार में निश्चित रूप से कीमत वृद्धि होगी और उतार-चढ़ाव होंगे। अत: प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि शुल्क लागू रखना व्यापक जनहित में होगा।

ढ. उपायों का समय बढ़ाने के लिए औचित्य

137. प्राधिकारी ने विचार किया है कि क्या उपायों का समय बढ़ाना न्यायोचित है। विशेष रूप से तब जबकि वह कुछ समय से लागू हैं। प्राधिकारी ने इस प्रयोजनार्थ निम्नलिखित मापदंडों पर विचार किया है।

i. <u>भारत और चीन वैश्विक रूप से पीयूसी के एक मात्र उत्पादक हैं</u>

138. प्राधिकरण नोट करता है कि भारत और चीन ही वैश्विक स्तर पर विचाराधीन उत्पाद के प्रमुख उत्पादक हैं। घरेलू उद्योग वर्तमान अविध में पहले ही काफी सिमट गया है और उसे अभूतपूर्व वित्तीय घाटे हो रहे हैं। यिद इस स्तर पर उपाय वापस ले लिया जाता है तो संबद्ध देश के उत्पादक कुछ ही समय में घरेलू उत्पादकों का सफाया कर सकते हैं। घरेलू उद्योग अनेक उत्पादों के उत्पादन में शामिल है और इसलिए घरेलू उद्योग के लिए इतने अधिक घाटे वाले उत्पाद के उत्पादन को बंद करना बहुत मुश्किल नहीं होगा। अन्य घरेलू उत्पादक भी बहु-उत्पाद कंपनी हैं और इसलिए उनके बाजार छोड़ने की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता है। परंतु यिद ऐसा होता है तो उपभोक्ता पूरी तरह से चीन के आपूर्तिकर्ताओं की दया पर आश्वित हो जाएंगे। यह नोट किया जाता है कि हितबद्ध पक्षकारों ने माना है कि कीमतों में भारी वृद्धि का कारण एक चीनी उत्पादक द्वारा उसके संयंत्र में आग लगने के कारण उत्पादन को निलंबित करना था। यह दर्शाता है कि भारत में उत्पादन बंद होने से भारतीय बाजार में भारी गड़बड़ियां होने की संभवना है। यिद आगे चीन के उत्पादकों के साथ ऐसा कोई व्यवधान होता है।

ii. <u>भारत आत्मनिर्भर है और मांग को पूरा करने के लिए आयात आवश्यक नहीं हैं</u>

- 139. इस उत्पाद की मूल जांच के दौरान आवेदक भारत में एक मात्र उत्पादक था और देश में मांग तथा आपूर्ति में कुछ अंतर था। तथापि, उपायों के लागू होने से आवेदक अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने में सक्षम हुआ। इसके अलावा, एक अन्य उत्पादक ने वर्तमान क्षति अविध में अपनी उत्पादन क्षमता स्थापित की है। वर्तमान में दोनों भारतीय उत्पादक अलग-अलग संपूर्ण भारतीय मांग को पूरा करने में सक्षम है। प्राधिकारी पाते हैं कि संबद्ध वस्तु के चीन के पाटित आयातों द्वारा कीमतों में तेजी से गिरावट करके कब्जाया गया बाजार हिस्सा विशेष रूप से तब गलत है जब मांग में गिरावट आई है।
- 140. यह बात भी शुल्क का समय बढ़ाने की आवश्यकता दर्शाती है, क्योंकि लागू उपायों के साथ चीन के आयात भारतीय मांग में बाजार हिस्से की अधिक मात्रा पर कब्जा करने में सक्षम हैं। तत्पश्चात् यह बिल्कुल संभावित है कि शुल्क हटने पर भारतीय बाजार में चीन के पाटित आयातों की बाढ़ आ जाएगी जिससे उपायों का समय बढ़ाना आवश्यक हो जाता है।

iii. चीन से निरंतर पाटित और क्षतिकारी मात्रा

- 141. प्राधिकरण का मानना है कि आयात डंप और हानिकारक मूल्य पर किया जाना जारी है। इसके अतिरिक्त, वर्तमान समीक्षा जांच में डंपिंग मार्जिन उत्पाद से संबंधित पिछली दो जांचों की तुलना में तुलनात्मक रूप से अधिक है।
- 142. इस जांच से पता चला है कि पाटन और क्षित में वास्तव में लागू उपायों के समय शीघ्रता आई है। इससे शुल्क की समाप्ति की स्थिति में संबद्ध देश से आयातों के पाटन की और अधिक संभावना है (मात्रा की दृष्टि से) जो शुल्क का समय बढ़ाना आवश्यक बनाती है।

iv. भारतीय उद्योग संवेदनशील हैं

143. भारतीय उद्योग वास्तविक क्षति के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है जैसा चीन से कीमतों में तीव्र गिरावट के मदृदेनजर पीओआई में उद्योग द्वारा उठाये जा रहे घाटों से स्पष्ट है। देश में मांग और आपूर्ति में कोई अंतर नहीं होने के बावजूद चीन का बाजार में महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह बात भारतीय बाजार में चीन के उत्पादकों के हित को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। नये उत्पादक द्वारा किया गया नया निवेश भी बाजार में पाटित आयातों की मौजूदगी के कारण खतरे में पड़ जाएगा। यह देखा गया है कि आयातों की मात्रा, पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन वर्तमान मामले में काफी अधिक हैं।

v. <u>चीन संबद्ध वस्तु का सबसे बड़ा उत्पादक है</u>

144. चीन संबद्ध वस्तु का सबसे बड़ा विनिर्माता और निर्यातक है। वैश्विक रूप से वर्तमान में भारत और चीन को संबद्ध वस्तु के एक मात्र उत्पादकों के रूप में जाना जाता है। चीन ने स्थापित क्षमताओं की मात्रा 1,25,000 एमटी बतायी गई हैं जबिक भारत में स्थापित क्षमता 12,300 एमटी है।

vi. <u>उपभोक्ताओं पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं</u>

145. जैसा ऊपर स्पष्ट किया गया है। यह पाया गया है कि मौजूदा उपायों का अंतिम प्रयोक्ताओं पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं था। विश्लेषण से पता चलता है कि वर्तमान उपायों का प्रभाव सैद्धांतिक स्थिति में अंतिम उत्पादों के अधिकांश हिस्से का एक प्रतिशत भी नहीं है। जहां घरेलू उद्योग ने एडीडी की राशि के बराबर कीमतों में वृद्धि की है। तथापि, यह पाया गया है कि घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत एडीडी जोड़ने के बाद आयातों की पहुंच कीमत से वास्तव में कम रही थी। यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग ने एडीडी की पूरी राशि तक भी अपनी कीमत में वृद्धि नहीं की है। अत :डाउनस्ट्रीम उद्योग और जन साधारण पर उपायों का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

ण. निष्कर्ष

- 146. प्राधिकारी के समक्ष ऊपर यथा अभिलिखित दिये गये तर्कों, किये गये अनुरोधों, प्रदत्त सूचना और उपलब्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और पाटन, क्षति और पाटन तथा घरेलू उद्योग को क्षति की संभावना के उक्त विश्लेषण के आधार पर प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि:
 - i. निर्णायक समीक्षा जांच होने के कारण, विचाराधीन उत्पाद का दायरा मूल जांच के समान ही है। तदनुसार, पीयूसी को "मेटा फिनाइलीन डायमाइन (एमपीडीए)" के रूप में परिभाषित किया जा रहा है।
 - ii. एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने के बावजूद, संबद्ध देश से आयात पूर्ण रूप से और साथ ही घरेलू उद्योग डीआई के उत्पादन और भारतीय मांग के सापेक्ष पर्याप्त रहा है, भले ही मूल जांच के बाद से मात्रा में थोड़ी गिरावट आई है।
 - iii. कच्चे माल और उपयोगिताओं के कारण इनपुट लागत में वृद्धि के बावजूद चीन से आयात मूल्य में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई। जबिक क्षति अविध के दौरान इन खातों की लागत में 27% की वृद्धि हुई, आधार वर्ष की तुलना में जांच अविध में आयात कीमतों में 55% की गिरावट आई।
 - iv. कच्चे माल और उपयोगिताओं के कारण इनपुट लागत में किसी भी गिरावट के बिना, POI के भीतर ही आयात कीमतों में लगभग 25% की गिरावट आई।
 - v. आयात का एक महत्वपूर्ण हिस्सा शुल्क मुक्त श्रेणी के अंतर्गत है। शुल्क मुक्त और शुल्क भुगतान वाले आयात के बीच महत्वपूर्ण मूल्य अंतर अस्पष्ट बना हुआ है, और यह स्पष्ट रूप से एंटी-डंपिंग शुल्क की समाप्ति की स्थिति में संभावित स्थिति का संकेत है। प्राधिकरण का मानना है कि कम कीमत जिस पर शुल्क भुगतान आयात किया गया है, एंटी-डंपिंग ड्यूटी एडीडी की समाप्ति की स्थिति में संभावित स्थिति का पता लगाने के लिए प्रासंगिक है, जो स्पष्ट रूप से बहुत अधिक डंपिंग मार्जिन और क्षति मार्जिन दिखाता है। आयातित सामान जो वास्तव में मात्रा के मामले में घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग के सामान के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, शुल्क मुक्त आयात की तुलना में काफी कम कीमतों पर प्रवेश कर रहे हैं। जबिक शुल्क मुक्त आयात की कीमत घरेलू उद्योग की कीमतों पर भी प्रभाव डालती है, ऐसी स्थिति में जहां शुल्क भुगतान किए गए आयात शुल्क भुगतान किए गए आयात की तुलना में काफी कम कीमत पर होते हैं, यह शुल्क भुगतान किया गया आयात है जो भारतीय उद्योग बिक्री कीमतों के लिए बेंचमार्क बन जाएगा।
 - vi. डंप किए गए आयात के कारण घरेलू उद्योग के उत्पादन, बिक्री, क्षमता, उपयोग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बिक्री में गिरावट मांग में गिरावट से भी ज्यादा है. हालाँकि मांग में गिरावट के कारण इन मापदंडों में कुछ गिरावट अपरिहार्य थी, घरेलू उद्योग को जो गिरावट का सामना करना पड़ा वह मांग में गिरावट से अधिक है। इसके अलावा, मांग में गिरावट घरेलू उद्योग की कमजोरी को भी दर्शाती है। यदि इंपिंग रोधी शुल्क एडीडी के बिना इंप कीमतों पर आयात की अनुमित दी जाती है, तो भारतीय उद्योग की व्यवहार्यता और कमजोर हो जाएगी।
 - vii. घरेलू उद्योग को जांच अवधि में महत्वपूर्ण वित्तीय घाटा उठाना शुरू हो गया है। जांच अवधि में निवेश पर रिटर्न आरओआई और नकद लाभ में भी काफी गिरावट आई है और यह जांच अवधि में काफी नकारात्मक हो गया है। ये गिरावट क्षति अवधि के दौरान रूपांतरण लागत में उल्लेखनीय कमी के

- बावजूद थी। इसके अलावा, घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में माह-दर-माह आधार पर जांच अवधि के दौरान काफी गिरावट आई, जो जांच अवधि के दौरान मुनाफे, नकद लाभ और आरओआई में लगातार गिरावट को दर्शाता है।
- viii. चीनी उत्पादक तीसरे देशों को महत्वपूर्ण डंप और अत्यधिक हानिकारक कीमतों पर संबद्ध वस्तुओं का निर्यात कर रहे हैं, ऐसे निर्यात की मात्रा काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा, ऐसे निर्यात की मात्रा काफी महत्वपूर्ण है।
- ix. संबद्ध वस्तुओं के चीनी उत्पादकों के पास भारतीय मांग से अधिक उत्पादन क्षमता है।
- प्रेंग रोधी शुल्क समाप्त होने की स्थिति में घरेलू उद्योग न केवल जारी रहने, बिल्क संबद्ध वस्तुओं के डंप किए गए आयात से होने वाली क्षति के प्रति संवेदनशील बना हुआ है।
- xi. किसी भी उपयोगकर्ता ने मौजूदा शुल्क के प्रभाव और उसके विस्तार के आकलन से संबंधित जानकारी प्रदान नहीं की है। भाग लेने वाले अन्य इच्छुक पक्षों ने उपयोगकर्ता उद्योग पर एंटी-डंपिंग शुल्क के प्रशंसनीय प्रतिकुल प्रभाव को स्थापित नहीं किया है।
- xii. रिकॉर्ड पर मौजूद जानकारी से, जो अन्य इच्छुक पार्टियों को भी उपलब्ध कराई गई थी, यह भी देखा गया है कि उपभोक्ताओं पर एंटी-डंपिंग शुल्क का प्रभाव नगण्य है। अत: यह मानने का कोई कारण नहीं है कि वर्तमान उपाय को जारी रखने से देश में विचाराधीन उत्पाद की कीमतों में वृद्धि होने की संभावना है।
- xiii. एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने और समान अवसर प्रदान करने से भारतीय बाजार में उत्पादन क्षमता की स्थापना हुई, जिसमें एक नए उत्पादक द्वारा क्षमता की स्थापना भी शामिल थी।
- 147. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण ने निष्कर्ष निकाला है कि मौजूदा एंटी-डंपिंग शुल्कों की समाप्ति की स्थिति में न केवल जारी रहने बल्कि डंपिंग बढ़ने और इसके परिणामस्वरूप भारतीय उद्योग को नुकसान होने की संभावना है। प्राधिकरण, पांच साल की अवधि के लिए शुल्क जारी रखने और मात्रा बढ़ाने की सिफारिश करता है। महत्वपूर्ण शुल्क भुगतान वाले आयात और उसमें बढ़े हुए डंपिंग मार्जिन और क्षति मार्जिन को देखते हुए मात्रा में वृद्धि को उचित माना जाता है।

त. सिफारिशें

148. जांच शुरू की गई और सभी इच्छुक पक्षों को सूचित किया गया। घरेलू उद्योग, संबद्ध देश के दूतावास, निर्यातकों, आयातकों और अन्य इच्छुक पार्टियों को डंपिंग, चोट, कारण लिंक, डंपिंग और चोट के जारी रहने या पुनरावृत्ति की संभावना, प्रभाव के पहलू पर सकारात्मक जानकारी प्रदान करने के लिए पर्याप्त अवसर दिए गए। जगह पर माप और माप के विस्तार का प्रशंसनीय प्रभाव। इन पहलुओं की जांच शुरू करने और संचालित करने और सकारात्मक डंपिंग मार्जिन स्थापित करने, ऐसे आयातों के कारण घरेलू उद्योग को होने वाली भौतिक क्षति के साथ-साथ डंपिंग और क्षति जारी रहने की संभावना के बाद, प्राधिकरण का विचार है कि एंटी-डंपिंग शुल्क जारी रहेगा। आवश्यक है। इसलिए, प्राधिकरण एंटी-डंपिंग उपाय जारी रखने की सिफारिश करता है। इसके अलावा, माप की मात्रा को संशोधित करने की आवश्यकता है। तदनुसार, चीन जन. गण. की मूल अथवा वहां से निर्यातित शुल्क तालिका के कॉलम 3 में वर्णित संबद्ध वस्तु के आयातों पर केंद्र सरकार द्वारा जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से पांच (5) वर्षों के लिए नीचे शुल्क तालिका के कॉलम 7 में उल्लिखित राशि के बराबर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाये जाने की सिफारिश की जाती है।

शुल्क तालिका

क्र. सं.	शीर्ष/उपशीर्ष	वस्तुओं का विवरण	मूलता का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	राशि
						(यूएसडी/ कि.ग्राम)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	29215120 और 29215190	'मेटा फिनाइलीन डायमाइन' (एमपीडीए)*	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई देश	झेजियांग एमिनो- केम कंपनी लिमिटेड	1.50

2.	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	चीन जन. गण.	क्रम संख्या 1 के	1.71
				सहित कोई देश	अलावा कोई भी	
					निर्माता	
3.	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	चीन जन.	कोई	1.71
			से इतर कोई देश		`	

* मेटा फिनाइलीन डायमाइन' (एमपीडीए), जिसे एम-फेनिलीन डायमाइन, 1,3-डायमिनोबेंजीन, 1, 3-बेंजेनडायमाइन, एम- एमिनोएनिलिन, एम- बेनजेनडायमाइन, एम-डायमिनोबेंजीन, 1,3-फेनिलेंडियामाइन, 3-एमिनोएनिलिन, एमफेनिलेंडियामिन फेनिलेनिडामाइन, और एम-अमीनोलाइन, फेनिलेनिडियामाइन मेटा के रूप में भी जाना जाता है।

थ. आगे की प्रक्रिया

149. इस अंतिम जांच परिणाम में निर्दिष्ट प्राधिकारी के निर्धारण/समीक्षा के विरुद्ध कोई अपील अधिनियम के संगत प्रावधानों के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष की जाएगी।

अनन्त स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd October, 2023

Subject: Sunset review investigation of anti-dumping duty on import of "Meta Phenylene Diamine (MPDA)" originating in or exported from China PR

A. BACKGROUND OF THE CASE

- **F. No. 7/06/2023-DGTR.**—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as "the Act") and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the "Rules" or the "AD Rules") thereof.
- 1. The original anti-dumping investigation concerning imports of the subject goods from the subject country was initiated by the Authority vide Notification No. 14/4/2012-DGAD dated 19th June 2012. In the same investigation, final finding was issued vide No. 14/4/2012-DGAD, dated 17th December 2013 recommending imposition of definitive antidumping duties on imports of the subject goods from the subject country, which was implemented vide Customs Notification No. 11/2014 Customs (ADD) dated 11th March 2014. The said duties were imposed for a period of 5 years following which the first sunset review investigation was initiated by the Authority vide Notification No. 7/2/2018-DGAD, dated 26th February 2018. In the same 1st SSR investigation, final finding was issued vide No. 7/2/2018-DGAD, dated 13th December 2018 recommending the extension and enhancement of definitive anti-dumping duties on imports of the subject goods from the subject country. The same was implemented vide Customs Notification No. 5/2019-Customs (ADD) dated 24th January 2019. The duties so imposed are set to expire on 23rd January 2024.
- 2. In terms of Section 9A (5) of the Act read, the anti-dumping duty imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on the expiry of five years from the date of such imposition. The Authority is required to review whether the expiry of anti-dumping duty is likely to lead to the continuation or recurrence of dumping and injury.
- 3. Further, Rule 23(1B) of the Rules provides as follows:
 - "any definitive anti-dumping duty levied under the Act shall be effective for a period not exceeding five years from the date of its imposition, unless the designated authority comes to a conclusion, on a review initiated before that period on its own initiative or upon a duly substantiated request made by or on

behalf of the domestic industry, within a reasonable period of time prior to the expiry of that period, that the expiry of the said anti-dumping duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry."

- 4. In accordance with the above, the Authority is required to review, on the basis of a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry, as to whether the expiry of anti-dumping duty is likely to lead to the continuation or recurrence of dumping and injury.
- 5. In view of the duly substantiated application by the domestic industry with *prima facie* evidence of the likelihood of dumping and injury filed on behalf of the domestic industry and in accordance with Section 9A(5) of the Act, read with Rule 23 of the Rules, the Authority initiated a sunset review investigation vide Notification No. F. No. 07/06/2023-DGTR dated 30th June 2023, to review the need for the continued imposition of the duties in force in respect of the subject goods originating in or exported from the subject country and to examine whether the expiry of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.
- 6. The scope of the present review covers all aspects of the previous investigation concerning the subject goods issued vide final finding No. 7/2/2018-DGAD, dated 13th December 2018, which were implemented vide Notification No. 5/2019-Customs (ADD) dated 24.01.2019.

B. PROCEDURE

- 7. The procedure described herein below has been followed with regard to the subject investigation:
 - i. The Authority notified the embassy of the subject country in India about the receipt of the antidumping application before proceeding to initiate the investigation.
 - ii. The Authority issued a public notice dated 30th June 2023, published in the Gazette of India Extraordinary, initiating the sunset review anti-dumping investigation concerning the imports of the subject goods from China PR.
 - iii. The Authority sent a copy of the initiation notification dated 30th June 2023, to the embassy of the subject country in India, known producers/exporters from the subject country, known importers/users in India, other Indian producers and other interested parties, as per the information made available by the applicant.
 - iv. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the embassy of the subject country in India in accordance with Rule 6(3) of the Rules.
 - V. In the initiation notification, the Authority had called for comments on the proposed PCN methodology from the interested parties in order to have a fair comparison. No comments were received from the interested parties and thereafter, vide letter dated 18th August 2023, the interested parties were requested to file their questionnaire response in accordance with the initiation notification.
 - vi. The interested parties were requested to provide relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known in writing within the prescribed time, in accordance with Rules 6(2) and 6(4) of the Rules.
 - vii. The embassy of the subject country in India was also requested to advise the producers/exporters from its country to respond to the questionnaire within the prescribed time limit. A copy of the letter and questionnaire sent to the producers/exporters was also sent to the embassy along with the names and addresses of the known producers/exporters from the subject country.
 - viii. The Authority sent questionnaires to the following known producers/exporters in the subject country, in accordance with Rule 6(4) of the Rules:
 - i. Zhejiang Amino-Chem Company, Limited
 - ii. Norino Group Sichuan North Hongguang Special Chemicals Limited
 - iii. Jiangsu Tianjayi Chemical Company Limited
 - iv. China Sun Specialty Products Company Limited,
 - ix. In response, the following exporters/producers from the subject country filed exporter's questionnaire response in the prescribed format:
 - i. Zhejiang Amino-Chem Company, Limited
 - ii. Changshan Haicheng Chemical Company, Limited

- X. The Authority sent Importer's Questionnaires to the following known importers/users of subject goods in India, calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules:
 - i. Aaishwariya Chemicals Private Limited
 - ii. Anil Colours Industries Private Limited
 - iii. Ankur Chemicals
 - iv. Aries Dye Chem Industries
 - v. Aries Organics Private Limited
 - vi. Bodal Chemicals Limited Unit I
 - vii. Chemworld Incorporated
 - viii. Chhatariya Dye Stuff Private Limited
 - ix. Hexone Interchem Private Limited
 - x. Hexone Interchem Private Limited
 - xi. Indo Colchem Limited
 - xii. Jainik Industries
 - xiii. Krishna Industries
 - xiv. Loxim Industries Limited
 - xv. Mascen Laboratories
 - xvi. Monica Industries
 - xvii. Novacid Private Limited
 - xviii. Orjet Intermediates Private Limited
 - xix. Prashant Industries
 - xx. Rohan Dyes & Intermediaries Limited
 - xxi. Shree Pushkar Petro Products Ltd.
 - xxii. Shreeji Organics
 - xxiii. Solar Dyes Industries
 - xxiv. Synthopharma Chemicals
 - xxv. Hindprakash International
 - xxvi. Chemex Chemical
 - xxvii. Yash Chemex Incorporated
- Xi. In response, none of the importers/users except Gujarat Dyestuff Manufacturers Association (hereinafter referred to as "respondent" or "GDMA") have responded or filed importer's / user's questionnaire responses.
- xii. The Authority issued Economic Interest Questionnaire to the Chinese Embassy, all the known exporters, importers and the domestic industry. The Economic Interest Questionnaire was also shared with the administrative line ministry. Economic Interest questionnaire was filed only by the domestic industry. None of the other interested parties have filed the Economic Interest Questionnaire.
- xiii. The petition was filed based on the basis of DGCI&S published data. The Authority has, however, considered DGCI&S transaction-wise details of imports of the subject goods for the past three years and the period of investigation.
- xiv. Additional information was sought from the applicant and exporters to the extent deemed necessary and the same has been considered for the proposed determination.
- XV. Verification of the domestic industry was conducted to the extent considered necessary for the purpose of the present investigation and such verified information has been relied upon for the purpose of the final finding.

- Xvi. The domestic industry has submitted financial data. The non-injurious price (NIP) has been determined based on the optimum cost of production and the cost to make & sell the subject goods in India as per the information furnished by the domestic industry and in accordance with Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the Rules. Such non-injurious price has been considered to ascertain whether anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.
- **xvii.** The verification of the information provided by the producers/exporters to the extent deemed necessary, was carried out by the Authority.
- xviii. The Period of Investigation for the purpose of the present anti-dumping investigation is from 1st April 2022 to 31st March 2023 (12 Months). The injury investigation period has, however, been considered as the period 1st April 2019- 31st March 2020, 1st April 2020- 31st April 2021, 1st April 2021-31st March 2022, and POI.
- xix. In accordance with Rule 6(6) of the Rules, the Authority conducted an oral hearing on 29th September 2023, to provide an opportunity to the interested parties to present the relevant information orally before the Authority. All the parties attending the oral hearing were advised to file written submissions by 06.10.2023, of the views expressed orally. Non-confidential versions of the written submissions were circulated to the interested parties by email, and an opportunity was given to them to submit rejoinder submissions by 10.10.2023, if any.
- XX. The arguments made in the written submissions/rejoinders received from the interested parties have been considered in the present final findings.
- XXI. The submissions made by the interested parties during the course of this investigation, wherever found relevant, have been addressed by the Authority, in this final findings.
- XXII. Information provided by the interested parties on a confidential basis was examined with regard to the sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to the other interested parties. Wherever possible, parties providing information on a confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on a confidential basis.
- XXIII. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded on the basis of the facts available
- XXIV. In accordance with Rule 16 of the Rules, the essential facts of the investigation were disclosed to the known interested parties vide disclosure statement dated 17.10.2023 and comments received thereon, considered relevant by the Authority, have been addressed in these final findings. The post-disclosure submissions to the extent considered relevant are being examined in these final findings.
- XXV. The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is US\$1 = ₹81.06

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

C.1. Views of the other interested parties

8. None of the other interested parties have made any submissions in regard to the scope of the product under consideration and like article.

C. 2. Views of the domestic industry


- 9. The views of the domestic industry with regard to the product under consideration and like article are as follows:
 - i. The product under consideration in the present petition is "Meta Phenylene Diamine (MPDA)".
 - ii. Meta Phenylene Diamine has two amino groups attached to a Benzene ring, at Meta positions, with respect to each other. It is an isomer of o- Phenylene Diamine (Ortho Phenylene Diamine) and p- Phenylene Diamine (Para Phenylene Diamine).
 - iii. MPDA is a chemical reagent. MPDA has various end application areas such as aramid fibre manufacturing, engineering polymer, dye manufacturing, photography and medical etc.


- iv. There is no known difference in the PUC exported from China PR and that produced by the Indian industry. In the present case, both the imported and the domestic product have comparable characteristics in terms of parameters such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification, etc. Consumers can use and are using the two interchangeably. The two are technically and commercially substitutable and thus, are like article.
- V. The product under consideration is generally imported under HS code 2921 5120. However, import can also take place under other HS codes, therefore, it is clarified that the HS codes are only indicative, and the product description shall prevail in all circumstances.

C.3. Examination by the Authority

- 10. The present investigation is a sunset review investigation concerning anti-dumping duties imposed on imports of 'Meta Phenylene Diamine' (MPDA)' originating in or exported from China PR. Hence, the PUC in the present investigation is the same as considered in the original investigation. The product under investigation as defined in the original investigation is as follows:
 - "2. The product under consideration in the present investigation is 'Meta Phenylene Diamine' (MPDA). Commercially, it is also called MPD or MPDA. Under normal (room) conditions, it is a colourless or white colour solid, which tends to turn red, purple (dark colour) in air, on storage. Meta Phenylene Diamine has two amino groups attached to a Benzene ring, at Meta position, with respect to each other. It is an isomer of o- Phenylene Diamine (Ortho Phenylene Diamine) and p-Phenylene Diamine (Para Phenylene Diamine). Meta Phenylene Diamine functions as a chemical intermediate. MPDA as a chemical intermediate is used for manufacturing dyes, engineering polymer, aramid fibre and in photography & medical applications."
 - 10. The PUC in the present sunset investigation is 'Meta Phenylene Diamine', also referred to as MPDA. Other names of the PUC are m- Phenylene Diamine; 1,3-diaminobenzene; 1, 3-Benzenediamine, m-Aminoaniline; m Benzenediamine, m-Diaminobenzene; 1,3- Phenylenediamine; 3-Aminoaniline, m-Fenylendiamin, Phenylenediamine, m; and Phenylenediamine, m. Commercially it is also called MPD or MPDA.
- 11. The product under consideration is generally classified under Chapter 29 of the Customs Tariff Act under head 2921 and subheadings 29215120. The HS codes are considered only indicative, and the product description is decisive for the purpose of the present investigation.
- 12. The PUC functions as a chemical intermediate. Various end application areas of Meta Phenylene diamine are Aramid fibre manufacture, engineering polymer, dye manufacturing, photography etc. The most common use is dyes and polymer.
- 13. The Authority notes that the product under consideration produced by the domestic industry and imported from the subject country are comparable in terms of physical & chemical characteristics, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing, and tariff classification of the goods. The goods produced by the domestic industry and imported from the subject country are like articles in terms of the Rules. The two are technically and commercially substitutable. The Authority holds that the subject goods produced by the domestic industry are like article to the product under consideration imported from subject country within the scope and meaning of Rule 2(d) of anti-dumping Rules.

D. PRODUCT UNDER CONSIDERATION MANUFAC TURING PROCESS





E. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

E.1. Views of the other interested parties

14. None of the other interested parties have made any submission regarding the standing and scope of the domestic industry.

E.2. Views of the domestic industry

- 15. Following submissions have been made by the domestic industry with regard to standing and scope of the domestic industry:
 - i. The application has been filed by M/s Aarti Industries Limited. The applicant account for a major proportion (***%) in total Indian production of the product concerned in India.
 - ii. The application was supported by M/s Anupam Rasayan at the time of filing the application.
 - iii. The applicant is neither related to any producer/exporter of the product under consideration in China PR, nor are they related to any importer in India or exporter in the subject country. Further, the applicant has not imported the product under consideration from China PR. Thus, the applicant should be considered as eligible to constitute the domestic industry in terms of Rules.
 - iv. The applicant has sufficient standing and constitutes the domestic industry within the meaning of the Rules, even though this is not a condition mandatory for sunset review investigation.

E.3. Examination by the Authority

- 16. Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules defines the domestic industry as under:
 - "(b) "domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term 'domestic industry' may be construed as referring to the rest of the producers".
- 17. The application is filed by M/s Aarti Industries Limited. It is seen that the applicant was the sole producer in the past two investigations. The applicant earlier had a capacity of ***MT. The applicant, however, increased capacity to *** in 2016-17.
- 18. The applicant is engaged in the manufacturing APIs, generic intermediates and xanthine derivatives for the pharmaceutical and food/beverages industry. As per the website of the company, the company is engaged in production of a number of different products having manufacturing facilities at 4 places, i.e., Dombivli, Vapi, Tarapur, Atali. However, manufacturing facilities for MPDA are stand alone and are used exclusively only for production of MPDA. It was found that the manufacturing facilities have not been used for production of any other product. It was also noted that no other product can be produced at these facilities.
- 19. M/s Anupam Rasayan has set up a capacity of [***] MT in 2018-19 and has started production since 2019. Anupam Rasayan has supported the investigation and requested continuation of the duty.
- 20. The applicant considered production of Anupam Rasayan at the same level as capacity. However, post initiation of the investigation, Anupam Rasayan has supported the application and has provided details of its production and domestic sales. Since the company has now provided the relevant information, the Authority has considered the same for the purpose of the present final findings and for establishing essential facts relevant for the proposed determination.
- 21. Information on record shows that the production by the applicant constitutes more than ***% i.e., "a major proportion" of total Indian production. However, relevant information provided by the supporter as made available has been nevertheless separately examined at relevant places in order to ascertain whether its performance shows a materially different position as compared to the applicant.
- 22. On examination of the material on record as above, and considering the legal provisions, the Authority holds that the applicant constitutes the domestic industry in terms of Rule 2(b) of the Anti-dumping Rules and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules even though standing within the meaning of Rule 5(3) is not required to be established in a sunset review initiated under Rule 23.

F. ISSUES RELATED TO CONFIDENTIALITY & MISCELLANEOUS SUBMISSIONS

F.1. Views of the other interested parties

23. Following submissions have been made by other interested parties in regard to confidentiality and miscellaneous submissions:

- i. The applicant has claimed essential information as production flow chart etc. as confidential.
- ii. If the Authority finds confidentiality is not warranted, and the supplier of information is unwilling to make it public or authorize disclosure, the Authority may disregard such information.
- iii. Each and every information submitted by a party on a confidential basis cannot be regarded as confidential unless the same is supported by reasons and is so accepted by the Authority.
- iv. Sunset review investigation can only be initiated where there is sufficient evidence of dumping, material injury, likelihood thereof and causation.
- V. Insufficient information provided in the present review, does not justify initiation under Rule 5(3). The petitioner has failed to provide sufficient evidence to justify the initiation of the present investigation. The Authority has found "prima facie" evidence as against the requirement of "sufficient evidence".
- vi. Para 17 of the initiation notification wherein DGTR has used the word *prima facie* evidence and has used the Oxford dictionary to define *prima facie* and sufficient. The Authority has found "*prima facie*" evidence as against the requirement of "*sufficient*" evidence. Reference is made to Panel's decision in United States- Softwood Lumber from Canada, Guatemala- Cement II and Mexico-Steel Pipes and Tubes.

F.2. Views of the domestic industry

- 24. Following submissions have been made by the domestic industry in regard to confidentiality and miscellaneous submissions:
 - i. The respondent has claimed confidentiality on information that is not confidential, such as their financial statements and the statement of Chinese production. This is preventing the domestic industry from making their submissions, as they do not have access to this information.
 - ii. The information pertaining to raw material, utilities, other conversion cost and interest cost reported in Format C1 are treated in confidence without being accompanied by a non-confidential summary.
 - iii. The applicant has claimed only such information as confidential which is neither in public domain not mandated by law to disclose. Further, the petitioner has provided reasons, at appropriate places, for claiming confidentiality.
 - iv. The respondents have claimed excessive confidentiality in the exporter questionnaire response and the same curtails the petitioners right to comment as the responses do not provide meaningful summary without assigning any good cause for the same. The submissions of all the exporters and producers from the subject country should be disregarded and the individual treatment be denied to them.
 - V. While the interested party has made submissions that insufficient evidence of dumping, material injury, likelihood thereof and causation is there. However, the interested party has failed to point out how the information is insufficient. Respondent has unnecessarily attempted to create confusion between the requirement of sufficiency under Rule 5(3) and the term "prima facie", whereas the Authority makes out a prima facie case after thorough examination.
 - vi. The responding exporter/producer rather than proving the absence of dumping has preferred making baseless averments upon the authenticity and nature of analysis by the Authority.

F. 3. Examination by the Authority

- 25. Various submissions have been made by the applicant as well as the other interested parties during the course of the investigation with regard to confidentiality, to the extent considered relevant by the Authority, have been examined below.
- 26. With regard to confidentiality of information, Rule 7 of the Anti-Dumping Rules provides as follows:
 - "Confidential information: (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule (2) of rule 12, sub-rule (4) of rule 15 and subrule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated Authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated Authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorisation of the party providing such information.

- (2) The designated Authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated Authority a statement of reasons why summarisation is not possible.
- (3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in a generalised or summary form, it may disregard such information."
- 27. The Authority considers that any information which is by nature confidential (for example, because its disclosure would be of significant competitive advantage to a competitor or because its disclosure would have a significantly adverse effect upon a person supplying the information or upon a person from whom that person acquired the information), or which is provided on a confidential basis by the parties to an investigation shall, upon good cause shown, should be treated as such by the Authority. Such information cannot be disclosed without specific permission of the party submitting it.
- 28. The Authority has considered the claims of confidentiality made by the applicant and the other interested parties and on being satisfied about the same, the Authority has allowed the claims on confidentiality. The Authority made available to all the interested parties the non-confidential version of evidence submitted by various interested parties for inspection.
- 29. In reference to submissions made on the application lacking justification for initiating the present investigation, the Authority considers that the requirements for initiation of an investigation were met. In this respect, the Authority had noted the submissions and evidence placed on record at the stage of initiation and considered that there was sufficient evidence pointing to a likelihood of continuation or recurrence of dumping should the anti-dumping duties applicable to imports from China PR be allowed to lapse.
- 30. The Authority notes that the responding exporter/producer has made submissions wherein the interpretation of "prima facie" case has been submitted as "first impression". The Authority refers to the Black's law dictionary wherein the term "prima facie case" is defined as:
 - "A litigating party is said to have a prima facie case when the evidence in the party's favor is sufficiently strong for his opponent to be called on to answer it. A prima facie case, then, is one which is established by sufficient evidence, and can be overthrown only by rebutting evidence adduced on the other side."
- 31. Further, the domestic industry in their submissions have made reference to a judgment by the Hon'ble Delhi High Court in the matter of *Ramji Lal Mahindar Kumar vs Naresh Kumari and Anr.* wherein it was held that:
 - "Prima facie case means that it needs serious consideration, investigation or determination. It does not mean proof at this stage. It means bona fide dispute requiring determination without pre-judging the case. The proper stage for judging the case is at the conclusion of the trial when the full facts are placed before the Court"
- 32. It is thus seen that "prima facie" means sufficient evidence and not "first impression" as alleged by the interested party. The Authority from analysis of the information submitted along with application had noted, at the stage of initiation, that the dumping and injury margins are positive, the performance of the domestic industry has deteriorated over the injury period, there were significant capacities with the producers in China, Chinese producers are highly export oriented, and Chinese producers are undertaking further expansions based on the evidence placed by the domestic industry. The Authority finds that the aforementioned observations are sufficient to initiate sunset review investigation to examine in detail likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury.
- 33. Furthermore, the argument from other interested parties is unsubstantiated and lacks material ground. The interested parties have not specified as to what exactly the interested parties find deficient in the application as received by them. In the absence of specific instances or grounds that the application lacked, the Authority cannot address the same in detail. The Authority has followed an objective and unbiased process while assessing the merits of the application and subsequently as the investigation has proceeded.

¹ IR 1984 Delhi 95, 24 (1983) DLT 100, 1983 RLR 381

G. DETERMINATION OF NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN

G.1. Views of other interested parties

- 34. The submissions made by the other interested parties on determination of normal value, export price and dumping margin are as follows:
 - i. The applicant has wrongly claimed the export price of China PR.
 - ii. The applicant has claimed baseless adjustments for marine insurance, port expenses, bank charges, commission and inland freight while calculating the export price of China PR.
 - iii. As export price is misleading, consequent dumping margin claimed by the applicant is also incorrect and misleading.

G.2. Views of the domestic industry

- 35. The following are the submissions made by the domestic industry with regard to determination of normal value, export price and dumping margin are as follows:
 - i. The subject country has continued to dump into India despite the imposition of anti-dumping duty.
 - ii. There is no significant difference in the technology adopted or the manufacturing process used for producing the subject goods or the raw material prices in China, therefore the calculations are justified.
 - iii. Market economy status cannot be granted to the respondents unless the responding exporters satisfy that none of their major shareholders is a state owned/controlled entity, that the prices of major inputs substantially reflect market values; unless the responding Chinese exporters pass the test in respect of each and every parameter laid down under the rules and that the responding company has participated in the present investigation along with its related parties involved with PUC.
 - iv. Market economy treatment cannot be given where Chinese exporters are unable to establish that their books are consistent with International Accounting Standards (IAS).
 - V. The normal value for China in such a case can be determined only in accordance with the provisions of para 7 of the Annexure I to Anti-dumping Rules in view of the aforementioned facts and circumstances.
 - vi. The applicant made efforts to get evidence on the price of the product concerned in the domestic market of the subject country by engaging with customers to procure price quotations from their domestic markets and through published sources. However, no publication was found.
 - vii. The prices are transacted between the producer and consumers and therefore are not in the public domain. Thus, no reasonable, authentic, and accurate information could be obtained from published sources about the actual transaction-selling price of the PUC in the domestic markets of the subject country.
 - viii. Normal value in China of the product under consideration could not be determined on the basis of price or constructed value in a market economy third country for the reason that the relevant information is not publicly available.
 - ix. Normal value in China could not be determined on the basis of price from such third country to other countries, including India as the relevant information is not publicly available pertaining to exports from market economy third countries to other countries.
 - X. The applicant has determined normal value in China on the basis of the cost of production, considering consumption norms of the domestic industry for raw material and utilities, taking the price of all raw materials as per the domestic industry and duly adjusted with selling, general and administrative expenses and considering the consumption norms of the applicant.
 - xi. The export price is constructed based on the information available from the import data after making due adjustments based on the best available information with the industry to make it comparable with normal value.
 - xii. The dumping margin is positive and substantial.
 - xiii. The very fact that the exporters have resorted to dumping gets established by their tacit admission in not denying existence of dumping.

- xiv. None of the exporters have claimed market economy treatment. In fact, they have stated that they do not request market economy treatment and that they accept the normal value determined by DGTR.
- XV. The Authority may verify information provided by the responding exporter and determine appropriate normal value.

G.3. Examination by the Authority

- 36. Under section 9A (1) (c), normal value in relation to an article means:
 - (i) the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when destined for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or
 - (ii) when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either –
 - a. comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory to an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or
 - b. the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub- section (6):

Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transshipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.

37. Article 15 of the China's Accession Protocol with the WTO provides as follows:

"Article VI of the GATT 1994, the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 ("Anti-Dumping Agreement") and the SCM Agreement shall apply in proceedings involving imports of Chinese origin into a WTO Member consistent with the following:

- "a) In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the Anti- Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs for the industry under investigation or a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China based on the following rules:
 - i. If the producers under investigation can clearly show that my conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product, the importing WTO Member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability;
- ii. The importing WTO Member may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.
- b) In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when addressing subsidies described in Articles 14(a), 14(b), 14(c) and 14(d), relevant provisions of the SCM Agreement shall apply; however, if there are special difficulties in that application, the importing WTO Member may then use methodologies for identifying and measuring the subsidy benefit which take into account the possibility that prevailing terms and conditions in China may not always be available as appropriate benchmarks. In applying such methodologies, where practicable, the importing WTO Member should adjust such prevailing terms and conditions before considering the use of terms and conditions prevailing outside China.
- c) The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (a) to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (b) to the Committee on Subsidies and Countervailing Measures.
- d) Once China has established, under the national law of the importing WTO Member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated provided that the

importing Member's national law contains market economy criteria as of the date of accession. In any event, the provisions of subparagraph (a)(ii) shall expire 15 years after the date of accession. In addition, should China establish, pursuant to the national law of the importing WTO Member, that market economy conditions prevail in a particular industry or sector, the non-market economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that industry or sector."

- 38. It is noted that while the provisions contained in Article 15(a)(ii) have expired on 11.12.2016. However, the provisions under Article 2.2.1.1 of the WTO read with obligation under 15 (a) (i) of the Accession protocol require the criterion stipulated in para 8 of Annexure I of India's AD Rules to be satisfied through the information/data to be provided in the supplementary questionnaire for claiming the market economy status.
- 39. At the stage of initiation, the Authority proceeded as per the information given by the applicant. Upon initiation, the Authority advised the producers/ exporters in China PR to respond to the notice of the initiation and provide information relevant to determination of their market economy status. The Authority sent copies of the supplementary questionnaire to all the known producers/ exporters for rebutting presumption of non-market economy in accordance with criteria laid down in Para 8(3) of Annexure-I to the Rules and furnish relevant detailed information. The Authority also requested Government of China PR to advise the producers/ exporters in China PR to provide the relevant information. Only one producers/exporters have co-operated in this investigation by filing the questionnaire response namely, Zhejiang Amino-Chem Company, Limited, China PR.
- 40. None of the exporters/producers contested the NME status of China. Thus, in view of the above position and in the absence of rebuttal of the non-market economy presumption by any Chinese exporting company, the Authority, considers it appropriate to treat China PR as a non-market economy country in the present investigation and proposes to proceed with para 7 of Annexure-I to the Rules for determination of normal value in case of China PR.

G.4. NORMAL VALUE FOR CHINA PR

- 41. The Authority notes that no evidence has been provided by the domestic industry or other interested parties on prices in market economy third countries. Neither of the interested parties have given information on cost of production in market economy third countries. It has been claimed that subject goods are largely produced by India and China. As regards imports into India, the imports are only from China. Apart from China, imports are not coming in from any other country. Thus, the normal value based on price from third country to other country including India could not be determined.
- 42. Therefore, the Authority has constructed the normal value (CNV) for the subject imports from China PR as per the "price actually paid or payable in India" as stipulated in para 7 of Annexure I to the Anti-Dumping Rules, 1995. It has been computed based on the cost of production of the domestic industry, with reasonable addition for selling, general and administrative expenses, and profits.

G.5. EXPORT PRICE

A.1 Zhejiang Amino-Chem Company, Limited, China PR and Changshan Haicheng Chemical Co., Ltd

- 43. From the responses filed, it is noted that Zhejiang Amino-Chem Co. Ltd. and its unrelated trader Changshan Haicheng Chemical Co., Ltd. is involved in the production and exports of the product concerned to India.
- 24. Zhejiang Amino-Chem Co., Ltd. is a limited liability company, which has been established on November 22, 2005, under the Company Law of PRC.
- During the POI, Zhejiang Amino-Chem Co., Ltd., China PR, has exported ***MT of the subject goods to India of invoice value ***RMB, out of which the company has exported ***MT directly to India and the rest of the quantity ***MT has been exported to India indirectly through an unrelated exporter/trader namely, Changshan Haicheng Chemical Co., Ltd.
- 46. The producer/exporter has claimed adjustment on account of ocean freight, port and other related expenses, insurance, inland transportation, credit cost, bank charges and the same have been allowed by the Authority. Accordingly, export price at ex-factory level for Zhejiang Amino-Chem Co., Ltd. has been determined and the same is shown in the Dumping Margin Table below.

Export price of Non cooperating producers and exporters from China

47. The export price for the non-responding producers/exporters from China has been determined on the basis of facts available taking into account the export transactions of the responding exporter.

H. DETERMINATION OF DUMPING MARGIN

48. The dumping margin determined for the producers/exporters based on constructed normal value and net export price (NEP) as mentioned above, is as follows:

Dumping Margin Table

S. No.	Producer/Exporter	CNV	NEP	Dumping Margin		gin
5.110.	1 Toducei/Exporter	USD/Kg	USD/Kg	USD/Kg	%	% Range
1	Zhejiang Amino-Chem Co., Ltd.	***	***	***	***	40-50
2	Others	***	***	***	***	50-60

I. ASSESSMENT OF INJURY AND CAUSAL LINK

I.1. Submissions made by the other interested parties

- 49. The following submissions have been made by the other interested parties with regard to injury and causal link:
 - i. The duty has been in force for more than 10 years, still the petitioner is not able to increase its production/capacity and sales during the period of investigation as compared to the base year.
 - ii. It appears that there are some factors other than the imports from China PR which are causing injury to the domestic industry. The Authority must examine known factors other than the subject import, which are causing injury to the domestic industry.
 - iii. The Authority must separate and distinguish the injurious effects of the dumped imports from the injurious effects of those other factors.
 - iv. The other factors in the present case may include weakened demand, subdued pricing environment, coronavirus impact, disproportionate fall in realizations, adverse stock valuation rate, increase in foreign exchange loss, higher stores and spares expenses, repair & maintenance, security expenses, depreciation and interest charges, shut down of a plant etc.
 - V. As per the petition, the company remained shut for 146 days during 2022 for marketing related shutdowns.
 - vi. After protection of 10 years, the domestic industry is still contending that the domestic industry is suffering injury due to the subject imports from China, this shows that there is no connection between imposition of anti-dumping duties and injury to the domestic industry. The alleged injury is on account of the domestic industry's internal factors.
 - vii. The applicant has claimed PUC and total production (PUC and NPUC) as same, which seems incorrect. Incorrect and misleading information has been filed by the applicant for injury analysis.
 - viii. Majority imports from China are under advance license; around ***% of the total imports to India.
 - ix. Market structure of the PUC is such that overwhelming majority of market share is consumed for production of export goods; this part of overall market is not available to the domestic industry irrespective of anti-dumping duty.
 - X. The domestic industry increased capacity manifold in 2016-17, indicated the domestic industry increased capacity recklessly, without considering that Indian laws do not permit trade protection on imports meant for production of export goods.
 - xi. Capacity was increased considering international demand. Impact of fall in export demand during POI should not be attributed to alleged dumped imports.
 - xii. Imports continued at same level despite anti-dumping duty, and it shows imports from China are technical necessity for producers in the country.
 - Xiii. Anupam Rasayan has not clarified the reason for entering into this market despite domestic industry claiming injury by Chinese imports since October 2010. No correlation between alleged dumped imports and claim of injury.
 - Xiv. The domestic industry's argument that injury parameters have shown deterioration is flawed as the base years used for trend analysis are flawed as they were abnormal years.

- XV. Average price from China PR is Rs. 150 Rs. 300 per Kg in the last 12 years except preceding 2 years and base year (FY 2019-20). Average domestic price of applicant is Rs. 150 Rs. 300 per Kg in last 12 years except in preceding 2 years and the base year (FY 2019-20)
- Xvi. Average ratio of price from China to price of major raw material Benzene is about 3 to 4 times in last 12 years, except preceding two years and the base year (2019-20), ratio rose abnormally to 11 to 16 times in preceding 2 years and 2019-20.
- XVII. The average ratio of the domestic price of the subject goods of the applicant to the price of major raw material Benzene was also in the same range.
- XVIII. Import prices and domestic prices increased abnormally in 2019-20 and 2020-21, around 11 times of Benzene price. While domestic price was 16 times of Benzene price despite the fact that benzene price declined drastically during this period.
- xix. Thus, preceding 2 years and 2019-20 were absolutely abnormal years and analysis based on this is faulty and misleading.
- XX. Import prices of the subject goods from China and the applicant's domestic prices of subject goods increased abnormally during preceding two years and the base year of FY 2019-20. The abnormal increase was due to an accident (explosion) in Jiangshu Tianjiayi Chemical Co. Ltd in March 2019, following which the Chinese government imposed strict audit on chemical plants creating disruption in production activity causing market disruption, and lastly due to COVID-19.
- XXI. The imports from China PR declined significantly by around 54% from 3,807 MT in FY 2021-22 to 1,775 MT FY 2022-23 in the POI.
- XXII. There is no causal link between the claim made by the applicant of so-called injury and likelihood of continuation and recurrence of dumping and injury and the imports of the subject goods from China PR.
- XXIII. Abnormal increase in capacity of the applicant of PDA is from 3000 MT in 2016-17 to 12,000 MT in annual report of 2016-17. 80% of PDA capacity is for MPDA. Accordingly, capacity of MPDA has increased from 2,400 MT to 9,600 MT. Demand in domestic market is consistently around 5,000 MT over the last 10-15 years.
- XXIV. No justification has been provided for abnormal increase of capacity by the applicant. Injury has been caused due to mismanagement, wrong investment, increase in cost.
- XXV. Slowdown of economy Global demand outlook for short term has been impacted due to inventory corrections and recessionary trends. (applicant's annual report for POI). The applicant claimed stability and strong long term growth trajectory.
- XXVi. Internal competition Initially the applicant was only producer of the PUC in India, Anupam Rasayan started production 3 years back, creating internal competition for the applicant. The domestic industry is facing injury on account of internal competition, mismanagement, wrong investment, increase in cost. and not imports.
- XXVII. Temporary decline in the performance of the applicant is on account of global decline in demand, which is temporary and not an account of imports from China. Demand decline by 32 % from 109 in 2021-22 to 68 in POI (indexed). Shows injury suffered is due to decline in demand and not due to the subject imports.
- XXVIII. The plant was shut for 146 days during the year 2022 for marketing related shutdowns.
- XXIX. There is a dedicated capacity for the product under consideration. Therefore, the applicant may have loaded the actual fix cost, repair and maintenance cost, consumables cost etc. including that related to abnormal increase in the capacity on the product under consideration.
- XXX. The production of the other products of the applicant also declined significantly in the POI. In such a case, application of production or sales ratio will also not result in lower allocation of the fixed cost to product under consideration.
- XXXI. The claim of extension of duties by the domestic industry, is completely unjustified in view of the fact that as per the market intelligence of the respondent, around 70% of the total import to India is against advance license which cannot be subjected to any anti-dumping duties.

XXXII. The applicant has claimed production of the PUC and total production (PUC and NPUC) as same, which *prima facie* seems incorrect.

I.2. Submissions of the domestic industry

- 50. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to injury and causal link.
 - i. The demand declined in 2020-21 in view of the pandemic and increased thereafter in 2021-22 and declined again in the POI.
 - ii. The global demand for dyes and intermediaries has declined in the POI resulting in decline in the demand of the subject goods.
 - iii. The imports in absolute and relative terms from China declined in 2019-20 as compared to high volumes during the 1st sunset review investigation, i.e., 2014 2017.
 - iv. The imports have once again increased in 2021-22 but have declined in the POI due to decline in demand. The imports from China are significant and still constitutes almost 46% of the Indian demand in a situation when the country is self-sufficient.
 - v. The landed price declined significantly in 2021-22 and thereafter, and, without commensurate decline in the cost of production. Resultantly the domestic industry also had to reduce its prices. The imports are undercutting the prices in the domestic market.
 - Vi. The domestic industry had to sell its goods at prices lower than the cost of production in the POI. The imports thus had a depressing effect on the domestic industry prices.
 - Vii. The appendix I submitted by the exporter shows that the decline in selling price is more for goods exported to India as compared to exports to third countries and the domestic market.
 - viii. There is positive dumping margin and injury margin, the imports from the subject country constitute 43% of the Indian demand. Thus, it is not for the domestic industry to explain why duties are warranted, rather the onus is on the exporters to explain how they were able to reduce prices so significantly and why capacities are being expanded.
 - ix. The raw materials and utilities cost on overall basis during the injury period increased by 26% whereas the import price declined by 53%. This is simply unprecedented and is beyond any business economics.
 - X. The effects of global decline in demand affecting the Indian demand have direct relation, but the amount of market share that the Chinese imports have taken away in such a situation is not justifiable.
 - Xi. The only reason for the same is unnatural decline in the prices by Chinese producers. Therefore, the slowdown of economy or global decline in demand are not the reason for injury caused to the domestic industry.
 - Xii. Decline in demand is both for Indian and Chinese producers. This decline in demand is also the cause for decline in capacity utilisation. However, this decline is not responsible for the severe decline in the prices in this period.
 - xiii. Chinese exporters have provided no explanation regarding the whopping decline in the import prices.
 - Xiv. The fixed costs incurred by the domestic industry have steeply declined over the injury period. In fact, in a situation where input costs have so significantly increased, the domestic industry has still reported a significant decline in costs. Thus, it is totally baseless to contend that the domestic industry is suffering due to capacity addition.
 - XV. When the cost in 2019-20 and 2020-21 were higher, the domestic industry was not only having reasonable profits but also a decent cash flow and ROI.
 - Xvi. In the current period, when the fixed costs have declined both at gross and fixed cost level, the profitability of the domestic industry has so severely declined that the domestic industry is suffering whopping cash loss and hugely negative ROI.
 - XVII. The explosion in Jiangshu Tianjiayi Chemical Co., Ltd. was caused in the end of March 2019, which is the last month of FY 2019-20. Therefore, it could not have any effect on the prices of FY 2019-20.

- XVIII. Jiangshu Tianjiayi Chemical Co. Ltd. was not a major producer of the PUC, rather only had around 17,000 MT production capacity of the PUC. This further explains why this incident could not have had an effect on domestic as well as import prices, as has been significantly overexaggerated by the user industry.
- xix. COVID-19 pandemic was hit in 2020 March, again the user industry's arguments fail to justify the increase in price in 2019-20 as claimed. Even in COVID-19, the subject imports from China captured 35% of the market share and have worked their way up to 48% in the following year and finally at 43% in the POI.
- XX. The user industry's claim that 3 years of the injury period are abnormal and other above-mentioned contentions are baseless and should be rejected by the Authority.
- XXI. The import prices have declined so severely even when input costs have increased over the injury period. Resultantly, the performance of the domestic industry has steeply deteriorated in respect of parameters such as profits, cash flow, return on investment.
- XXII. Merely the volume of imports is not indicative of the complete situation and the same cannot be assessed in isolation of the demand and market share.
- XXIII. It is evident from trend analysis that the imports of the subject goods from China PR decreased from 100 to 78 which is 22 indexed points, whereas the Indian demand in the same period declined 34 indexed points from 100 to 66. The decline in the subject imports is not in consonance with the decline in Indian demand.
- XXIV. Subject imports were able to increase its market share despite decline in demand and sufficient capacity available in India to cater the demand.
- XXV. Performance of the domestic industry has severely declined in the present injury period despite same level of capacity over the present injury period.
- XXVi. The applicant was making profits even when Anupam Rasayan entered the business. The profitability declined when the import price declined drastically. Thus, it is imports which has caused injury to the Indian industry and not a new domestic producer.
- XXVii. The new producer entered the market, thereafter, import prices increased. The prices of the domestic industry increased, and the domestic industry had reasonable price parameters. Thereafter, the import prices declined severely as a result of which the prices of the domestic industry declined severely, resulting into the domestic industry facing huge adverse price parameters.
- XXVIII. As claimed by the interested parties, the prices of inputs in India and global market are the same, they have failed to explain how there is a whopping decline in the prices when input costs have increased.
- XXIX. The cost increase faced by the domestic industry was not unique to the domestic industry. Unless the Chinese producers claim that they are indeed in such a state-controlled economy that they are totally insulated from international market. Comparing efficiency parameters of the domestic industry shows that raw material and utility consumption over the injury period remained fairly stable. There was no deterioration in the present POI.
- XXX. The conversion costs have significantly declined over the injury period. Therefore, the domestic industry in fact has become more competitive in this period rather than becoming less competitive. There is therefore no internal inefficiency on this account.
- XXXI. The export sales in the POI as compared to the base year or even 2020-21 are higher. The domestic industry faced no loss in the base year with low export sales, while severe losses are faced in the POI where the export sales are comparatively higher.
- XXXII. It is not a situation where the domestic industry would have suffered financial losses due to decline in production and capacity utilisation. The fixed cost per unit of production were at their lowest levels in the POI.
- XXXIII. The legal requirement for causal link is existence of "a" causal relationship between dumped imports and injury to the domestic industry. The requirement is not with regard to existence of "the" causal link between dumped imports and injury to the domestic industry.

- XXXIV. The decline in demand has affected the sales, but the same is only to a certain level. It can be seen that the Chinese imports have rather increased their market share even in the event of decline in demand. Further, the injury is primarily in adverse price effect and likelihood.
- XXXV. The applicant reaffirms that there are no other reasons for injury and the sole reason is the dumping of subject goods from China PR.
- XXXVI. Excess capacities are not cause of injury to the domestic industry. The capacities created are not a cause of injury to the domestic industry.
- XXXVII. The capacities created have allowed the domestic industry to obtain most economic factors of production.
- XXXVIII. So far as fixed costs are concerned, the petitioner has charged fixed cost in a ratio linked to production. Thus, when production and sales are lower, expenses apportioned to the products itself are lower.
- XXXIX. The decline in import price is despite the fact that raw materials and utilities have increased over the period. Evidently, Chinese producers have reduced MPDA price when costs were going up. There has been a very steep decline in the import price over the injury period.
- xl. The increase in input prices is not limited to the domestic market. These price increases were global phenomenon.
- xli. While dumping briefly stopped during 2019-2021, it has not only recommenced but also increased significantly in its intensity. The dumping that is now being resorted is much higher than dumping resorted in the past.
- xlii. Further and more importantly, the pricing by Chinese producers is most irrational during this period.
- xliii. The exporters have shipped the product at significantly different prices in a short period. Imports are occurring in one month at significantly varying prices thus causing significant disturbance in the market.
- xliv. The exporters must explain the wide variations in prices. The variations are not only over the POI, but also within the POI and even within a month of the POI.

I.3. Examination by the Authority

- 51. The Authority has examined the evidence submitted by all the interested parties with regard to injury to the domestic industry. The injury analysis made by the Authority hereunder addresses the various submissions made by the interested parties.
- 52. According to Section 9(A)(5) of the Customs Tariff Act, anti-dumping duty imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on the expiry of five years from the date of such imposition, provided that, if the Central Government, in a review, is of the opinion that the cessation of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury, it may, from time to time, extend the period of such imposition for a further period of five years and such further period shall commence from the date of order of such extension.
- 53. The Authority notes that this being a sunset review of anti-dumping duty already in force, continuation of material injury to the domestic industry, as well as the likelihood of continuation or recurrence of material injury needs to be examined in the context of actual or likely imports of the subject goods from the subject country.
- 54. In consideration of the submissions received in this regard, the Authority has first examined the current injury, if any, to the domestic industry before examining the likelihood aspects of dumping and injury on account of imports from the subject country.

Volume effect of dumped imports and impact on domestic industry

i. Assessment of Demand

55. The Authority has defined, for the purpose of the present investigation, demand, or apparent consumption of the subject goods in India as the sum of domestic sales of the Indian producers and imports from all sources. The demand for the product under consideration is given below:

Demand	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	POI
Imports Subject Country-China	MT	2,031	1,794	3,701	1,722
Other Countries	MT	35	-	18	-
DI Domestic Sales	MT-Indexed	100	82	80	47
Other Indian Producers	MT-Indexed	100	1,519	3,960	1,469
Total	MT-Indexed	100	92	137	68

56. It is seen that the demand of the PUC declined in 2020-21 from the base year and increased in 2021-22, and again declined in the POI. According to the submissions made by the domestic industry, it is noted that the change in demand especially during the POI was due to global decline in the demand of downstream industry i.e., dye industry. The user industry association stated that majority of imports were under advance authorization scheme. Therefore, the Authority has examined imports further to quantify duty free and duty paid imports. Further, the Authority has undertaken analysis on the basis of data (secondary source) provided by the domestic industry. The table below shows imports under duty free and duty paid category, and demand for the product after excluding duty free imports. It is seen that a significant proportion of the imports is under duty free category. However, imports made under duty paid category are also quite significant.

Demand	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	POI
a) Imports from China	MT	2,031	1,794	3,701	1,722
Duty free imports	MT	***	***	***	***
Duty paid imports	MT	***	***	***	***
b) Demand in India	MT				
Excluding duty free imports	MT	***	***	***	***
Including duty free imports	MT	***	***	***	***

ii. Import volumes and share of the imports from subject country

57. With regard to volume of the subject imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports either in absolute terms or relative to production or consumption in India. The volume of imports of the subject goods from the subject country have been analysed as under:

S.No.	Particulars	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	POI
1	Subject Country Imports	MT	2,031	1,794	3,701	1,722
2	Other Country imports	MT	35	0	18	0
3	Total Imports	MT	2,066	1,794	3,719	1,722
	Subject Imports in Relation to					
4	Indian production	%- Indexed	100	80	111	93
5	Indian consumption	%- Indexed	100	97	133	125
6	Total Imports	%	98%	100%	100%	100%

58. It is seen that:


- a. The imports from the subject country declined post enhancement of duty in the first sunset review investigation. However, imports increased significantly in 2021-22 as compared to the base year and decreased again in the POI in consonance with the movement of demand.
- b. Imports in relation to production declined marginally over the injury period. This is also because a new player has started production in the Indian market.
- c. Imports in relation to consumption has increased over the injury period. Imports in relation to demand has increased over the injury period despite decline in demand and commencement of production by another domestic producer.

iii. Price effect of subject imports and impact on domestic industry

59. With regard to the effect of dumped imports on prices, the Authority has considered whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like product in India, or whether the effect of such dumped imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increase, which otherwise would have occurred, to a significant degree.

a) Evolution of prices

Analysis of the imports over the injury period shows a very significant decline in the import price. It is, thus, noted that there was significant and sharp decline in import price despite increase in cost on account of raw materials and utilities. The information provided by the domestic industry showed a significant increase in cost on account of raw materials and utilities.



61. The Authority examined the import price from China and selling price of the domestic industry over the injury period. It is seen that the domestic prices have moved in tandem with the import price.



b) Price undercutting

62. Price undercutting has been worked out by comparing the landed price of the imports with the selling price of the domestic industry for the investigation period. The price undercutting has been determined for the product under consideration. The weighted average undercutting computation is as under:

Particulars	UOM	POI
Landed price	₹/Kg	314
NSR	₹/Kg	***
Undercutting	₹/Kg	***
	%	***
	%Range	1-5

63. The Authority notes that imports were undercutting the prices of the domestic industry.

c) Price suppression and depression

64. In order to determine whether the effect of imports is to depress prices or prevent price increases which otherwise would have occurred, the Authority has examined the changes in the landed price of imports, and costs & prices of the domestic industry over the injury period.

Particulars	UOM	2019-20	2020-21	2021-22	POI
Cost of Sales	₹/Kg	***	***	***	***
	Indexed	100	110	94	97
Selling Price	₹/Kg	***	***	***	***
	Indexed	100	86	54	39
Landed price	₹/Kg	704	738	440	314
	Indexed	100	105	63	45

- 65. It is seen that both the cost of sales and selling price of the domestic industry has declined over the injury period. However, the decline in selling price was far more than decline in costs. While costs have declined by [Rs ***/kg] over the injury period, the selling price declined by [Rs ***/kg].
- 66. The landed price of imports was at reasonable levels upto 2020-2021. Resultantly the domestic industry was able to sell goods at reasonable prices and at profits. However, landed price declined significantly since 2021-22 and declined further in the POI. Further, the landed price of imports was below the level of cost of sales in the POI. Resultantly, the selling price of the domestic industry declined significantly in the POI and were significantly below the cost of sales.
- 67. The interested parties claimed that majority of imports are under advance license and thus does not attract anti-dumping duty. The Authority however notes that the domestic industry was forced to reduce the prices in response to the import prices in order to maintain its sales.

Economic Parameters relating to the domestic industry

68. The Rules require that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of these imports on domestic producers of such products. With regard to the consequent impact of these imports on domestic producers of such products, the Rules further provide that the examination of the impact of the imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. The Authority has, accordingly, hereinunder examined the performance of the domestic industry over the injury period.

a) Production, capacity, capacity utilization and sales

69. The position of the domestic industry over the injury period with regard to production, capacity, capacity utilization, domestic sales and export is as under:

Particulars	UOM	2019-20	2020-21	2021-22	POI
Installed Capacity	MT	***	***	***	***
	Indexed	100	100	100	100
Production	MT	***	***	***	***
	Indexed	100	98	119	69
Capacity Utilization	%	***	***	***	***
	Indexed	100	98	119	69
Domestic Sales	MT	***	***	***	***
	Indexed	100	82	80	47
Export Sales	MT	***	***	***	***
	Indexed	100	139	235	152

- 70. The Authority notes that the capacity of the domestic industry has remained at the same level over the injury period. Various interested parties have argued that the capacity of the domestic industry is significantly higher than the demand. It is noted that the capacity was enhanced by the domestic industry in 2016-17 when the demand for the product was around ***MT and the capacity with the domestic industry was *** MT. The domestic industry has undertaken only one capacity expansion. It is seen that the capacity is dedicated only to this product and cannot be used for production of other product. It was also seen that the fixed costs involved exclusively with this capacity is only in the region of ***% of the total cost of sales (on account of depreciation). It is thus seen that the fixed costs associated with this capacity addition is quite small.
- 71. Production and capacity utilization of the domestic industry increased in 2021-22 and declined significantly in the POI. On overall basis, production of the domestic industry declined by 31% over the injury period, whereas the demand for the product declined by 32%.
- 72. The domestic sales of the domestic industry declined consistently over the injury period. Whereas the demand for the product declined by 32%, and production declined by 31%, domestic sales volumes declined by 53% and domestic sales values declined by 82%.
- 73. It has also been argued that the expansion of capacities by the domestic industry has led to decline in profitability of the domestic industry. The Authority however notes that the domestic industry had same level of capacity over the entire injury period. The profitability however declined very significantly from a situation of good profits in first two years to severe financial losses in the POI. The Authority noted the contention of the domestic industry and analysed the changes in variable and fixed costs. It is seen that whereas the costs on account of raw material increased, the fixed costs incurred by the domestic industry both in absolute terms and per unit of production have declined significantly over this period. Thus, the capacity addition could not have been a reason for decline in profits.
- 74. The information provided by the supporters on capacity, production and sales is given below:

Particulars	UOM	2019-20	2020-21	2021-22	POI
Installed Capacity	MT	***	***	***	***
	Indexed	100	100	100	100
Production	MT	***	***	***	***
	Indexed	100	1,296	4,537	2,124
Domestic Sales	MT	***	***	***	***
	Indexed	100	1,516	3,952	1,465
Domestic Selling price	Rs/Kg	***	***	***	***
	Indexed	100	86	54	39

75. It is seen that the supporter started production in the base year and the production increased till 2021-22 and declined thereafter in the POI. The sales have also shown the similar trend. Sales have declined

drastically in the POI. The decline in production and sales is more than the decline in demand. The selling price has also followed the movement of the applicant the domestic industry and has witnessed steep decline in the POI.

b) Market Share in demand

76. The market share of the domestic industry, other domestic producer and imports over the injury period is as under:

SNo.	Market Share	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	POI
1	Domestic Industry	%	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	89	58	69
2	Supporters	%	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	900	1600	1200
3	Subject Country	%	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	96	133	125
4	Other Countries	%	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	-	37	-
5	Total Demand	%	100%	100%	100%	100%

- 77. Market share of the domestic industry has declined till 2021-22 and then increased in POI. The market share of the domestic industry however remained much lower in the POI as compared to the base year. Whereas the domestic industry lost market share by 29%, subject imports gained by 17% over the injury period.
- 78. It is seen that despite commencement of production by Anupam Rasayan, the market share of imports did not decline, rather it increased. Instead, market share of domestic industry declined till 2021-22. In the POI, whereas domestic industry was able to increase its market share at the cost of incurring losses, the market share of imports declined. Further, the market share of the supporter declined. While the supporter has not participated with relevant information, it is seen that the domestic industry has suffered significant financial losses, despite the fact that it has reported decline in conversion costs. Thus, it appears that the financial losses forced the other domestic producers to reduce their production. It is seen that whereas the production of the domestic industry declined by 40% (in POI, as compared to preceding period), the production of the supporter declined by 63% in this period.
- 79. The Authority has taken note that Anupama Rasayan established production capacities and started selling the product from 2019-20. The company has supported the extension of anti-dumping duty. It is seen that the supporter started selling the product in 2019-20 with a very small volume. The index figures show high increase due to low market share in the base year. The market share of the supporter was however only [***%] of the market share of the petitioner.
- 80. The Authority has noted that imports capture a significant share in the Indian demand. It is seen that around 47% imports are duty paid while 53% imports are duty free imports. Table below shows the comparative analysis of CIF price on monthly basis during the period of investigation, i.e., April 22-March 23.

Comparative C	CIF Price	in US\$/MT
---------------	-----------	------------

S. No.	Month	Duty free	Duty paid	Difference
1	Apr	***	***	-2.0%
2	May	***	***	-0.1%
3	Jun	***	***	-1.3%
4	Jul	***	***	-3.1%
5	Aug	***	***	-3.5%
6	Sep	***	***	-4.4%
7	Oct	***	***	-5.1%

8	Nov	***	***	-7.3%
9	Dec	***	***	-23.1%
10	Jan	***	***	-20.9%
11	Feb	***	***	-4.6%
12	Mar	***	***	-10.9%
	Grand Total	***	***	-3.8%

Comparative CIF Price in INR/MT

S.						
No.	Month	Differer	nce amount	Difference		
		Duty free vs. duty paid	Duty free vs. average price	Duty free vs. duty paid	Duty free vs. average price	
		_	-	•	-	
1	Apr	(***)	(***)	-2.49%	-0.85%	
2	May	(***)	(***)	-0.48%	-0.34%	
3	Jun	(***)	(***)	-1.83%	-0.32%	
4	Jul	(***)	(***)	-3.60%	-1.83%	
5	Aug	(***)	(***)	-3.95%	-1.06%	
6	Sep	(***)	(***)	-4.83%	-3.19%	
7	Oct	(***)	(***)	-5.56%	-2.12%	
8	Nov	(***)	(***)	-7.82%	-4.65%	
9	Dec	(***)	(***)	-23.41%	-16.85%	
10	Jan	(***)	(***)	-21.12%	-14.62%	
11	Feb	(***)	(***)	-5.03%	-2.38%	
12	Mar	(***)	(***)	-31.33%	-18.90%	
	Grand Total	(***)	(***)	-6.92%	-3.83%	

- 81. It is thus seen that imports attracting anti-dumping duty has been consistently below the level of imports made under duty free category. The difference between the prices of duty-free imports and duty paid imports is significantly higher since November 2022. Thus, the imported goods that are actually competing with the domestic industry's goods in the domestic market are entering at far lower prices as compared to the average price reported from China.
- c) Profit or loss, cash profits and return on capital employed.
- 82. The position of the domestic industry in terms of profit or loss, cash profits and return on investment is as under:

S.No.	Particulars	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	POI
1	Cost of sales	Rs/kg	***	***	***	***
		Indexed	100	110	94	97
2	Selling price	Rs/kg	***	***	***	***
		Indexed	100	86	54	39
3	Profit/loss	Rs/kg	***	***	***	(***)
		Indexed	100	58	4	-33
4	Profit/loss	Rs Lacs	***	***	***	(***)

		Indexed	100	47	3	-16
5	Cash Profit	Rs/kg	***	***	***	(***)
		Indexed	100	65	11	-23
6	Cash Profit	Rs. Lacs	***	***	***	(***)
		Indexed	100	53	9	-11
7	PBIT	Rs. Lacs	***	***	***	(***)
		Indexed	100	50	5	-13
8	ROI	%	***	***	***	(***)
		Indexed	100	51	8	-40

83. The Authority also examined the trends in major input prices, and fixed expenses incurred by the domestic industry – both on per unit and gross expenses – over the injury period

Expenses incurred by the domestic industry on PUC (Rs. lacs)

S. No.	Particulars	2019-20	2020-21	2021-22	POI
A	Production (MT)	***	***	***	***
В	Domestic Sales (MT)	***	***	***	***
С	Export Sales (MT)	***	***	***	***
D	Opening Stock (MT)	***	***	***	***
Е	Closing Stock (MT)	***	***	***	***
1	Raw Materials	***	***	***	***
2	Packing materials	***	***	***	***
3	Consumables	***	***	***	***
4	Utilities	***	***	***	***
5	Salaries & Wages	***	***	***	***
6	Depreciation	***	***	***	***
7	Manufacturing Overheads	***	***	***	***
8	Bank Charges	***	***	***	***
9	Financials Costs	***	***	***	***
10	Administration Overheads	***	***	***	***
11	Selling & distribution	***	***	***	***
12	Direct selling expenses	***	***	***	***
13	Other/Miscellaneous expense	(***)	***	***	***
14	Change in stock	(***)	(***)	(***)	***
15	Cost of Sales (1 to 25)	***	***	***	***
16	Domestic Sales in Lacs Rs.	***	***	***	***
17	Export Sales	***	***	***	***
18	Total Sales	***	***	***	***
19	Profit before Tax	***	***	***	(***)

Per unit of production costs incurred by the domestic industry on PUC (Rs/kg)

S. No.	Particulars	2019-20	2020-21	2021-22	POI
1	Raw Materials	***	***	***	***
2	Packing materials	***	***	***	***
3	Consumables	***	***	***	***
4	Utilities	***	***	***	***
5	Salaries & Wages	***	***	***	***
6	Depreciation	***	***	***	***
7	Manufacturing Overheads	***	***	***	***
	Sub total	***	***	***	***
8	Bank Charges	***	***	***	***
9	Financials Costs	***	***	***	***
10	Administration Overheads	***	***	***	***
11	Selling & distribution	***	***	***	***
12	Direct selling expenses	***	***	***	***
13	Other/Miscellaneous expense	(***)	***	***	***
14	Change in stock	(***)	(***)	(***)	***
15	Cost of Sales (1 to 25)	***	***	***	***
16	Domestic Sales	***	***	***	***
17	Export Sales	***	***	***	***

Price (Rs/KG) for major inputs involved in production of the PUC

S. No.	Particulars	2019-20	2020-21	2021-22	POI	Change
1	Benzene	***	***	***	***	83%
2	C.N.A.	***	***	***	***	123%
3	Sulphuric Acid	***	***	***	***	55%
4	Soda Ash	***	***	***	***	75%
5	Hydrogen	***	***	***	***	25%
6	Nitrogen	***	***	***	***	-9%
7	Fuel	***	***	***	***	142%

84. The Authority holds that:

- a. The domestic industry was reasonably profitable in the first two years of the injury period.
- b. The import prices declined declining from 2021-22. As the import prices declined by Rs. 292 per kg. in 2021-22, the selling price of the domestic industry declined by Rs. 271 per kg. As against the same, the cost of sales declined only by Rs. 70 per kg. The severe price depression caused by the Chinese imports in 2021-22 resulted in significant decline in profitability of the domestic industry and the domestic industry suffered small financial loss in 2021-22. Thereafter, the import price declined by Rs. 131 per kg. in POI as compared to preceding year. Resultantly, the domestic industry was forced to reduce the prices by Rs. 125 per kg. This decline in the prices was despite significant increase in the prices of all major inputs in this period. In fact, despite significant increase in all major inputs, the domestic industry reported marginal decline in per unit cost.
- c. The domestic industry was suffering significant financial losses in the POI.
- d. Cash profits, profit before interest and return on capital employed of the domestic industry have also followed the similar trend. All these parameters were positive in the initial two years of the injury period. All these parameters have shown significant decline from 2021-22. Further, the domestic industry suffered significantly high cash loss, negative profit before interest and negative return on investment.

d) Inventories

85. The data relating to inventories of the subject goods is as follows:

S. No.	Particulars	UOM	2019-20	2020-21	2021-22	POI
1	Opening Inventory	MT	***	***	***	***
		Indexed	100	74	171	334
2	Closing Inventory	MT	***	***	***	***
		Indexed	100	231	451	417
3	Average Inventory	MT	***	***	***	***
		Indexed	100	141	290	369

86. It is seen that the average inventories were low in the base year and have increased from about March 2022. Inventories with the domestic industry in last two years of the injury period were high and constituted almost 1.8 months of sales.

e) Employment, wages and productivity

87. The situation of the domestic industry with regard to employment, wages and productivity during the injury period is as under:

S. No.	Particulars	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	POI
1	Employment	Nos	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	100	100	100
2	Wages	₹ Lacs	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	117	73	45
3	Wages-for the plant	Rs Lacs	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	120	139	188
4	Productivity per day	MT/Day	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	98	119	69
5	Productivity per employee	Per No	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	98	119	69

88. It is seen that the number of employees has remained at the same level over the injury period. This is due to dedicated nature of the capacity. However, wages charged into the PUC declined by 56%. This decline in wages is due to decline in production and apportionment of common salaries & wages to the PUC. Otherwise, the total wages paid for the plant has increased over the injury period.

f) Growth

89. The trends of volume and profit parameters of the domestic industry was as under-

Particulars	UOM	2019-20	2020-21	2021-22	POI
Production	Y/Y	-	-2%	22%	-42%
Capacity Utilisation	Y/Y	-	-2%	22%	-42%
Domestic Sales	Y/Y	-	-18%	-3%	-41%
Inventory	Y/Y	-	41%	106%	27%
Profit Per Unit	Y/Y	-	-42%	-93%	-977%
Profit in ₹ Lacs	Y/Y	-	-53%	-94%	-615%

Cash Profit in ₹ Lacs	Y/Y	-	-47%	-84%	-227%
ROCE	Y/Y	-	-49%	-85%	-626%
Market Share-Domestic Producers	Y/Y		-8%	50%	-51%

90. It is seen that there is significantly negative growth in almost all economic parameters over the injury period.

g) Dumping Margin

91. It can be seen that the dumping margin is not only more than de-minimis, but also substantial. Thus, the Chinese producers have continued dumping subject goods in the Indian market.

h) Factors affecting domestic prices

92. The examination of the import prices from the subject country, change in the cost structure, competition in the domestic market, factors other than dumped imports that might be affecting the prices of the domestic industry in the Indian market, etc. shows that the import prices to India are affecting the prices of the domestic industry. The landed price of the subject goods is below the selling price, NIP and cost of sales in the POI.

CAUSAL LINK

93. As per Annexure II of the AD Rules, factors which are relevant in this respect include, *inter* alia, volume and prices of imports not sold at dumped prices, contraction in demand or changes in the pattern of consumption, trade restrictive practises and competition between the foreign and domestic producers, developments in the technology and the export performance and productivity of the domestic industry. The Authority examined whether the factors other than dumped imports could be a cause of injury to the domestic industry.

a) Volume and prices of imports from third countries

94. The imports of the subject goods from countries/sources other than the subject country are nil.

b) Contraction of demand and changes in the pattern of consumption

95. Demand for the product declined in 2020-21, increased in 2021-22 and thereafter declined significantly in the POI. The decline in demand is owing to the decline in domestic and global demand for the downstream products. The market share of imports has, however, increased over the injury period, despite this decline in demand. It is also seen that whereas direct costs on account of inputs have increased over the injury period, fixed costs charged to the product have declined significantly, owing to apportionment of a number of fixed costs. Thus, the decline in demand has not had adverse effects on the cost of production of the domestic industry. However, whereas the direct input costs have significantly increased, the selling price declined severely due to decline in Chinese imports. It is thus, decline in the import prices triggered by the Chinese producers that were the cause of injury to the domestic industry.

c) Conditions of competition and trade restrictive practises


96. There is no trade restrictive practice. The Authority holds that the investigation has not shown any change in the conditions of competition or any trade restrictive practises.

d) Developments in technology

97. Technology for production of the product concerned has not undergone any change. Thus, developments in technology cannot be regarded as a factor causing injury to the domestic industry. None of the interested parties has furnished any evidence to demonstrate any change in the technology. There is not even a claim on this account.

e) Export performance of the domestic industry

- 98. The injury analysis with regard to price parameters is based on domestic performance of the domestic industry.
- 99. Since the domestic industry has significant exports over the injury period, the Authority compared the price of the domestic industry in respect of exports and domestic sales. It is seen that the export prices earlier by and large lower than the domestic prices in the past. However, in the recent period, the export price of the domestic industry was significantly higher than the domestic prices. It is thus seen that the domestic industry was able to get better prices in export market as compared to domestic market in the present POI.



f) Performance of other products being produced and sold by the domestic industry

- 100. The Authority has only considered data relating to the performance of the subject goods. Therefore, the performance of other products produced and sold are not a possible cause of injury to the domestic industry.
- 101. The Authority has analysed the contentions raised by the domestic industry and other interested parties regarding continuation of injury to the domestic industry. The Authority notes that whereas the other interested parties made submissions on this account, no supporting evidence has been provided by them. Further, the investigation has not shown that any of the allegations of the domestic industry distort the conclusions drawn hereinabove. The Authority concludes that the domestic industry has suffered the price injury on account of the dumped imports from the subject country.

g) Internal competition

102. As regards the argument that internal competition can be a cause of injury, it is noted in this regard that the domestic industry was making profits when Anupam Rasayan entered the business. The profitability declined when the import price declined drastically. Information provided by Anupam Rasayan shows that their sales also declined drastically in the POI. Authority also notes that the duty paid imports are significantly undercutting the prices of the domestic industry. Further, significant imports under duty paid category is undercutting the domestic industry prices, even after addition of anti-dumping duty amount. Thus, it is imports which has caused injury to the Indian industry.

J. MAGNITUDE OF INJURY MARGIN

- 103. The Authority has determined the NIP for the domestic industry on the basis of principles laid down in the Rules read with Annexure-III, as amended. The NIP of the product under consideration has been determined by adopting the information/data relating to the cost of production provided by the domestic industry. The NIP has been considered for comparing the landed price from the subject country for calculating injury margin. For determining the NIP, the best utilisation of the raw materials and utilities has been considered over the injury period. Best utilisation of production capacity over the injury period has been considered. Extraordinary or non-recurring expenses have been excluded from the cost of production. A reasonable return (pre-tax @ 22%) on average capital employed (i.e., average net fixed assets plus average working capital) for the product under consideration was allowed as pre-tax profit to arrive at the NIP as prescribed in Annexure III to the Rules.
- 104. Based on the landed price and the NIP determined as above, the injury margin as determined by the Authority is provided in the table below: -

INJURY MARGIN

S. No.	Producers	Non- Injurious Price (US\$/KG)	Landed Price (US\$/KG)	Injury Margin (US\$/KG)	Injury Margin (%)	Injury Margin (Range %)
1	Zhejiang Amino- Chem Co., Ltd.	***	***	***	***	40-50
2	Others	***	***	***	***	50-60

K. LIKELIHOOD OF CONTINUATION OR RECURRENCE OF DUMPING AND INJURY

K.1. Submissions by other interested parties

- 105. The following submissions were made by the other interested parties with regard to likelihood of continuance or recurrence of dumping and injury:
 - The applicant has claimed the PUC and total production (PUC and NPUC) as same, which seems incorrect.
 - ii. Majority of imports from China are under advance license, around 70% of total imports to India.
 - iii. Market structure of the PUC is such that overwhelming majority of market share is consumed for production of export goods; this part of overall market is not available to the domestic industry irrespective of anti-dumping duty.
 - iv. The domestic industry increased capacity manifold in 2016-17, without considering that Indian laws do not permit trade protection on imports meant for production of export goods.
 - v. Capacity was increased considering international demand. Impact of fall in export demand during the POI should not be attributed to alleged dumped imports.
 - vi. Imports continued at same level despite anti-dumping duty, shows imports from China are technical necessity for producers in the country.
 - vii. Anupam Rasayan has not clarified reason for entering into this market despite the domestic industry claiming injury by Chinese imports since October 2010.
 - viii. No correlation between alleged dumped imports and claim of injury and the likelihood of dumping and injury.
 - ix. The domestic industry's argument that injury parameters have shown deterioration is flawed as the base years used for trend analysis are flawed as they were abnormal years.
 - x. The applicant has neither suffered any injury nor there is any likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury on account of the imports of the subject goods from China PR as there was a decline in imports by 54% from 2021-22 to 2022-23 (POI).
 - xi. The petitioner has provided installed capacity for the whole group whereas it is not relevant to the present investigation. Zhejiang Longsheng Group produces various other products and the capacity mentioned by the petitioner comprises of all, not only MPDA.
 - xii. Statement made by Zhejiang Longsheng in the Annual Report for the year 2022 that "In the future, it plans to expand the production capacity of m-phenylenediamine to 100,000 tons/year." Zhejiang Amino Chem Co. Ltd. hereby submits that it is merely a future plan which depends on the demand and other factors in future.

K.2. Submissions by the domestic industry

- 106. The following submissions were made by the domestic industry with regard to likelihood of continuance or recurrence of dumping and injury:
 - i. The responding producer/exporter is dumping with likelihood of intensifying volumes on cessation of duty and has no material evidence to rebut to the same.
 - ii. None of the interested parties have submitted any material evidence supporting their claims of no likelihood. Neither of the interested parties have tried to prove the absence of dumping.

- iii. Even with duty, imports have been significant and at dumped and injurious prices. Imports declined in 2020-21 (majorly due to COVID-19), increased 2021-22 onwards but declined in POI (due to decline in demand). Dumping margin and injury margin in the past and present investigations have been positive and significant.
- iv. There is significant freely disposable capacity with China. Capacity with China in 1st SSR was 1.25 lac MT (approx.) while Indian demand was merely about 6,000 MT. Demand has increased over the injury period, but capacity is still significantly more than total Indian demand.
- v. There are large number of producers in China, that are largely export oriented and have capacities more than their domestic demand. This signifies potential dumping in event of cessation duties.
- vi. Zhejiang Longsheng Group, largest producer in China, is investing in adding capacities which will further add-up to surplus Chinese capacity.
- vii. Export orientation and enormous capacity with China poses significant threat to the Indian industry. Zhejiang Longsheng Group & Sichuan Hongguang Special Chemical Co., Ltd have specifically identified India as a key export destination.
- viii. Producers in China are always looking for a favourable market to utilise their excess capacities.
- ix. Indian market is highly price sensitive. Consumers decide procurement, with price being the foremost consideration. Availability of such low-priced imports would adversely impact on the domestic industry.
- x. The Authority, in the initiation notification, noted that evidence provided by the applicant, *prima facie*, shows likelihood of dumping and injury in case of cessation of duty.
- xi. The responding exporter/producer has made baseless allegations regarding authenticity and nature of analysis by the Authority which shows that they're dumping with likelihood of intensifying upon cessation of duty. No evidence was provided to rebut the same.

K.3. Examination by the Authority

- 107. The present investigation is a sunset review investigation, and the purpose of this investigation is to examine the continuation or recurrence of dumping and consequent injury if anti-dumping duty is allowed to expire even if there is no current injury. This also requires a consideration of whether the duty imposed is serving the intended purpose of eliminating injurious dumping.
- 108. It is further noted that there is continuing injury on account of dumped imports. The domestic industry has further claimed that there is a likelihood of recurrence of injury if the anti-dumping duty is not extended. All factors brought to the notice of the Authority have been examined to determine whether there is a likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury in the event of cessation of the duty. The Authority has considered various information, as made available by the interested parties during the course of the investigation, in order to evaluate the likelihood of continuation or recurrence of dumping or injury.

There are no specific methodologies available to conduct such a likelihood analysis. However, Clause (vii) of Annexure II of the Rules provides, inter alia for factors which are required to be taken into consideration viz.:

- A significant rate of increase of dumped imports into India indicating the likelihood of substantially increased imports;
- Sufficient freely disposable, or an imminent, substantial increase in, capacity of the exporter indicating the likelihood of substantially increased dumped exports to Indian markets, taking into account the availability of other export markets to absorb any additional exports;
- iii. Whether imports are entering at prices that will have a significant depressing or suppressing effect on the domestic prices, and would likely increase demand for further imports; and
- iv. Inventories of the article being investigated.
- 109. Further, the Authority has also examined other relevant factors having a bearing on the likelihood of continuation or recurrence of dumping and consequent injury to the domestic industry. The examination of the parameters of the likelihood as follows:

a) Continued imports and dumping from China

110. It is seen the subject imports have remained significant throughout injury period. Imports declined in 2020-21 owing to COVID-19 pandemic. Thereafter, imports increased significantly in 2021-22, but

- declined again in 2022-23, owing to decline in demand (decline in demand, as per submissions of all parties, is due to decline in domestic and global demand).
- 111. The investigation has shown that the dumping margin and injury margin in the present period have increased beyond the levels found at the time of previous two investigations. Further, the volume of imports during the present POI was quite significant, having regard to consumption of the product in the country.

b) Significant decline in import price despite increase in input costs

112. As stated above, there is a steep decline in the import price, despite increase in direct costs, during last two years. Further, no relevant information has been provided by the producer and exporter from China PR. It is however seen that all major inputs involved in the production of the PUC are widely traded goods and there is no reason why the prices should have increased only in India. Analysis of trade data in fact shows that the prices of these major inputs increased globally.

c) Third country dumping

113. The participating exporter provided information with regard to their exports of the PUC globally. Analysis of information provided by the participating exporter shows that the material has been exported by the Chinese producers in global market at a price materially below normal value.

Producer/Exporter	Unit	Zhejiang Amino-Chem Co., Ltd.
CNV	USD/Kg	***
NEP	USD/Kg	***
Dumping Margin	USD/Kg	***
	%	***
	% Range	40-50

114. It is thus seen that Chinese producers have exported the product in third countries at significantly dumped prices, and the volume of such exports is quite significant, having regard to demand for the product in the country.

d) Injurious volume of exports

115. The information provided by the domestic industry and participating exporter with regard to exports to third countries shows that the Chinese producers have exported significant volume of the subject goods to third countries at highly injurious prices.

Producer/Exporter	UoM	Zhejiang Amino-Chem Co., Ltd.
NIP of DI	USD/Kg	***
Landed value	USD/Kg	***
Injury Margin	USD/Kg	***
	%	***
	% Range	40-50

e) Surplus capacities in the subject country

116. Despite prescribed requirements, the responding interested parties have not provided capacity or demand prevalent in China in their questionnaire response. The Authority considers that the participating exporter has withheld relevant information in this regard. The domestic industry has provided information on the capacity of various producers along with relevant evidence. The capacity information for the producers made available during the course of the investigation is as follows:

Producer/Exporter	Capacity (in tons)
Jiangsu Tianjiayi Chemical Co., Ltd	17,000¹
Zhejiang Longsheng Group	65,000 ^{1&2}
(Zhejiang Amino-chem)	35,000 ²

Sichuan Hongguang Special Chemical Co., Ltd	20,000 ³		
Total capacity of known producers	1,37,000 MT		
Range	1,35,000 - 1,45,000MT		

Sources: -

- ¹ https://www.precisechem.com/news/current-dye-market-in-china-producers-stop-receiving-orders-prices-soaring-dramatically/
- ² As per annexure 4.1 of the application as filed by the domestic industry (extract of annual report of Longsheng Group for 2022)

It is seen that the capacity with the only responding producer/exporter Zhejiang Amino-Chem is 65,000 MT. The Authority notes that India and China are the only producers of the product. It is seen that the Chinese producers have capacity which is significantly in excess of the Indian demand.

117. The domestic industry contended that Zhejiang Amino-chem is adding capacity by 35,000 MT despite existing surplus capacities in China. During the oral hearing, when asked, the participating exporter denied that the company was adding capacity, but refrained from admitting that the group was adding capacity. The responding exporter has not provided relevant information in this regard.

f) Export orientation of the producers in the subject country

120. The response submitted by the responding exporter shows significant exports being made. Almost 50% of production by the exporter is meant for exports. The Authority has seen from the annual report (2022) of Zhejiang Longsheng Group that the focus of the company is majorly on exports. The annual report specifically identifies India as a key destination for exports. Additionally, Sichuan Hongguang Special Chemical Co., Ltd also identifies India one of the export destinations. Additionally, Sichuan Hongguang Special Chemical Co., Ltd also identifies India one of the export destinations. Relevant part from their website is extracted below:

Our products are sold in the following countries:

China, Japan, Korea, USA, Germany, Spain, UK, India, Pakistan, Thailand, Singapore, etc.

121. It is thus evident that the producers in China are on the lookout for favourable markets to utilise their capacity. Considering the mammoth capacities of the subject goods with Chinese producers in concert with their export orientation, there is high likelihood of increase in the dumped imports to India upon cessation of duty.

L. POST DISCLOSURE SUBMISSIONS

L.1 Submissions by other interested parties

- 122. The following submissions were made by the other interested parties on the disclosure statement:
 - i. Flow chart given for the production process of the PUC at page no. 10 of the disclosure statement is erroneous and misleading.
 - ii. Di-nitro benzene is reduced using H2 and catalyst, product is then distilled to get 85% MPDA, 15% OPD and PPD. Both OPD and PPD are saleable products. This is the standard production method in Indian and China as per responding producer's/exporter's knowledge.
 - iii. As per responding producer's/exporter's knowledge the applicant produces PPD and OPD along with MPDA which is not confirmed or mentioned anywhere in the disclosure statement.
 - iv. If the applicant is claiming not to produce OPD and PPD, then the manufacturing method of the applicant and the exporter differs to this extent and therefore the cost of production also differs to this extent.
 - V. The Authority should seek clarification from the applicant regarding the quantity of OPD and PPD sold by them and whether their sale has been included while calculating the cost of MPDA.
 - vi. The applicant has taken data for 2 years preceding the POI to justify their claim. Abnormal circumstances and abnormal price and market condition cannot be considered for justifying dumping when the situation returns to normal.
 - vii. The responding producer/exporter submit that as per market sources the applicant and supporter have exported the PUC at USD 4 during the POI and post-POI. Sale price has been adjusted for

³ http://www.schgchem.com/about.html

- costs as it appears to be lower than the costs claimed by the applicant.
- Viii. Zhejiang Amino-Chem's parent company is listed in Shanghai stock exchange and no company listed on stock market would resort to dumping for 10 years to gain market share.
- ix. 50% of responding producer's production is used internally to produce resorcinol, MAP, DEMAP, MDSA. 40% of production is sold to dyes and fiber market in China and only 10% is used for exports. During the POI exports were only 7.69% of the total production. Therefore, Zhejiang Amino-Chem is not dumping the PUC in India.
- X. Capacity information for the producers in China for the POI, one of the Chinese producers has stopped or no longer producing the subject goods has been stated as producing the goods in the disclosure statement.
- xi. DGTR is giving undue protection to the domestic industry by applying 22% return on capital employed which was designed in 1987.
- Xii. The NIP determined by the Director General is highly inflated and not based on real situation. The Authority should adopt actual profits earned by the domestic industry and not 22% ROCE, adoption of which gives undue protection to the domestic industry.
- xiii. Basis of 22% ROCE was designed in 1987, when all parameters like interest rate, corporate tax rate were different. These cannot be termed reasonable after 30 years. In 1987 interest was 18% and corporate tax was 40%, now interest is around 10% and corporate tax around 30%.
- xiv. Reference to Bridge Stone Tyre Manufacturing & others vs. Designated Authority wherein the Hon'ble CESTAT has observed that the practice of 22% ROCE adopted by the Designated Authority was not correct as calculating the NIP by assuming such a high rate of return gives an inflated picture of price underselling.
- XV. GDMA was registered to be considered as an interested party within the prescribed time, and has also participated in other stages of investigation and filed its submissions. However, name of the respondent is not included in Section B.
- xvi. GDMA has submitted that base year being used for trend analysis were abnormal years. It is clear from the disclosure statement that the import prices and the domestic prices for the applicant for the period April 2019 to Feb 2023 were considered for analyzing price effect of the subject imports on the domestic industry.
- XVii. Comparison of performance of the applicant during the preceding 2 years and base year will lead to absurdity.
- XVIII. Neither likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury from the subject country has been made. Imports of the PUC declined sharply by 54% in POI from the preceding year.
- xix. Export price of the applicant is higher than the domestic price. MPDA used in India is a low-cost product whereas the one used in other countries is a very high-quality product.
- XX. Request to examine other factors which are cause of injury. Abnormal increase in capacity, slowdown of economy, internal competition, internal inefficiency of the applicant, significant decline in export sales, significant decline in export sales per unit, contraction in demand.
- XXİ. Continuous and sustained use of trade remedy measures by the domestic industry is wholly unjustified.
- XXII. Extension of duties not justified in view of peculiar fact that majority of the imports from China are under Advance License. Around 70% of the total import to India is against advance license not subject to anti-dumping duty.
- XXIII. Impact of duty will adversely impact on consumers particularly the textile sector.
- XXIV. Per unit price of Direct Black 22 has been mentioned wrong and average price of Direct Black 22 is INR 380 per kg.
- XXV. Adverse impact of measures ranges from minimum 2.4% to maximum 14.2%.
- XXVI. The Authority is requested to examine the mentioned issues and release another disclosure statement on which the interested parties can make their comments.

L.2. Submissions by the domestic industry

- 123. The following submissions were made by the domestic industry with regard to Indian industry's interest:
 - i. China and Zhejiang Longsheng group has the largest share in global production of the subject goods.
 - ii. As per the market report the global MPDA market was valued at US\$ 589.9 million in 2022, i.e., 1,65,000 MT considering average Chinese export price in 2022. China in year 2022 accounted for about 87% of the global market, which is huge and only slightly short of the entire global market.
 - iii. The market report states that Zhejiang Longsheng is the largest manufacturer of MPDA globally, with around 69% market share at a global level. Zhejiang Longsheng group is the parent company of which the responding producer Zhejiang Amino-Chem is a subsidiary.
 - iv. The Authority in the disclosure statement has rightfully noted that neither of the interested parties have brought evidence on record that shows that the users or downstream industry has faced or will face adverse effects/impact due to the anti-dumping duties.
 - V. There is no information on record to establish that there exists probably an adverse effect on the extension of duty on the consumers.
 - vi. The quantum of present anti-dumping duties should be further enhanced to address the dumping margin and injury margin in the present investigation based on significant imports under both duty free and duty paid.
 - vii. Dumping margin and injury margin are the highest in the present investigation compared to the previous segments of the investigation. Further, the imports are happening at significantly low price.
 - viii. The landed price of duty paid imports, even after addition of anti-dumping duty is significantly below the cost of sales of the domestic industry, likely to cause significant price depression in the domestic market.
 - ix. Performance of the domestic industry improved initially, however deteriorated significantly with significant decline in import prices. Therefore, non-enhancement of quantum of duties would lead to intensified injury to the domestic industry.
 - X. Jiangshu Tianjiayi Chemicals Co. Ltd. was not a major producer of the PUC, rather only had around 17,000 MT production capacity of the PUC. The volume of imports from China PR in 2019-20 was still significant and higher than the level prevailing in POI. Therefore, the incident relating to Jiangshu Tianjiayi Chemicals could not have had that significant effect on domestic as well as export prices.
 - xi. Even in COVID-19, the subject imports from China captured around 35% of market share in demand and have worked their way up to 48% in the year following that and 43% in the POI.
 - xii. User industry has provided no material evidence to support their contentions at such a late stage and are therefore baseless and hollow.
 - xiii. The user industry's claim that 3 years of the injury period are abnormal and other above-mentioned contentions are baseless and should be rejected by the Authority.
 - Xiv. The prices in the POI are undisputedly below the level of cost of sales, NIP and selling price of the domestic industry resulting into losses to the industry. Thus, it cannot be denied that imports continue to cause injury to the domestic industry.
 - XV. Out of stated 146 days of shutdown, 139 days were on account of prevailing market conditions, wherein the domestic industry was forced to undertake these shutdowns as it was unable to produce considering market situation disrupted by Chinese imports.
 - XVI. Despite a decline in demand, the imports from China have increased at significantly low price, making further production unviable for producers. The domestic industry was selling through inventory and even the inventory has shown a rising trend, making further production unviable and resultantly production was regulated, and plant was shut down immediately

L.3. Examination by the Authority

- 124. The Authority has examined the post disclosure submissions made by the interested parties and notes that some of the comments are reiterations which have already been examined suitably and addressed adequately in the relevant paras of the final findings. The issues raised for the first time in the post-disclosure comments/submissions by the interested parties and considered relevant by the Authority are examined below.
- 125. The other interested parties have contended that the production process provided by the domestic industry is flawed to the extent that it does not mention OPD and PPD which are both saleable product and have also raised a question pertaining to the quantity of OPD and PPD sold by the domestic industry being considered while calculating the cost of MPDA. The Authority notes from the information provided by the domestic industry in its application, and information verified by desk and on-site verification that the domestic industry already separates consumption of inputs in the production of MDNB. The Authority has further noted that the raw materials consumption reported by the petitioner takes into account only such quantity of inputs as were consumed in the production of MPDA. The consumption considered for determination of costs and NIP does not include raw material cost to produce OPDA and PPDA and the same has been separated at the stage of application itself. The applicant has thus reported costs on account of raw materials exclusively for MPDA and the same is not inclusive of raw material costs to produce OPDA and PPDA.
- 126. The Authority examined whether export price of the domestic industry was higher than domestic price due to difference in the product grade. For the purpose, the Authority compared the domestic and export price of the domestic industry for the same grade [99.8% concentration] of the product. It is seen that the export price of the domestic industry was higher than domestic price in three out of four periods of injury period. Further, the export price of the domestic industry was higher by 36% in the POI, even when the volume of sales was very comparable. It is thus concluded that the domestic industry was able to get a higher price in export market as compared to the domestic market, barring the exception of 2020-21. Further, the difference was too significant in the POI.

S. No.	Particulars	UOM	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
A	Volumes					
1	Domestic	MT	***	***	***	***
2	Export	MT	***	***	***	***
В	Average price	Rs/Kg				
3	Domestic		***	***	***	***
4	Export		***	***	***	***
С	Difference	Rs/Kg	***	***	***	***
		%	***	***	***	***
		Range	15-25	(15-25)	0-10	30-40

- 127. The responding exporter/producer has claimed that the parent company of the responding producers i.e., Zhejiang Longsheng group is a company listed on the Shanghai stock exchange and that a listed company would not resort to dumping for 10 years. The Authority notes that existence or absence of dumping is a matter of fact. The investigation has revealed that dumping margin in the present POI in fact is higher than the previous investigations.
- 128. The responding producer/exporter has further stated that only 10% of their production is exported and rest 90% of the subject goods produced by them are either used captively or are sold to the Chinese dye manufacturers. The Authority in this regard notes that the Zhejiang Longsheng's annual report for 2022 brought by the applicant on record clearly specifies that the group's key sales areas are identified as Germany, the United States, Brazil, South Korea, Thailand, India, Vietnam, Bangladesh, Turkey, Pakistan and other countries. The investigation has shown that the dumping margin and injury margin for the responding exporter/producer is not only more than *de minimis* but is also significant and higher than the past, which negates the contention that the exporter does not have compulsions to export the product.

- 129. Zhejiang Amino-Chem contended that the capacity information for Chinese producers provided by the domestic industry for the POI is not correct. The Authority has prescribed a questionnaire for the Chinese producers, whereas the Authority requires information on Chinese capacity, production, domestic consumption and exports. It is noted that despite holding a large capacity, the company preferred not to provide relevant information in its questionnaire response. It was much easier for the exporter to provide relevant information and the Authority would have considered the same for the present determination. The exporter has not even provided the information on capacity with their group company. In a situation where the Chinese exporters have not provided the relevant information, the Authority is required to make determination based on information on record. The domestic industry provided evidence of capacity with the Group companies, whereas the participating exporter has restricted itself to its own capacity, and has not provided capacity information even with the group. It is also noted that the exporter was specifically asked at the time of oral hearing to clarify whether the claim of the domestic industry with regard to capacity addition by the Group Companies was correct. The exporter merely stated in its submission that the capacity expansion is a proposal and if the market is not suitable it will not expand. The Authority also notes that the capacity of the producer whose plant faced an accident and was out of production is having merely 17,000 MT per annum capacity. The capacity of Zhejiang Longsheng group is more than 10 times that of gross Indian demand and therefore poses a significant threat to the Indian industry especially when dumping and injury margins have increased in the present period.
- 130. The user industry has raised contention that the present anti-dumping measure is not justified owing to more than 70% of the imports coming in under advance license and are not susceptible to anti-dumping duties. The Authority notes that (a) analysis of the imports show that the imports under duty paid category are around 50%, (b) the import price of duty paid material is materially lower than the import price of duty-free material. It is the import price of duty paid material that is more relevant than the import price of duty-free material in order to ascertain the likelihood of injury in the event of cessation of anti-dumping duty. Further, the volume of duty paid material is quite significant. The Authority also notes that it remained unexplained why the Chinese producers were charging a lower price for duty paid supplies as compared to duty free supplies. The Authority considers that the same is clearly indicative of opportunistic pricing by the Chinese producers. Further, the duty paid price clearly shows the price that the Chinese producers are likely to charge in the event of cessation of anti-dumping duty.
- 131. With regard to the submissions made by interested parties concerning 22% return on capital employed for calculating NIP, the Authority notes that NIP has been calculated in accordance with Annexure III of Anti-dumping Rules and consistent practice of the Authority.
- 132. With regard to other contentions raised in post-disclosure submissions by other interested parties that are reiterations of earlier submissions, the Authority has suitably examined these submissions and have addressed them adequately in the relevant paras of the final findings. These submissions were pertaining to likelihood of continuation or recurrence of injury, causal link, other factors of injury, interest of Indian industry.

M. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST & OTHER ISSUES

M.1 Submissions by other interested parties

- 133. The following submissions were made by the other interested parties with regard to Indian industry's interest:
 - i. The applicant has increased prices drastically since the imposition of duties and enjoying monopoly in the Indian market as the applicant is price setter for the Indian market.
 - ii. Small Indian companies manufacturing dyes made out of MPDA majorly MSMEs are unable to export dyes as they do not have the required infrastructure to procure advance authorization.
 - Small dye manufacturers of India are not able to import MPDA without paying anti-dumping duties.
 - iv. These producers have become uncompetitive against global producers of dyes.
 - v. 80% of MPDA is used for dye manufacturing, which is used in textile industry. Imposition of duty will adversely impact MSME textile users.
 - vi. The Authority should examine the impact of the duty on the performance of the domestic industry, demand pattern, movement in the import price etc. during the period when duties

were in place.

- vii. To continue anti-dumping measures in this investigation will be inconsistent with the long-term and overall interests of the Indian domestic industry and its downstream industries.
- viii. Improper implementation of anti-dumping duty as means of trade protection, cannot play the role of protecting industry, but will cause an unfair competitive environment and cause damage to the fundamental interests of their respective industries.

M.2 Submissions by the domestic industry

- 134. The following submissions were made by the domestic industry with regard to Indian industry's interest:
 - i. It is at the foremost submitted that the only one user association has participated in the present investigation. Despite issuance of Economic Interest Questionnaire (EIQ), the user has not provided any information.
 - ii. The responding exporter has also not submitted EIQ.
 - iii. Lot of submissions were made on behalf of the association. However, the association has not filed any submission, nor EIQ response. Nor the members of the association have cooperated with the Authority.
 - iv. In view of complete silence of the interested parties on any adverse public interest, the Authority should construe that the measures are in public interest and no adverse impact has been shown.
 - V. There have been no adverse effects in any form or manner due to the imposition of past measures. After the original investigation and the first sunset review investigation and the imposition of anti-dumping duty, the Indian industry has only witnessed growth.
 - vi. The past measures have had no adverse effects on immediate consumers, downstream industry or public at large. The impact of duty as calculated and provided by the applicant is so low that the impact is nearly negligible.

M.3 Examination by the Authority

- 135. The Authority notes that the purpose of imposition of anti-dumping duty, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Continuation of anti-dumping measures does not aim to restrict imports from the subject country in any way. The Authority recognizes that the continuation of anti-dumping duties might affect the price levels of the product in India. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the imposition of anti-dumping measures. On the contrary, continuation of anti-dumping measures would ensure that no unfair advantages are gained by dumping practice, prevent decline of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of the subject goods.
- 136. The Authority considered whether continuation of anti-dumping shall have any adverse impact on the interest of the public. In order to determine such impact, the Authority weighed the impact of the continuation of duties on the availability of the goods in the Indian market, the impact on the users of the product as well as the domestic industry and the impact on the general public at large. This determination is based on the submissions and evidence submitted over the course of the present investigation.
- a. The Authority issued initiation notification inviting views from all the interested parties, including importers, consumers, and others. The Authority also prescribed a questionnaire for the users/ consumers to provide the relevant the information about the present investigation including any possible effects of anti-dumping duty on their operations. The Authority issued gazette notification inviting views from all the interested parties, including importers, consumers, and other interested parties. The Authority also prescribed a questionnaire for the consumers to provide the relevant information with regard to the present investigation, including effect of anti-dumping duty on their operations. The Authority sought information on, *inter-alia*, interchangeability of the product supplied by various suppliers from different countries, ability of the domestic industry to switch sources, effect of anti-dumping duty on the consumers, factors that are likely to accelerate or delay the adjustment to the new situation caused by imposition of anti-dumping duty, impact of repealing or maintaining the present duty. The Authority notes that none of the interested parties, barring the domestic industry, have responded to the economic interest questionnaire.

The user association responded in the present investigation, however, none of its members have filed the user questionnaire response. The Authority notes that there is no evidence showing that the imposition of anti-dumping duty has had any significant adverse effect either on the consumers or at public at large. Instead, the Authority from the submissions made by the user industry has noted that significant volume of the subject goods is being imported under advance license and are therefore exempt from paying anti-dumping duties. As rightfully argued by the domestic industry, such importers that are importing the subject goods under advance license are already exempt from paying anti-dumping duties and shall have no impact whatsoever.

b. Additionally, the Authority notes that the domestic industry has calculated the impact of duties on the downstream products which use the subject goods. For doing this analysis, the domestic industry has considered the consumption norms based on SION. The domestic industry has thereafter calculated the impact of duty on the downstream products. One of the interested parties has pointed out that the price of Direct Black 22 considered by the domestic industry for determining impact of the proposed measures is incorrect. The Authority therefore reviewed the calculations and found that there was error in the prices considered for determining impact. The Authority has therefore determined the impact of proposed measures and the same has been considered for the present determination. Further, it is noted that the subject goods are mainly used for production of reactive dyes. The consumption of reactive dyes in next product is in the region of 2-5%. Therefore, impact given of MPDA in eventual end product would be 2-5% of the impact on dyes.

S. No.	Particular	End Product	MPDA Required (kg/kg)	Impact of ADD (%)	Impact on eventual end product	
					At 2%	At 5%
1	Pharma	Acriflavine	2.3	0.12%		
2	Reactive Dye	Acid Black 210	0.15	1.87%	0.03 7%	0.09 3%
3	Reactive Dye	Direct Black 22	0.2236	3.33%	0.06 7%	0.16 6%
4	Reactive Dye	Reactive Navy Blue ME2GL	0.187	2.12%	0.04 2%	0.10 6%
5	Reactive Dye	Reactive Supra Golden Yellow HRNL	0.3	3.68%	0.07 4%	0.18 4%
6	Intermediate for reactive and disperse dye	Meta Phenylene Diamine 4,6 Disulphonic Acid	0.682	6.35%	0.12 7%	0.31 7%

- c. The Authority notes that the anti-dumping duty has been in place on the product for quite some time. Further, the prices of MPDA had admittedly increased significantly in 2019-20 and 2020-21. A significant difference in the prices has been found within the POI itself and even within the same month. Despite the same, there was no adverse impact of the anti-dumping duty on the consumers. Rather, now when the price of the product has so significantly declined, the consumption of the product has also declined. It is therefore evident that there is no adverse impact of the price of the product on the consumption of the product in the market. Further, the product is largely used in production of dyes or dyes intermediates. Therefore, the consumption of the product in the eventual end product is extremely low.
- d. The applicant provided Annual reports of some of the downstream producers and contended that these companies are the largest dye manufacturers in India. An analysis of their financial reports shows that when MPDA prices increased, their profits increased, and when MPDA prices declined, their profits declined.
- e. The enhancement of duty following previous sunset review led to establishment of production capacity in the domestic market. A new producer has also set up production capacities and has supported the request for extension of anti-dumping duty. It is seen that the sales of this supporting producer have also declined significantly in the POI. The investments made by this new producer is also required to be protected from unfair imports by providing a level playing field.

- f. It is noted that India and China are the only two producers of the PUC. Further, the Chinese producers have resorted to very aberrationally high and low price for the product. Under these circumstances, cessation of production by domestic producers is likely to leave the consumers totally at the hands of foreign producers.
- g. The Authority further notes that the impact of the proposed measures may have on certain users should be balanced against the risk of a discontinuation of production in India. Not extending measures will lead to less reliable and unstable sources of supply and inevitably to price increases and fluctuations in the Indian market. The Authority therefore, concludes that imposition of duty would be in the larger public interest.

N. JUSTIFICATION FOR EXTENSION OF MEASURES

137. The Authority has considered whether the extension of measures is justified, particularly when the same has been in force for 10 years. The Authority has considered following parameters for this purpose.

i. India and China are the sole producer of the PUC globally

138. The Authority notes that India and China are the only producers of the product under consideration globally. The domestic industry has already shrunk significantly during the current period and is suffering unprecedented financial losses. Should the measure be withdrawn at this juncture the producers from the subject country can wipe out domestic producers. The domestic industry is engaged in production of a large number of products and therefore it would not be very difficult for the domestic industry to stop production of such heavily loss-making product. The other domestic producer is also a multi-product company and therefore possibility of their exiting the market can also not be ruled out. Should the same happen, the consumers would be left completely at the mercy of the Chinese suppliers. It is noted that the interested parties conceded that the reason for significant increase in the prices was the suspension of production by one Chinese producer, owing to a fire incidence in its plant. This also shows that cessation of production in India is likely to cause significant disruptions in the Indian market, should any such disruptions happen with the Chinese producers.

ii. India is self-sufficient and imports are not necessary to meet the demand

- 139. During the original investigation of this product, the applicant was the sole producer in India and there was some demand and supply gap in the country. However, owing to the imposition of the measures, the applicant was able to increase the production capacity. Additionally, another producer has set up their production capacity in the present injury period. At present, both of the Indian producers are capable to individually cater to the entire Indian demand. The Authority finds that the current amount of market share captured by dumped Chinese imports of the subject goods owing to steep reduction in prices is unexplained particularly when there is a decline in demand.
- 140. This further reflects the need for extension of duties, as with the measures in force, the Chinese imports are able to capture a high amount of market share in Indian demand, then it is extremely likely that upon cessation of duties, the Indian market will be flooded with Chinese dumped imports, which necessitates the extension of measures.

iii. Continuous dumped and injurious volume from China

- 141. The Authority considers that the imports have continued to be made at dumped and injurious price. Additionally, the dumping margin in the present review investigation are comparatively higher than that in the previous two investigations relating to the product.
- 142. The investigation has shown that the dumping and injury has actually intensified while the measures is in force. This signifies the likelihood of imports from the subject country being dumped further (in terms of volumes) in the event of cessation of duties, warranting extension of duties.

iv. The Indian industry is vulnerable

143. The Indian industry is highly vulnerable to material injury, as is evident from the losses being made by the industry in the POI in view of steep decline in prices from China. China holds significant markets share despite no demand supply gap in the country. This clearly indicates the interest that the Chinese producers have in the Indian market. The fresh investments undertaken by the new producer will also be jeopardised because of presence of dumped imports in the

market. It is seen that the volume of imports, dumping margin and injury margin are too significant in the present investigation.

v. China is the largest producer of the subject goods

144. China is the largest manufacturer and exporter of the subject goods. Globally, at present, India and China are known to be the only producers of the subject goods. The installed capacities in China have been quantified at 1,25,000 MT, as against installed capacity of 12,300 MT in India.

vi. No adverse impact on consumers

145. As explained above, it is found that there was no adverse impact of existing measures on the endusers. The analysis shows that the impact of the present measures is not even 1% on majority of the end-products, in a theoretical situation where the domestic industry increased the prices by the quantum of anti-dumping duty. It is however found that the selling price of the domestic industry were materially below the landed price of imports after adding the anti-dumping duty. This shows that the domestic industry has not even increased its prices by the full quantum of anti-dumping duty. Therefore, there shall be no adverse impact of the measures on the downstream industry and public at large.

O. CONCLUSION

- 146. Having regard to the contentions raised, submissions made, information provided and facts available before the Authority as recorded above and on the basis of the above analysis of dumping, injury and likelihood of dumping and injury to the domestic industry, the Authority concludes that:
- i. Being a sunset review investigation, the scope of the product under consideration is the same as in the original investigation. Accordingly, the PUC is being defined as "Meta Phenylene Diamine (MPDA)".
- ii. Despite the imposition of the anti-dumping duty, the imports from the subject country have remained substantial in absolute terms as well as relative to the domestic industry's production and in the Indian demand, even though the volume has declined slightly since the original investigation.
- The import price from China witnessed a significant decline despite the increase in input costs on account of raw materials and utilities. Whereas the costs on these accounts increased by 27% over the injury period, the import prices in the POI declined by 55% over the base year.
- iv. The import prices declined by about 25% within the POI itself, without any decline in the input costs on account of raw materials and utilities.
- V. A significant proportion of imports is under duty free category- significant price difference between the duty free and duty paid imports has remained unexplained, and is clearly indicative of the likely situation in the event of cessation of anti-dumping duty. The Authority considers that the lower price at which duty paid imports have been made are relevant to ascertain the likely situation in the event of cessation of anti-dumping duty, which clearly shows much higher dumping margin and injury margin. The imported goods that are actually competing with the domestic industry's goods in the domestic market in terms are volumes, are entering at materially lower prices as compared to the duty-free imports. While the price of duty-free imports also impacts the prices of the domestic industry, in a situation where duty paid imports are at a materially lower price than the duty paid imports, it is the duty paid imports that would become benchmark for the selling prices of the Indian industry.
- vi. Production, sales, capacity utilization of the domestic industry is adversely impacted on account of dumped imports. The decline in sales is more than the decline in demand. While some decline in these parameters were inevitable due to decline in demand, the decline faced by the domestic industry is more than the decline in demand. Further, the decline in demand further shows vulnerability of the domestic industry. Imports at dumped prices, if allowed without anti-dumping duty, would further weaken the viability of the Indian industry.
- vii. The domestic industry has started incurring significant financial losses in the POI. The return on investment and cash profit has also declined significantly in the POI and became significantly negative in the POI. These declines were despite significant reduction in conversion costs over the injury period. Further, the selling price of the domestic industry declined significantly over the POI on month-on-month basis, which shows decline in profits, cash profits and ROI successively over the period within the POI.

- Viii. The Chinese producers are exporting the subject goods to third countries at significantly dumped and highly injurious prices. Further, the volume of such exports is quite significant.
- ix. Chinese producers of the subject goods are holding significant surplus production capacities far exceeding the Indian demand.
- X. The domestic industry remains vulnerable to not only continued, but also intensified injury by dumped imports of the subject goods in the event of cessation of anti-dumping duty.
- Xi. None of the users have provided information relevant to assessment of impact of existing duty and extension of the same. The participating other interested parties have not established plausible adverse impact of anti-dumping duty on the user industry.
- xii. From the information on record, which was also made available to other interested parties, it is also seen that the impact of anti-dumping duty on the consumers is insignificant. Therefore, there is no reason to believe that continuation of present measure is likely to lead to increase in the prices of the product under consideration in the country.
- Xiii. The imposition of anti-dumping duties and providing of level playing field led to establishment of production capacity in the Indian market, including the setting up of capacity by a new producer.
- 147. In view of the above the Authority concludes that there is a likelihood of not only continuation but also intensification of dumping and consequent injury to the Indian industry in the event of cessation of the existing anti-dumping duties. The Authority recommends continuation of the duty and enhancement of the quantum for a further period of five years. The enhancement of the quantum is considered appropriate in view of significant duty paid imports and increased dumping margin & injury margin in the same.

P. RECOMMENDATIONS

148. The investigation was initiated and notified to all interested parties. Adequate opportunities were given to the domestic industry, embassy of the subject country, exporters, importers and other interested parties to provide positive information on the aspect of dumping, injury, causal link, likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury, the effect of measure in place and plausible effect of extension of the measure. Having initiated and conducted the investigation into these aspects and having established positive dumping margin, material injury to the domestic industry caused by such imports as well as likelihood of continuation of dumping and injury, the Authority is of the view that continuation of anti-dumping duty is necessary. Therefore, the Authority recommends continuation of anti-dumping measure. Further, the quantum of measure is required to be modified. Accordingly, definitive anti-dumping duty equal to the amount mentioned in column 7 of the duty table below is recommended to be imposed for five (5) years from the date of the notification to be issued by the Central Government, on imports of the subject goods described at column 3 of the duty table, originating in or exported from China PR.

Duty Table

S. No.	Heading/ Subheading	Description of Goods	Country of Origin	Country of Export	Producer	Amount (USD/KG)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	29215120 & 29215190	'Meta Phenylene Diamine' (MPDA)*	China PR	Any country including China PR	Zhejiang Amino- Chem Co., Ltd	1.50
2.	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Any producer other than serial number 1	1.71
3.	-do-	-do-	Any Country other than China PR	China PR	Any	1.71

*Meta Phenylene Diamine' (MPDA), also known as m- Phenylene Diamine, 1,3- diaminobenzene, 1, 3- Benzenediamine, m- Aminoaniline, mBenzenediamine, m- Diaminobenzene, 1,3-Phenylenediamine, 3- Aminoaniline, mFenylendiamin, Phenylenediamine, and m-Aminoaline, Phenylenediamine meta.

N. FURTHER PROCEDURE

149. An appeal against the determination/review of the Designated Authority in this final finding shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act.

ANANT SWARUP, Designated Authority